खण्ड-245, अंक-9
बुधवार, 30 माघ, शक संवत् 1885
(19 फरवरी, 1964 ई0)

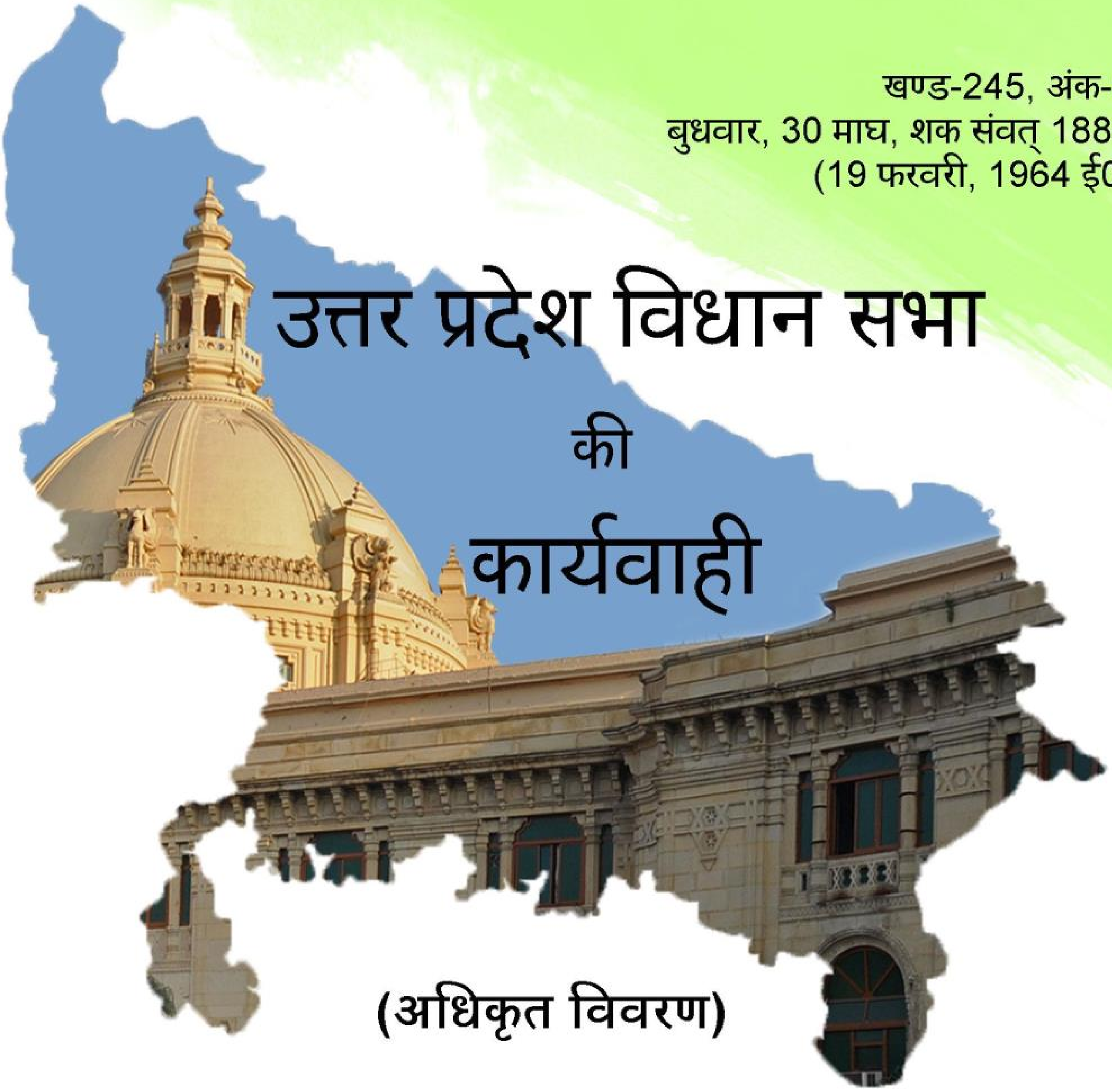

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 245 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	७८५–७८९
प्रश्नोत्तर	७८९–८२०
प्रदेश की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से हुई बातचीत के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	८२०
उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	८२०
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	८२१
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)..	८२१
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	८२१
सरकार के आदेश के विरुद्ध श्री नैनसिंह को देर से कारागार से मुक्त करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित)	८२१–८२२
श्री सुखलाल की गिरफ्तारी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न	८२२–८२६
राजस्व मंत्री के कथित असत्य कथन पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (जारी)	८२६–८२७
मुख्य मंत्री के कथित असत्य कथन पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	८२७–८२८
राजस्व मंत्री के कथित असत्य कथन पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	८२८–८२९
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	८२९–८३०
अराष्ट्रीय तत्वों द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भ्रामक प्रचार करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	८३०–८३१
बुलन्दशहर जिलान्तर्गत एक ग्राम में पुलिस द्वारा गोली चलाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	८३१
बलिया जिला परिषद् के अध्यापकों को सेवा मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	८३१–८३३
चरखारी, जिला हमीरपुर के बाजार को लूटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत रसद मंत्री का वक्तव्य	८३३–८३९
१९६४–६५ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	८३९–८४१
विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से संबंधित सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं की शास्ति	८४१–८४३
१९६४–६५ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	८४३–८७९
नत्थियां	८८०–८८२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १९ फरवरी, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५९

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिट राम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री

परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरन सिंह, श्री
पात राम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकन्त सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री

राजदेव, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री

सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथतिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
हेतरामसिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १९ फरवरी, १९६४

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

शिवाघाट में गिरफ्तार गुड़ सत्याग्रहियों को जेल में उच्च श्रेणी न देने पर आपत्ति

**१---श्री कैलाश (जिला देवरिया) तथा श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि श्री बांके लाल, सदस्य, विधान सभा, श्री गिरीश निवास ब्लाक प्रमुख तथा श्री बख्शीशअली खां, एम० ए० को तमकुही रोड, जिला देवरिया में वहां की पुलिस ने दिनांक २९ जनवरी, १९६४ को गिरफ्तार किया है ? यदि हां, तो इनकी गिरफ्तारी कब किस धारा में हुई और इनको जेल कब भेजा गया तथा जेल भेजने के पूर्व इनको किस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और कब ?

गृह उप मंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)---

जी हां। उक्त व्यक्तियों को शिवाघाट नामक स्थान पर २९-१-६४ को ३-३० बजे (अपराह्न) यू० पी० गुड़ (रेस्ट्रिक्शन आन बार्डर मूवमेन्ट) आर्डर, १९६३ (U. P. Gur Restriction on Border Movement Order, 1963) के साथ पठित डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स के नियम १२५ (९) (क) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। उन्हें ३०-१-६४ को प्रातः १०-२७ मिनट पर जिला जेल में भेजा गया। जेल भेजने के पूर्व उसी दिन उन्हें श्री एम० पी० जैन, मैजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया गया था।

**२---श्री कैलाश तथा श्री कल्पनार्थसिंह---

क्या यह सही है कि इन लोगों को जेल में उच्च श्रेणी नहीं दी गई और इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

उक्त व्यक्तियों को २-२-६४ के पूर्वाह्न से जेल में उच्च श्रेणी दी गई। यह सही नहीं है कि उनके साथ जेल में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया।

**३--श्री कैलाश तथा श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या सरकार मामले की पूरी जानकारी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मामले की रिपोर्ट संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८८० पर)

श्री कैलाश--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब वहां गिरफ्तारियां हुई थीं तो यह मालूम हो गया था कि इसमें श्री बांके लाल विधायक भी हैं ? अगर हां, तो उसी समय क्यों नहीं सुपीरियर क्लास दिया गया ? क्यों उनसे ४२ मील तक बिस्तर ढुलाया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यह मालूम हो गया था लेकिन ४२ मील दूर स्थान था और रात को आये और दूसरे दिन सुबह वायरलेस और चिट्ठी भी भेज दी गई यहां से। उनको रात को साढ़े ११ बजे बस से लाया गया, उसके बाद इत्तला यहां पर की गई है और नेक्स्ट मौर्निंग वायरलेस किया गया। यह गलत है कि उनसे बिस्तर ढुलवाया गया।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

जैसा मंत्री जी ने स्वयं बताया है कि २९ तारीख को गिरफ्तारी हुई और आप फ़रमा रहे हैं कि उसी दिन अदालत के सामने पेश किया गया और २ तारीख को उच्च श्रेणी में रखा गया। मैं जानना चाहता हूं कि जब इन सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह करने के पूर्व लिखित सूचना दे दी थी अपने पद के नाम के साथ फिर २९ से २ तरीख तक एम० एल० ए० और एम० ए० पास ऐसे व्यक्तियों को निम्न श्रेणी में क्यों रखा गया, और क्या यह भी मालूम है कि उन्हें अनशन भी करना पड़ा ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जिलाधीश दौरे पर थे और जैसे ही जिलाधीश आये उन्होंने इनका क्लासीफ़िकेशन कर दिया। पहली तारीख को जेल में सूचना पहुंचा दी गई, दूसरी को श्रेणी दे दी गई और ३ तारीख को छोड़ दिया गया। तो दुर्व्यवहार तो हुआ नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल या जेलर को जब मालूम हो जाता है कि कोई ऐसा आदमी है जो एम० एल० ए० या एम० पी० या भूतपूर्व मंत्री हो या ग्रेजुएट हो, अगर वह जेल में आता है तो उसी समय उसके साथ उच्च श्रेणी का व्यवहार करना चाहिये, ऐसा जेल मैनुअल में है। तो फिर विधायक जानते हुए, जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट या जेलर ने इनके साथ उच्च श्रेणी का व्यवहार क्यों नहीं किया ? सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यदि आप आज्ञा दें तो जेल मैनुअल पढ़ दूं....

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना है कि जब सुपरिंटेंडेंट जेल या जेलर को मालूम हो जाय कि अमुक व्यक्ति जो बन्दी किया गया है वह एम० एल० ए० है तो उसका कर्तव्य है कि उसी वक्त उच्च श्रेणी दे दे।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैं जेल मैनुअल पैरा २८५ पढ़ रहा हूं :

"The District Magistrate on his own motion or on a reference by a Magistrate competent to try or to commit to the Court of Session an unconvicted criminal prisoner and the Sessions Judge or the Assistant Sessions Judge hearing a case committed to him, may admit to the Superior class an unconvicted criminal prisoner, who, in his opinion, has by social status, education or habit of life been accustomed to a superior mode of living or whose character and antecedents, personal status, the nature of the oflence alleged to have been committed by him and the alleged motives inspiring it justify the same."

मेरे कहने का मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार है कि अपने मोशन पर या जो कोर्ट ट्राई कर रही है उसके कहने पर सुपरिंटेंडेंट या जेलर से कहें कि किसको क्या-क्या सुविधायें दी जायं।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

इस रूल के अनुसार जो आपने पढ़ा है, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने क्या-क्या सुविधायें दी हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसमें सुविधा का प्रश्न नहीं है। जैसे और पर्सोनेल रहते हैं वैसे ही उनको भी रखा गया। अब तो वे छूट गये हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट में कहा गया है कि वे ३ बजकर ३० मिनट पर गिरफ्तार हुए और एक बज कर १० मिनट पर रात को वे देवरिया पहुंचे जिसकी दूरी ४० मील मंत्री जी बताते हैं, तो साढ़े ३ बजे से १ बज कर १० मिनट पर कौन-सी बस गयी ? कितने बजे वह बस शिवरई से खुली और कितने बजे वह देवरिया पहुंची ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह सूचना तो मेरे पास नहीं है कि किस बस से आये, वह बस कितने बजे चली और कितने बजे वह पहुंची।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि मेरे पास सूचना नहीं है। अब इसका जवाब और क्या हो सकता है ?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री बांकेलाल जब गिरफ्तार हुये वारन्ट आफ एरेस्ट पर जिसमें सूचना थी कि श्री बांकेलाल, एम० एल० ए० हैं, तो जिलाधीश को उनका क्लासिफिकेशन करने और उनको सुपीरियर क्लास देने में देरी के क्या कारण हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जैसा मैंने अभी बताया यह तो कलेक्टर खुद अपने मोशन पर, या जो कोर्ट ट्राई कर रही हो उसके रेफैरेन्स पर या जब कलेक्टर के पास कोई प्रार्थना-पत्र पहुंचे तब वे क्लासिफिकेशन करते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

आदेश यह है कि जेलों के जो सुपरिंटेंडेंट होते हैं या जेलर होते हैं उन्हें अधिकार है कि क्लासिफिकेशन कर दें, जब उन को मालूम हो जाय कि कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य है या एम० पी० है। इस बात को जानते हुए भी कि श्री बांके लाल एम० एल० ए० हैं, जिला के अधिकारियों को क्लासिफिकेशन करने में इतनी देरी क्यों हुई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मैंने तो जेल मैनुअल आपके सामने पढ़ दी।

श्री कल्पनार्थसिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि शिवरई नामक स्थान जहाँ पर गिरफ्तारी हुई वहां एक ब्लाक प्रमुख भी गिरफ्तार हुये थे और एक एम० ए० पास व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया ? क्या जिस मैजिस्ट्रेट ने उनके वारंट पर हस्ताक्षर किए, उस मैजिस्ट्रेट ने क्या उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रैफर किया या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वहीं रहते हुये, इस मामले में कोई नोटिस नहीं ली ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जिलाधीश ने जब वे रात को दौरे से लौटे.....

श्री कल्पनार्थसिंह----

दौरे पर कहां गये थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

फिर उन को उच्च श्रेणी दे दी गयी।

श्री कैलाश--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसके पहले भी २३ जनवरी को कुछ गिरफ्तारियां हुई थीं और उन गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में वहां के मंत्री जी ने अध्यक्ष महोदय के पास, मुख्य मन्त्री जी के पास, विरोधी दलों के नेताओं के पास, यह सूचना दी थी कि हमारे साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं ? भूतपूर्व एम० एल० ए० श्री राम सुभग सिंह वर्मा, मंत्री, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की गिरफ्तारी के बाद बांकेलाल गिरफ्तार हुए उसके बाद मैंने और राम जी लाल एम० एल० सी० ने खुद जाकर जिलाधीश को कहा कि उन लोगों के साथ सुपीरियर क्लास का व्यवहार करें ? उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। उस पर जिलाधीश ने कहा कि मैं उनकी जांच करूंगा और जांच करके तब उनकी सूपीरियर क्लास दूंगा ? श्रीमन्, वहां के जिलाधीश इस पर तुले हुये थे कि उन को सुपीरियर क्लास नहीं देंगे और जब ऊपर से डंडा पड़ा है तो उन्होंने ऐसा काम किया है।

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना यह है कि जिलाधीश ने यह कहा कि पहले वह इसकी जांच करा लेंगे तब उनको सुपीरियर क्लास देंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय कल्पनार्थसिंह जी का प्रश्न यह था कि जब गिरफ्तारियां हुईं तो क्या जिलाधीश स्वयं उस स्थान पर मौजूद थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मेरे पास सूचना यह है कि रात को दौरे पर से लौट कर आये थे ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

जिलाधीश उस दिन या उसके एक दिन पहले किस स्थान पर दौरे पर गये थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री रामायणराय---

जिस समय माननीय सदस्य को जेल में दाखिल किया गया तो जाहिर है कि वारंट भी उनके साथ गया होगा कि वह अंडर ट्रायल प्रिजनर थे और उस वारंट पर माननीय बांकेलाल जी कौन हैं यह भी लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था इसकी जांच माननीय मंत्री जी ने कराई है ? जो वारंट माननीय सदस्य के साथ भेजा गया उसमें क्लासिफिकेशन लिखा हुआ था या नहीं ? माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उसी रात को आदेश भेजे गये और दूसरे उत्तर में यह कहते हैं कि ३ तारीख को उच्च श्रेणी दे दी गयी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह विरोधाभास क्यों है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मैंने यह नहीं कहा कि ३ तारीख को क्लासिफिकेशन हुआ । मैंने कहा कि ३ तारीख को वह जेल से रिहा कर दिये गये ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

क्या माननीय मंत्री भविष्य के लिये यह आदेश देंगे कि कोई सदस्य अगर भविष्य में गिरफ्तार हो तो उसे उच्च श्रेणी दी जाय ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

इस पर अवश्य विचार किया जायगा ।

भारतीय उद्योग प्रदर्शनी, लखनऊ से चित्र हटाना

**४---श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित), श्री बिपिनबिहारी तिवारी, (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित), श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) तथा श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजकल लखनऊ स्थित झंडेवाले पार्क में आयोजित भारतीय उद्योग प्रदर्शनी के शहीदों की झांकी कक्ष से सरकार द्वारा गुरुगोविन्द सिंह के बच्चों का दीवाल में चुनवाना तथा वीर हकीकत राय के बलिदान को प्रदर्शित करने वाले चित्रों को क्यों हटा दिया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

कथित चित्र प्रदर्शनी से इसलिये हटाए गये क्योंकि उनका प्रदर्शन करने में मुख्य नगर-अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ, द्वारा अमीनुद्दौला पार्क में प्रदर्शनी आयोजित करने के लिये जिन शर्तों पर स्वीकृति दी गयी थी, उनमें से एक शर्त का उल्लंघन किया गया था।

**५--श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित), श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित), श्री हरीशकुमार गंगवार तथा श्री राजेन्द्रसिंह--

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि भारतीय इतिहास की उक्त घटनायें विश्व के समस्त प्राणियों को अपने स्वधर्म पर डटे रहने की प्रेरणा देने वाली हैं फिर भी सरकार द्वारा हटा देने से सरकार के प्रति उत्तेजना व्याप्त हो रही है, तो क्या सरकार शीघ्र ही जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करने की कृपा करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जिस शर्त के उल्लंघन करने के बारे में उन्होंने कहा है वह शर्त क्या थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

अंग्रेजी में लिखा है उसे मैं पढ़े देता हूं--

"The exhibits to be placed in the exhibition will be allowed to be inspected by the City Magistrate well before they are displayed to the public and such of the exhibits as are not allowed by the City Magistrate will not be displayed."

वह एग्जिबिट्स लगाये जाने से पहले सिटी मैजिस्ट्रेट को दिखलाये जाने को थे और यह बात तय थी कि अगर उन पर आपत्ति होगी तो वे नहीं लगाये जायेंगे लेकिन उन्होंने इस चीज का उल्लंघन किया ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने सिटी मैजिस्ट्रेट को बकिया जितने चित्र थे वे सब दिखाये थे या नहीं और अगर नहीं दिखाये थे तो बकिया चित्रों को क्यों रहने दिया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

४६ चित्र लगाने की बात थी, सभी देखे गये लेकिन २ पर आपत्ति थी इसलिये उनके लिये मना किया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह प्रदर्शनी जो इस बार आयोजित की गई थी उसके आयोजक भी वही थे जो उस बदनाम प्रदर्शनी 'मां की पुकार' के थे और जिसको कि सरकार ने डी० आई० आर० लगाकर हटाया था और उस वक्त चूंकि देश के कुछ भाग में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे और यह चित्र जिनको कि हटाया गया वह उन दंगों को प्रोत्साहन देने वाले थे, इसीलिये उनको लगाने की इजाजत नहीं दी गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इसमें जो आपत्तिजनक चित्र थे उनकी कंडीशनल परमिशन दी गई थी और ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकता कि जिससे उत्तेजना हो इसीलिये सिटी मैजिस्ट्रेट ने कंडीशन लगाई थी कि उनकी फाइनल स्वीकृति की जरूरत होगी और इसी उत्तेजना के कारण आब्जेक्शन किया गया और उसके लिये मना किया गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

आप जानते हैं कि गुरु गोविन्दसिंह का बलिदान एक ऐतिहासिक घटना है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने गुरु गोविन्द सिंह के पुत्रों के बलिदान से संबंधित चित्र जो इधर-उधर छप रहे हैं, उन सब को भी जब्त करने का कोई आदेश दिया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इसमें जब्त करने का प्रश्न नहीं है बल्कि उन में जो चित्र सिटी मैजिस्ट्रेट, डी० वाई० एस० पी०, एस० पी० ने देखने के बाद आपत्तिजनक समझे और जिनसे शांति भंग की आशंका समझी उनकी इजाजत नहीं दी गई और इसकी रजामंदी नुमायश वालों ने स्वयं दे दी थी कि ऐसे चित्र हम नहीं लगायेंगे।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि आये दिन जो यह प्रदर्शनियों में चित्र लगाने के संबंध में वादविवाद होते हैं उनके अन्त के लिये क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आगे जो प्रदर्शनियां लगें उनमें मीरजाफर, जयचन्द और मेनन आदि की ही तस्वीरें लगाई जायं ताकि कोई विवाद ही न हो ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री नेकराम शर्मा--

इस तरह की जो कंट्रोवर्शियल एग्जिबिशन्स हैं उनको लगाने की सरकार इजाजत ही क्यों देती है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

उनको पहले से ही हम कट्रोवर्शियल कैसे मान लें, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन के नाम से और औद्योगिक प्रदर्शनी के नाम से प्रार्थना आती है तो उनको हम पहले से ही कैसे रोक सकते हैं ?

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

जो चित्र हटाये गये क्या वे ऐतिहासिक चित्र थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इतिहास से उनका संबंध अवश्य था लेकिन वह उस समय उत्तेजनात्मक समझे गये।

कुंवर श्रीपालसिंह--

गुरु गोविन्द सिंह के पुत्रों के बारे में सरकार की आकाश वाणी से देशभक्ति के प्रोग्राम प्रसारित किये जाते हैं, तो क्या यह सरकार उन पर भी रोक लगवाने की कृपा करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

गुरु गोविन्द सिंह जी व सिखों के जितने गुरु हैं वह सब भारत के राष्ट्रीय गुरु हैं और उनमें हम श्रद्धा रखते हैं लेकिन यदि उनके संबंध में ऐसे ढंग से चित्र प्रदर्शित किये जायं जिससे किसी प्रकार के कम्युनल तनाव की सम्भावना हो तो वे कितनी ही श्रद्धा के पात्र क्यों न हों उनकी तस्वीर रखकर हम तनाव का अवसर नहीं देंगे और न इससे उनकी महान आत्मायें ही सुखी होंगी।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपलानी)---

हमारा उद्देश्य है कि सब कम्युनिटीज सुख और शान्ति से रहें। कोई भी इस ढंग से प्रदर्शन किया जाय जिससे कम्युनल हारमोनी डिस्टर्ब हो यह मैं समझती हूं, कोई भी नहीं चाहेगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार को ज्ञात है कि उस प्रदर्शनी में बहादुरशाह जफर और हिन्दू, मुसलमान और और सिख, जिन्होंने देश के लिये बलिदान किया है उन सबके चित्र थे, तो इन्हीं ऐतिहासिक चित्रों में कौन सी ऐसी भावना दिखायी गयी थी जिससे उन्हें यह आभास हुआ कि साम्प्रदायिकता का खतरा है ?

श्री अध्यक्ष---

यह राय का सवाल है।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

राय का सवाल नहीं है.....

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें। आपने यह बताया कि अन्य चित्र भी वहां थे और उनमें और इस चित्र में कोई फर्क न था। आपकी राय एक है, उनकी राय दूसरी है कि वह दूसरे ऐसे चित्र थे जिससे साम्प्रदायिकता पैदा नहीं हो सकती है।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

उसको हमने देखा है। उसमें जो चित्र कैलेन्डरों में रहते हैं और बाजारों में बिकते हैं उसके अलावा कोई और चीज है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष---

आप ठीक कहते हैं। आपकी राय मैं मानता हूं। आपकी राय और उनकी राय में भेद है, मैं यह समझ रहा हूं।

जसवन्तनगर थाने में नवलपुर घटना की जांच

**६---श्री हरीशकुमार गंगवार, श्री राजेन्द्रसिंह तथा श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

क्या सरकार को ज्ञात है कि इसी सप्ताह में इटावा जिले के थाना जसवन्तनगर के थानेदार ने ग्राम नवलपुर के एक निरीह ग्रामीण डिप्टी सिंह को गोली मार कर कत्ल कर दिया है और अभी तक उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण जनता में भीषण असन्तोष व रोष व्याप्त हो गया है ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है और सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यह सही है कि गोली लगने के फलस्वरूप ग्राम नवलपुर के निवासी डिप्टी सिंह की मृत्यु हो गई है। जनता में असन्तोष व रोष के कोई लक्षण देखने में नहीं आये हैं। अब तक की जांच से यह पता चला है कि ग्रामवासियों ने ही पुलिस के ऊपर आक्रमण किया था अतः पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है। पुलिस पार्टी के लगभग सभी व्यक्तियों को चोटें आई हैं और थाना जवसन्त नगर के अफसर दोयम के सर पर गम्भीर चोटें आईं। इस घटना की मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८८१ पर)

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह गोली उनके शरीर के किस अंग पर लगी थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह सूचना तो अभी मेरे पास नहीं आयी है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जिन कालीचरण की दरख्वास्त की जांच करने के लिये अफसर लोग गये थे वह दरख्वास्त क्या थी और कितने पुलिस वाले अपना अमला लेकर वहां जांच करने के लिये गये थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह कुएं के बारे में झगड़ा था । कालीचरण उस कुएं पर पम्प लगाना चाहते थे और कहते थे कि यह मेरा कुआं है । चक्रपान का कहना था कि यह मेरा कुआं है । इसी पर उन्होंने अर्जी दी थी जिस पर पुलिस गयी थी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

वह कब्जा दिलाने के लिये कितने पुलिस वाले और किस-किस ओहदे के कितने-कितने अफसर वहां गये थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

दो सब-इंस्पेक्टर गये थे और कुछ कांस्टेबिलान गये थे ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को यह बात ज्ञात है कि जिस शख्स के गोली लगी थी, डिप्टी सिंह के, वह घर पर नहीं था और सब-इंस्पेक्टर ने उसकी मां से जा कर पूछा कि वह कहां है और मां नहीं बतला सकी उस पर उस पुलिस इंस्पेक्टर ने मां को गालियां दीं और उसके साथ मारपीट भी की ? उसके बाद डिप्टी सिंह आया तो उसने उस सब-इंस्पेक्टर को भला-बुरा कहा जिस पर उन्होंने गोली मार दी, ऐसी कोई सूचना है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मेरी सूचना के मुताबिक यह बात गलत है । वह तो वहां मौजूद थे वरना गोली कैसे लग जाती ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जिस दिन जांच के लिये सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबिलान गये थे उस दिन झगड़ा नहीं हुआ बल्कि कहासुनी हो जाने के बाद दूसरे दिन काफी तादाद में पुलिस लेकर गये और झगड़ा किया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, ऐसी कोई सूचना नहीं है । उसी समय झगड़ा हुआ है और पुलिस ने बीच बचाव किया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब गाली-गलौज से कोई स्थिति पैदा नहीं हुई कि गोली चलाई जाय तो कौन-सी स्थिति पैदा हो गई जिसके कारण गोली चलानी पड़ी और डिप्टीसिंह की मृत्यु हुई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

१५-२० आदमी दोनों तरफ के लाठी, कांता वगैरह लेकर आये और झगड़ा होने लगा तो पुलिस ने बीच-बचाव किया। इसके बाद उन्होंने हमला कर दिया जिससे दरोगा जी के चोट लगी, सिपाहियों के चोट लगी और श्री शर्मा के गम्भीर चोटें आईं जिससे वे बेहोश होकर गिर गये। फिर हवाई फायर किया और वार्निंग दी और देखा कि ये सबको मार देंगे तो गोली चलाई।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कालीचरण की पार्टी के लोगों के भी चोटें आई हैं? यदि हां, तो कितनों के आई हैं?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, मेरी जानकारी में यह है कि डिप्टीसिंह की मां को दरोगा जी ने बुरा-भला कहा। इसके बाद वह आया और अपनी मां के अपमान के कारण दरोगा जी को डांटना शुरू किया तो गोली चलाकर मार दिया। क्या मंत्री जी इसकी जांच सी० आई० डी० के किसी उच्च अधिकारी से करायेंगे जिससे पूरा विवरण सामने आ जाय?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, मैजिस्ट्रेट को जांच सुपुर्द कर दी गई है, जिलाधीश और पुलिस कप्तान वहां हो आये हैं। जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा हो रही है।

होली से पहले वेतन देने की सिफारिश

**७-श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर), श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी) तथा श्री रियासत हुसैन--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६४ के मास फरवरी की आखिरी तारीखों में २७,२८ तथा २९ फरवरी, १९६४ को होली की छुट्टियां पड़ रही हैं और १ मार्च, १९६४ को इतवार की छुट्टी है इससे होली से पहले २६ फरवरी, १९६४ को सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिलाने की आज्ञा सरकार देने की कृपा करेगी जिससे होली का त्योहार पूर्ण रूप से मनाया जा सके?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

यह ठीक है कि सन् १९६४ के माह फरवरी के आखिरी तारीखों में २७, २८ व २९ को होली की छुट्टियां हैं और पहली मार्च को इतवार पड़ रहा है। जहां तक वेतन का संबंध है, २६ फरवरी १९६४ को सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना नियमानुकूल नहीं होगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मंत्री जी विचार करेंगे कि होली का त्योहार हिन्दुओं के लिये एक राष्ट्रीय त्योहार है और २६ से २९ तक छुट्टी है और पहली मार्च को इतवार है, इसलिये वे ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कर्मचारियों को पहले ही वेतन मिल जाय?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

ऐसा पहले कभी-कभी हुआ है कि इस तरह की छुट्टियों में कर्मचारियों को पहले वेतन दे दिया गया है लेकिन उनकी ओर से मांग आई है कि हमें पहले वेतन दे दिया जाय। नियमों में शिथिलता लाकर उनको वेतन दिया गया है। इस बार कोई मांग नहीं आई है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय तथा श्री चन्द्रजीत यादव--

आई है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अभी तक मेरे पास नहीं आई है। मैं जरूर इस पर विचार करूंगा।

मुरादाबाद-बरेली सड़क

**८--श्री रियासत हुसैन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतायेंगे कि मुरादाबाद से बरेली तक कोई नई मोटर रोड बनाने की स्कीम है? यदि हां, तो उस स्कीम पर कितना रुपया खर्च में आयेगा और कौन-कौन-सी नदी के नये पुल बनाये जायंगे?

सार्वजनिक निर्माण-मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--

ऐसी कोई योजना नहीं है।

**९--श्री रियासत हुसैन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतायेंगे कि जब बरेली से मुरादाबाद को एक अच्छी पक्की सड़क मौजूद है तो नई सड़क बनाने की क्या आवश्यकता हुई?

श्री जगनप्रसाद रावत--

प्रश्न नहीं उठता।

**१०--श्री रियासत हुसैन--

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इस नई सड़क के बन जाने के बाद पुरानी सड़क का क्या होगा? वह बन्द कर दी जायगी या चालू रहेगी? और जो सम्पत्ति सड़क के दोनों तरफ है उसकी रक्षा का क्या प्रबन्ध होगा?

श्री जगनप्रसाद रावत--

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मंत्री जी ने जबाब दिया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, तो क्या मंत्री जी को मालूम है कि रामपुर और मुरादाबाद के बीच जो इलाका है उसमें रेलवे लाइन के दक्षिण में नाप होकर तूदे बना दिये गये हैं और किसानों से कह दिया गया है कि वे आगे फसल न बोयें क्योंकि यहां सड़क बनायेंगे और कोसी के पुल पर सामान पहुंच गया है और काम भी शुरू हो गया है सड़क बनाने के लिये? क्या मंत्री जी को इसकी सूचना है और इसको सामने रख कर अपने जवाब से शामिल करेंगे कि ऐसी कोई योजना नहीं है?

श्री जगनप्रसाद रावत--

ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

(श्री रियासत हुसैन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप कहते हैं कि वहां सड़क बन रही है और वे कहते हैं कि हमारे यहां योजना नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सरकारी कर्मचारियों की मांगें

*१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की ओर से २ माह के अन्दर मांग आई है कि उनके वेतन में ३० रुपये मासिक और बढ़ा दिया जाय ? यदि हां, तो उसके साथ और कौन-कौन-सी मांगें हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। विभिन्न प्रकार की मांगें आई हैं जिनमें मुख्य इस प्रकार हैं—

(१) महंगाई भत्ते में ३० रु० प्रतिमास की वृद्धि की जाय।

(२) वेतन तथा सेवा आयोग की स्थापना की जाय।

(३) ४५१ रु०—१,००० रु० प्रति मास वेतन पाने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाय।

(४) मुख्य शहरों में सिटी कम्पेन्सेटरी अलाउन्स, हाउस रेंट अलाउन्स या कार्पोरेशन अलाउन्स दिया जाय।

(५) राशन की दूकानों में अनाज की उचित मूल्य पर वितरण व्यवस्था की जाय, और

(६) राज्य सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार के वेतन क्रमों तथा महंगाई भत्तों की दरों के अनुसार वेतन तथा महंगाई दी जाय।

*२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार प्रदेश में महंगाई बढ़ती हुई देख कर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों तथा चपरासी के वेतन तथा भत्ते को बढ़ाने का इरादा कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सरकार ने १ अप्रैल, १९६४ से महंगाई भत्ते में ५ रु० प्रतिमास वृद्धि करने का तथा ४५१ रु० से ८५० रु० प्रतिमास वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ४० रु० प्रतिमास महंगाई देने का प्रस्ताव १९६४–६५ के बजट में शामिल किया है। इसके साथ ही साथ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन क्रम तथा सेवा संबंधी मामलों पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का भी निश्चय किया है।

*३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रान्तीय सरकार के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों का एक जुलूस लखनऊ नगर में ३ फरवरी, १९६४ को निकाला था तथा उन्होंने मुख्य मंत्राणी जी को एक मांग-पत्र विधान भवन के समक्ष प्रदर्शन करके दिया था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। इन्होंने भी वेतन आयोग की नियुक्ति तथा महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग की थी। इन मांगों पर सरकार का निश्चय प्रश्न २ के उत्तर में बता दिया गया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या सरकार ने वेतन तथा सेवा आयोग की स्थापना की कोई तिथि निश्चित की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैं समझा नहीं।

श्री कल्पनाथसिंह--

जो समिति मुकर्रर करने की घोषणा की है वह कब तक मुकर्रर होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैं समझता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष के आरम्भ में हो जायगी, शुरू में ही, बहुत जल्दी ही।

श्री कल्पनाथसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो कर्मचारियों की मांगें हैं कि मुख्य शहरों में सिटी अलाउंस दिया जाय और दूसरे तरह के अलाउंस दिये जायं, इस पर सरकार ने कोई विचार किया है, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए, सरकार इन मांगों को मानने में क्यों असमर्थ रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मांगों पर तो बहुत विचार होता रहा है। जैसी हमारी वित्तीय स्थिति है उसमें जितना सम्भव हुआ, इस समय करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो समिति बिठाली जा रही है वह सरकारी कर्मचारियों के वेतन के संबंध में विचार करेगी लेकिन जो सेमी गवर्नमेंट है, स्थानीय निकाय, प्राइवेट स्कूल्स, और जो उद्योग सरकार द्वारा नियन्त्रित हैं उनके संबंध में वह क्या सोच रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं, यह उन लोगों के सम्बन्ध में है जो सरकार के बजट से अपना वेतन पाते हैं।

श्री नेकराम शर्मा--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साढ़े चार सौ से साढ़े आठ सौ तक ४० रुपया महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया, लेकिन गरीब कर्मचारियों का केवल ५ रुपये बढ़ाया इसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

कारण उसमें विशेष सोचने का नहीं है। ४५० से ८५० रुपये तक वालों को अभी तक एक पैसा भी भत्ता नहीं मिलता था, हमारी महंगाई भत्ते की सीमा ४५० रुपये पर खत्म हो जाती थी। उसके नीचे महंगाई भत्ता मिलता ही है। तो जैसे आप देखें ५० रु० तक पाने वालों को ३३ रुपये मिलता था, वह ३८ रुपये हो गया। उसके बाद १५० रुपये पाने वालों को ३५ रुपये मिलता था, वह ४० रुपये हो गया। करीब-करीब भत्ता एक लाइन में आ रहा है। खाली सीमा बढ़ गयी है इसलिए ४० रुपये दिखायी देता है।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि त्रिदलीय सम्मेलन में इस सिद्धान्त को मान लिया गया है कि महंगाई भत्ता जो महंगाई के आंकड़े हों उनके साथ लिंक होना चाहिये और आजकल जब महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है तो उस हालत में ५ रुपया बढ़ाना तो कोई मान नहीं रखता है, पांच रुपया आपने आज बढ़ाया और चार दिन बाद उससे ज्यादा चीजों के दाम बढ़ गये तो वह इस पर दुबारा कंसिडर करेंगे कि सरकार के यहां महंगाई भत्ता बहुत कम मिलता है, और इसको महंगाई के आंकड़ों के साथ लिंक किया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है यह बहुत बड़ा व्यापक प्रश्न है कि प्राइस इंडेक्स के साथ वेतन भी हो जाय और भत्ता भी हो जाय, किन्तु अभी उस पर गौर करने का अवसर ही नहीं है क्योंकि अगर यह गौर करने लगें तो शायद गाड़ी चलाये चले ही न।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

हरिजनों को सिंचाई अनुदान

*१—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में सन् १९६२–६३ एवं चालू वर्ष में सरकार द्वारा लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कितना-कितना अनुदान दिया गया है और उक्त अनुदानों में से कितने रुपये हरिजनों एवं कितने गैर-हरिजनों को अनुदान के रूप में दिये गये ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

† वांछित सूचना जो अभी तक उपलब्ध हो पाई है, संलग्न है।

श्री माताप्रसाद—

माननीय मंत्री जी को सूचना है कि लघु सिंचाई योजना के लिए जो ऋण इतनी अधिक मात्रा में दिया जाता है किसान उसका इस काम में उपयोग न करके और कामों में उपयोग कर लेता है, तो किसान इसका सदुपयोग करे, इसके लिए सरकार कौन-सा कदम उठाने जा रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सदुपयोग के लिए तो यह ऋण दिया ही जाता है और ऋण देने के बाद जब काम पूरा हो जाता है तो उस पर परसेंटेज आफ सब्सिडी दे देते हैं। अगर कोई दुरुपयोग किया जाता है तो यह तो देखने की बात है। यह सारा रुपया सदुपयोग के लिए ही है।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

जो आप ऋण देते हैं उसमें क्या कोई ऐसी भी योजना है कि सरकार अपनी तरफ से सिंचाई के ये साधन कुएं वगैरह बनवा दे और फिर उसकी वसूली किसानों से लगान की शक्ल में कर लें ताकि किसान उस रुपये का इस्तेमाल दूसरे तरीके से न कर सके और आपका सिंचाई का मसला भी हल हो जाय ?

---

†छापी नहीं गई।

नियोजन मंत्री (श्री राममूर्ति)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय बलवान सिंह जी ने बात कही यह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके दो पहलू हैं। सरकार यह छोटे काम भी करा सकती है लेकिन इस तरह के कामों में एक दिक्कत तो करप्शन की आ जाती है। सरकार की एजेंसी से कोई काम कराया जाता है तो बहुत बड़ी-बड़ी चर्चा होती है कि सीमेंट गलत लगा, ईंटें गलत लगीं और यह इतना व्यापक काम हर एक ब्लाक के अन्दर है कि जिसमें काफी परेशानी है, इतना परसोनेल भी नहीं है। और हम चाहते हैं कि लोगों के अन्दर स्वालम्बन पैदा हो, खुद ही दिलचस्पी लें वह इन छोटे-छोटे कामों में। जहां तक टेक्निकल हेल्प की बात है पी० आर० ए० आई० की तरफ से कुछ स्कीम बनी है, उसकी मदद से ये कुएं आसानी से बनाये जा सकते हैं और सिंचाई का काम भी आगे चलाया जा सकता है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

सरकार ने पूरे प्रदेश में लघु सिंचाई के लिए एक ही स्केल मुकर्रर किया है और इस प्रदेश में तमाम जगहें ऐसी हैं कि जिनमें जितना रुपया आप कर्जा देते हैं उतने में कुए नहीं बन पाते, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, इसलिए काश्तकार वह पैसा लेकर उन स्कीमों को छोड़ देता है, तो क्या सरकार इस बात पर तैयार है कि भ्रष्टाचार और तमाम शिकायतों के बावजूद भी इस प्रदेश में मेसोनरी वेल्स अपनी तरफ से बनवाये और ग्राम सभा तथा काश्तकारों से पैसा वसूल करे ताकि सिंचाई की योजना आगे बढ़ सके ?

श्री राममूर्ति—

यह विचार करने की बात है। इसके ऊपर विचार किया जा सकता है।

श्री माताप्रसाद—

मंत्री जी बतायेंगे कि यदि इसमें दिक्कत होती है कि सरकार उसको बनवाये तो सरकार उनको मैटीरियल दे, रुपया न देकर के सामान दे जिससे वह किसान लघु सिंचाई योजना को पूरा कर सकें, इस पर वह विचार करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

अगर अध्यक्ष महोदय, दिल में कोई गड़बड़ी है तो कोई भी चीज हम दे दें सबमें गड़बड़ी पैदा की जा सकती है और दिल साफ है तो सब काम हो सकता है।

श्री अहमदबख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री महोदय ऐसा आदेश जारी करेंगे कि जब हर विकास क्षेत्र में ओवरसियर मौजूद हैं तो जब मैसोनरी वेल्स बनें उनकी देखरेख में ही बनें और वह देखें कि काम सही हो रहा है या नहीं ?

श्री राममूर्ति—

यों तो ओवरसियर देखते ही हैं लेकिन जिन बातों की तरफ मैंने इशारा किया है वह भी माननीय सदस्यों को ध्यान में रखनी चाहिये।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि सिंचाई के लिये जो कुएं बनाये जाते हैं उनका सामान ले जाने के लिये दूर-दूर तक किसानों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जो ट्यूबवेल और कैनाल की सर्विस रोड्स हैं उनका इस्तेमाल यदि विकास के कार्य के लिये सामान ले जाना पड़े तो काश्तकार कर सकें ?

श्री राममूर्ति--

कोई कहीं से इस प्रकार की मांग आती है तो उसकी इजाजत दे दी जाती है । वैसे तो जो साधन गांवों में सामान ले जाने के हैं उनके जरिये सामान जाता रहता है और काम चलता रहा है । उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये ।

वाराणसी जिले में जन-स्वास्थ्य अधिकारियों का वेतन भुगतान

*२--श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार को पता है कि वाराणसी जिलान्तर्गत कितने ऐसे जन-स्वास्थ्य सहायक विकास अधिकारी हैं जिनका ३ मास से अधिक का वेतन नहीं मिला है उनके नाम और कितने महीने का वेतन नहीं मिला इसका विवरण देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

वाराणसी जिलान्तर्गत ऐसा कोई सहायक विकास अधिकारी नहीं है जिसका ३ माह से अधिक का वेतन बाकी हो । जन स्वास्थ्य विभाग के अधीन सभी सहायक विकास अधिकारियों का ३१-१-१९६४ तक का वेतन दिया जा चुका है ।

श्री गयाप्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मेरे प्रश्न करने की तिथि के पहले उनका ३ महीने से अधिक का वेतन बाकी था ?

श्री अध्यक्ष--

आपने दिलवा दिया तो क्या बुरा किया ?

श्री गयाप्रसाद--

उस तिथि को बकाया था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

वह गलती उन्होंने पूरी कर दी ।

जिला अस्पताल, फर्रुखाबाद के विरुद्ध शिकायत

*३--श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अस्पताल, फर्रुखाबाद के सिविल सर्जन के हेड क्लर्क के विरुद्ध यह शिकायत की गई है कि वह अस्पताल के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं व रिश्वत लेते हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)--

जी हां, जांच कराई गई, शिकायतें निराधार पाई गईं ।

*४--श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन्हीं हेड क्लर्क का तबादला किया गया और फिर रोक दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां। उनके विरुद्ध शिकायतें होने पर तबादला किया गया था परन्तु शिकायतें जांच पर निराधार पाई जाने से उनका तबादला रोक दिया गया।

*५--श्री राजेन्द्रसिंह यादव (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अस्पताल, फर्रुखाबाद में कितने डाक्टर हैं और सर्जरी का काम कौन करता है ? क्या यह ठीक है कि इन डाक्टरों में से जो डाक्टर सर्जरी का कार्य करते हैं उनका हाथ कांपता है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्य-वाही कर रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

तीन, सर्जरी का कार्य सिविल सर्जन व जिला अस्पताल के चिकित्साध्यक्ष करते हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बिशुनगढ़ तालाब से जल-निकासी

*६--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या विकास मंत्री को इस बात की जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ विकास क्षेत्र में बिशुनगढ़ के तालाब से बरसाती पानी निकालने के लिये एक सरकारी नाला (खारजा) बना हुआ है, लेकिन इसके आखिर में जहां पर खारजा दूसरे नाले में गिरता है वहां पर खारजा दो-तीन फर्लांग कम गहरा और चौड़ा है ? यदि हां, तो क्या तालाब का पानी न निकालने से बिशुनगढ़ व आसपास के मजरे पानी से डूब जाते हैं और मकानों के गिरने के अलावा फसल चौपट हो जाती है ?

श्री राममूर्ति--

बिशुनगढ़ तालाब से बरसाती पानी निकालने के लिए एक नाला खारजा बना हुआ है किन्तु यह नाला एक दूसरे नाले में न गिरकर स्वयं ईसन नदी में गिरता है। मोरानपुर के आगे नदी में गिरने के स्थान तक लगभग साढ़े पांच मील लम्बा है। उदयपुर के आगे इस नाले का रूप प्राकृतिक है तथा इसी स्थान पर लगभग दो फर्लांग नाले में पथरी है और कुछ टेढ़ा-मेढ़ा भी है। इसके अतिरिक्त उदयपुर के काश्तकार इस नाले पर सिंचाई के लिए तथा नाला पार जाने के लिए स्थान-स्थान पर बांध लगा देते हैं जिससे सरल प्रवाह में रुकावट आ जाती है। गत दो तीन वर्षों से ही गांव में तालाब का पानी पहुंच जाता है किन्तु मकानों आदि के गिरने की क्षति नहीं हुई परन्तु फसल को नुकसान होता है।

*७--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (अनुपस्थित)--

अगर हां, तो क्या मन्त्री महोदय इसकी शीघ्र ही उचित व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--

पानी के प्रवाह को सरल करने के लिए नाले की पथरी काटने की व्यवस्था छिबरामऊ ब्लाक द्वारा श्रमदान से की जा चुकी है।

[१९ फरवरी, १९६४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१--श्री होरीलाल यादव--

[४ मार्च, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, मैनपुरी

*२—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी में जो (आई० टी० आई०) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र है उसमें लुहारगीरी की पिछले साल शिक्षा दी जाती थी लेकिन इस साल लुहारगीरी की शिक्षा बन्द कर दी गयी है ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जी नहीं ।

*३—श्री गणेशचन्द्र काछी—

जिन लड़कों ने पिछली एक साल में लुहारगीरी की शिक्षा पायी थी, उन विद्यार्थियों के लिए अध्यापक की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है ? यदि हां, तो यह कब तक कर दी जायगी ?

श्री बनारसी दास—

अध्यापक की व्यवस्था १० दिसम्बर, १९६३ से कर दी गई है ।

*४—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—

[हटा दिया गया ।]

*५-६—श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा) तथा श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)—

[४ मार्च, १९६४ के लिए स्थगित किये गये ।]

*७-९—श्री राजेन्द्रसिंह—

[४ मार्च, १९६४ के लिए स्थगित किये गये ।]

*१०-११—श्री अहमद बख्श—

[४ मार्च, १९६४ के लिए स्थगित किये गये ।]

कोष विभाग के कर्मचारियों का वेतन

*१२—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९६१ ई० से कलेक्टरी के सभी कर्मचारियों का ५ रुपया एडहाक पे (तनख्वाह) जो दी जा रही है, वह खजांचियों को कब से मिलने लगेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित वेतन वृद्धि १ जनवरी, १९६२ से हुई थी। यह वेतन वृद्धि केवल राज्य कर्मचारियों के लिये ही स्वीकृत हुई है । खजानों के कोष विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारी गवर्नमेंट ट्रेजरार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और वे उसके व्यक्तिगत कर्मचारी समझे जाते हैं । अतएव वे उक्त वेतन वृद्धि पाने के अधिकारी नहीं हैं ।

श्री बलवानसिंह—

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ५ रुपये की वृद्धि जो छोटे-छोटे कर्मचारियों के वेतन में की गई है, क्या यह डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है जिसका उनकी सरकार नारा लगाती है, उसके आधार पर की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह प्रश्न इस सवाल से उठता नहीं है ।

*१३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[४ मार्च, १९६४ के लिए स्थगित किया गया ।]

मुसलमानों की जायदाद के लिए क्लियरेन्स सर्टिफिकेट

*१४—श्री अहमद बख्श—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इंस्पेक्टर जनरल आफ रजिस्ट्रेशन का या उत्तर प्रदेश सरकार का कोई ऐसा आदेश है कि जो कोई हिन्दुस्तानी मुसलमान अपनी जायदाद का किसी को बैनामा रजिस्ट्री कराना चाहे तो वह सब-रजिस्ट्रार के सामने रिजर्व बैंक आफ इंडिया का सार्टिफिकेट पेश करे कि उसकी उपरोक्त जायदाद का कस्टोडियन से कोई ताल्लुक नहीं है वह व्यक्ति हिन्दुस्तानी शहरी भी है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उस आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

श्री अहमद बख्श—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उस आदेश के न होने के बावजूद भी लोगों को यह कह कर हैरेस किया जाता है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया का सार्टिफिकेट लाओ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, भारतीय मुसलमानों पर कोई प्रतिबन्ध हो ऐसा कोई आदेश नहीं है लेकिन एक आदेश है जो इसलिये जारी किया गया कि कुछ पाकिस्तानी नेशनल हैं जिनकी सम्पत्ति यहां पर है, वह अपनी सम्पत्ति बेचकर रुपया यहां से ले जाते थे । तो यहां बहुत दिन हुये भारत सरकार ने ऐसा आदेश फौरन एक्सचेन्ज रूल के मुताबिक दिया कि कोई विदेशी नागरिक इस आदेश के मुताबिक अपनी सम्पत्ति बेचकर यहां से रुपया न ले जा सके । ऐसे लोग अगर हैं तो इस बात की रजिस्ट्री होते हुये भी इस बात को देखना चाहिये कि वह भारतीय नागरिक है अथवा नहीं । अगर नहीं हो तो यह प्रतिबन्ध उन पर लगना चाहिये जो कि खरीदने वाला है, उसको बतलाना चाहिये कि किस तरह की जायदाद वह खरीद रहा है । यह आदेश बहुत दिन हुये हुआ था । क्योंकि ऐसी बहुत-सी घटनायें यहां हुईं और कोई विदेशी नागरिक अगर अपनी संपत्ति बेच कर रुपया ले भी जाये तो डाइरेक्टली वह अपना कैपिटल नहीं ले जा सकता, इसलिये कि जो फारेन एक्सचेंज बैंक होते हैं उन्हीं के माध्यम से एडजस्टमेंट होता है, तो उन के लिये यह आदेश रहे हैं कि अगर किसी के संबंध में संदेह हो कि वह इस देश का नागरिक नहीं है तो उससे प्रमाण-पत्र ले लिया जाय कि वह कहां का नागरिक है । तो यह आदेश विदेशी नागरिक जो यहां हैं उन पर रोक लगाने के लिये है । जो भारतीय मुसलमान यहां हैं उन पर रोक लगाने के लिये यह नहीं है ।

श्री अहमद बख्श—

जो मुसलमान भारतीय नहीं हैं उन के लिये अवश्य प्रतिबन्ध होना चाहिये, लेकिन जो भारतीय नेशनल हैं उनको इस आड़ में परेशान न किया जाय । जब १९५५ में एक कानून बन चुका है और उसके बाद उनको सिटिजनशिप के हकूक मिल गये हैं तो फिर उनको परेशान करना ठीक नहीं है । तो इस के लिये क्या मंत्री जी कोई नये आदेश जारी करेंगे कि उनको परेशान न किया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

उनको परेशान करने के कोई आदेश नहीं हैं। उनको परेशान करना नहीं चाहिये। अगर कहीं संदेह हो जाता है किसी के संबंध में रजिस्ट्रार को कि वह हिन्दुस्तान का नागरिक नहीं है तो वह प्रमाण-पत्र मांगता है। यह आदेश बार-बार जारी किये जा चुके हैं और अगर माननीय सदस्य इस के लिये कोई प्रमाण प्रस्तुत करेंगे तो मैं जांच करा लूंगा और आवश्यकता होगी तो नये आदेश जारी कर दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं एक क्लैरिफिकेशन कर दूं कि माननीय वित्त मंत्री ने शायद गलत इत्तला दी है। कस्टोडियन जनरल के यह आदेश सारे हिन्दुस्तान के मुसलमानों के लिये हैं और वे सही हैं कि मुसलमान चाहे पाकिस्तानी हो या हिन्दुस्तानी, अगर अपनी जायदाद बिक्री करता है तो उसको रिजर्व बैंक आफ इंडिया से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और वह इसलिये.....

श्री अध्यक्ष---

आप बहस न कीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र---

यह बात सही है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

उनका कहना है कि यह एक आम आर्डर है कि अगर मुसलमान अपनी जायदाद बेचना चाहे तो उसे क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह गलत है। ऐसा कोई आर्डर यहां से नहीं हुआ।

*१५-१७---कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)---

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

भानपुर सहकारी समिति में गबन

*१८-श्री मेड़ीलाल (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्षेत्रीय सहकारी समिति, भानपुर, जिला बस्ती में कितने का गबन है ?

श्री बनारसीदास---

संबंधित समिति में कुल ८,९६० रुपया ६७ नये पैसे के गबन का पता चला है।

*१९---श्री मेड़ीलाल (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्षेत्रीय सहकारी समिति और सहकारी संघ भानपुर के कितने लोग ३ वर्ष से बकायादार हैं, और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बनारसी दास---

क्षेत्रीय सहकारी समिति भानपुर के १६ सदस्य तथा सहकारी संघ भानपुर के ८ व्यक्ति ३ वर्ष से बकायादार हैं।

उपरोक्त दोनों समितियों के बकायादार सदस्यों पर डिग्री प्राप्त कर ली गई है और वसूली की अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

*२०—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (अनुपस्थित) तथा श्री मैनेजरसिंह—

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

छिबरामऊ जनाना अस्पताल को दवाइयां

*२१—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (अनुपस्थित) तथा श्री मैनेजरसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छिबरामऊ फर्रुखाबाद जनाना अस्पताल के प्रारम्भ से अब तक (४ जनवरी, १९६४) कितने रुपये की दवाइयां सरकार की तरफ से दी गई और कितनी खर्च हुई ? क्या यह सही है कि इस अस्पताल में दवाइयां भी कम हैं जिससे इस अस्पताल में मरीज कम दाखिल होते हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह चिकित्सालय २६ जून, १९६३ से प्रारम्भ हुआ। उस समय से ४-१-६४ तक इसको दवाइयों के लिये १,२५० रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से १,०६३ रुपये ३७ नये पैसे की दवाइयां खरीदी जा चुकी हैं और खर्च कीजा रही हैं। यह कहना सही नहीं है कि इस चिकित्सालय में दवाइयों की कमी है और इसलिये यहां मरीज कम दाखिल होते हैं।

*२२—श्री होरीलाल यादव तथा श्री मैनेजरसिंह—

[४ मार्च, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

जिन्दा अजायबघर, लखनऊ

*२३—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में जिन्दा अजायबघर देखने वालों से टैक्स लिया जाता है ? उसकी आमदनी पहली अप्रैल, १९६३ से लेकर जनवरी, १९६४ तक कितनी हुई ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना—

लखनऊ के जिन्दा अजायबघर देखने वालों से प्रवेश शुल्क लिया जाता है जिसकी आमदनी १ अप्रैल, १९६३ से ३१ जनवरी, १९६४ तक कुल रु० ५८,८०१.५६ न० पै० थी।

*२४—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

इन टिकटों को बेचने के लिये कितने बुकिंग क्लर्क्स नियुक्त हैं और उनकी हर एक की मासिक तनख्वाह मय गरानी एलाउन्स क्या-क्या है ? हर गेट पर टिकट देखने के लिये कितने-कितने चपरासी हैं और इनकी क्या-क्या तनख्वाहें और गरानी एलाउन्स हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

५ बुकिंग क्लर्क्स हैं। प्रत्येक की तनख्वाह महंगाई भत्ता सहित लगभग ७० रु० माहवार है। हर गेट पर एक से लेकर ३ चौकीदार हैं। प्रत्येक चौकीदार की तनख्वाह महंगाई सहित लगभग ६५ रु० माहवार है।

*२५—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

इस जिन्दा अजायबघर में कितने कर्मचारी छोटे से लेकर बड़े आफिसर तक हैं और इस में से प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों को कितना-कितना वेतन तथा गरानी एलाउन्स मिलता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कुल ८३ कर्मचारी हैं। प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन तथा महंगाई भत्ता संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८८२ पर)

अयोध्या डिस्टिलरी, जिला मुरादाबाद का रजिस्ट्रेशन

*२६—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या श्रम मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि अयोध्या शुगर मिल मजदूर सभा और अयोध्या डिस्टिलरी, जिला मुरादाबाद की यूनियन के रजिस्ट्रेशन के कागजात लेबर कमिश्नर को किस तारीख को प्राप्त हुये और क्या उनकी इंक्वायरी हो चुकी है? यदि हां, तो किस तारीख को और किस स्थान पर और यूनियत को अभी तक रजिस्टर क्यों नहीं किया गया?

श्री बनारसीदास—

कागजात क्रमशः २४ और २७ अगस्त, १९६३ को प्राप्त हुये। इनके सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच २५ जुलाई, १९६३ को यूनियन के कार्यालय में कराई गई।

आवेदन-पत्रों में कुछ कमियां होने के कारण उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सका है।

*२७—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि ऊपर लिखित यूनियन के प्रधान और मंत्री श्री राम गोपाल गुप्ता को मिल मालिक ने किस तारीख को और किन कारणों से जबरदस्ती नौकरी से अलग कर दिया?

श्री बनारसीदास—

शासन को उपलब्ध सूचना के अनुसार उन्होंने स्वेच्छा से दिनांक २६-७-१९६३ को बुरा स्वास्थ्य होने के कारण इस्तीफा दिया है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या माननीय श्रम मंत्री यह बतायेंगे कि रजिस्ट्रेशन के फार्म और जो कागजात गये हैं उनमें कौन-कौन-सी त्रुटियां हैं जिनके कारण उस यूनियन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका?

श्री बनारसीदास—

ट्रेड यूनियन्स के अनुसार आवश्यक हो जाता है कि उसका वेरिफिकेशन किया जाय कि जिन लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिया है वास्तव में वह प्रार्थी हैं भी या नहीं। इसमें जो प्रार्थना-पत्र दिया गया उसके व्यक्ति इस प्रकार के थे, उन्होंने एफिडेविट इस तरह का फाइल किया कि वह दूसरी यूनियन के सदस्य हैं और वह उस समय इस यूनियन के अन्दर शामिल नहीं थे, न उन्होंने कोई प्रार्थना-पत्र दिया।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

मेरी जानकारी यह है कि इस यूनियन का रजिस्ट्रेशन इसलिये नहीं हुआ कि स्थानीय इनटक के जो नेता हैं और कांग्रेस से सम्बद्ध हैं वह जानबूझकर इस सम्बन्ध में रोड़ा अटका रहे हैं, तो त्रुटि नहीं है इसबात की जानकारी करायेंगे ताकि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाय?

श्री बनारसीदास—

यह तो सत्य नहीं है कि दूसरी आई० एन० टी० यू० सी० की यनियन बाधा डाल रही है। जैसा कि मैंने कहा, एफिडेविट है, लेकिन बाद में जिन व्यक्तियों ने कहा कि हम पर दबाव

डाल कर साइन करा लिये अभी तक उनका एफिडेविट इस प्रकार का नहीं है। जिन व्यक्तियों ने दोनों प्रकार से लिखा है तो जब हमारा लेबर इंसपेक्टर जाय वेरिफिकेशन के लिये तो वहां अगर स्पष्टीकरण दे दें तो रजिस्ट्रेशन में सहायता मिलेगी।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

पहले रजिस्ट्रेशन में इतनी दिक्कत नहीं होती थी, तो यह देखते हुये कि खास तौर से शुगर इंडस्ट्री या आई० एन० टी० यू० सी० कुछ न कुछ बहाना डाल कर अड़चन पैदा करती है तो इस हालत को दूर करने की कोशिश करेंगे ?

श्री बनारसीदास--

हम पूर्णतया इस बात का प्रयत्न करेंगे कि रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, लेकिन यह आवश्यक है कि वेरिफिकेशन किया जाय और यूसुफ साहब को मालूम होगा कि इंडियन लेबर कांफ्रेंस ने यह भी तय किया कि किसी संस्थान (establishment) में जितने श्रमिक हैं कम से कम उनके ५ प्रतिशत किसी यूनियन को बनायें। इसलिये ५ प्रतिशत वर्कर्स वहां न होने से रजिस्ट्रेशन में कठिनाई होती है, जैसा कि अयोध्या शुगर मिल यूनियन और डिस्टिलरी वाली यूनियन का प्रश्न है, वहां रजिस्ट्रेशन के लिये जो कार्यकर्त्ता शामिल हो रहे हैं, हमारी सूचना के अनुसार उनकी संख्या ५ प्रतिशत से कम है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

मैं समझता हूं यह सूचनाएं मंत्री जी को गलत दी गयी हैं। क्या मुझे हाउस में आश्वासन देंगे कि अगर ५ के बजाय १० परसेंट शामिल हों तो उनका रजिस्ट्रेशन कराने की कृपा करेंगे, क्योंकि वहां १० परसेंट से ज्यादा शामिल हैं ?

श्री बनारसीदास--

जी हां। अगर १० परसेंट हैं तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता किसी कारण का। तो मुझे बतायें, मैं जांच कराऊंगा कि अगर ज्यादा सदस्य हैं तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ।

*२८-३०-श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

गोपागंज-कोइरियापुर सड़क

*३१-श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या विकास मंत्री दिनांक ११ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १२३ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की मधुवन वाया-दुबारी परसिया, सूरजपुर, मधुवन, धोसी दरगाह कोपागंज, कोइरियापार, जयरामगढ़, मूंगेमास मझवारा, फतेहपुर सड़कों को मैन पावर स्कीम में न लिये जाने का कारण क्या है जबकि उक्त सड़कें पिछड़े हुए क्षेत्र तथा कस्बों के सम्बन्ध स्थापित करती है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

ग्रामीण जन-शक्ति योजना गे अन्तर्गत कोपागंज से कोइरियापार जाने वाली सड़क के निर्माण के लिये एक प्रस्ताव योजना आयोग की स्वीकृति के लिये भेजा गया है।

अन्य सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा टेक्निकल छानबीन हो रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कोपागंज-कोइरियापुर सड़क के निर्माण के लिये योजना आयोग के पास कब स्वीकृति के लिये भेजा गया ह और इसकी योजना क्या है और कितने रुपये की है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

मैं समझता हूं फोर्थ सीरीज में गयी होगी । यह ११ मील लम्बी है और अनुमानित लागत ७,७०,००० रुपये की है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

अन्य सड़कों के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो टेक्निकल विभाग है वह कब से छानबीन कर रहे हैं और कब तक उस पर निर्णय ले सकेगा ?

श्री बंशीधर पांडेय--

आम तौर से मैन-पावर मोबिलाइजेशन के अन्तर्गत जो कार्यक्रम भारत सरकार के योजना आयोग की ओर से करते हैं उसमें ऐग्रिकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने का काम बहुत-सी चीजों से सम्बन्ध रखता है । कहीं रोड लिंक करने वाली होती है तो ले ली जाती है । आम तौर से सड़कों की योजना इस योजना के अन्तर्गत लेने का मंशा नहीं है,उनको सार्वजनिक निर्माण विभाग के लोग देख रहे हैं । जो उपयोगी होंगी और उनकी टेक्निकल ऐडवाइस हो जायगी तो फिर उनको लेने का विचार होगा ।

पैथोलाजी विभाग, मेडिकल कालेज, लखनऊ, में अनियमिततायें

*३२--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपया करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा १८ मार्च, १९६३ को भेजा हुआ कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के पैथोलाजी विभाग में पूर्ववत् अनियमितताओं के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जी हां । मामले में लखनऊ विश्वविद्यालय से रिपोर्ट मांगी गई थी । चूंकि विश्वविद्यालय की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं थी, उनसे फिर स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

यह पत्र एक वर्ष के करीब का है, तो एक वर्ष के अन्दर, मैं जानना चाहता हूं, लखनऊ विश्वविद्यालय ने सरकार के पास रिपोर्ट क्यों नहीं दी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

मैंने पिछली बार इसी प्रकार के प्रश्न का ब्यौरेवार जवाब दिया था । पहली बार जब यह मामला आया तो वाइस-चांसलर को ७ नवम्बर, १९६२ को भेजा गया था, उस बीच में सेप्टेम्बर में एग्जिक्यूटिव कौंसिल समाप्त हो गयी, तो जब नये सिरे से आयी तो २३ जनवरी, १९६३ को इस कार्य-क्रम को फिर से रिपोर्ट होने के लिए रखा गया। उस पर उन्होंने फिर सरकार से कमेंट्स मांगे थे और सरकार....

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना है कि अब और सख्ती से याददहानी करायें ।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह तो हो ही रहा है ।

पेन्शनर्स को महंगाई भत्ता

*३३--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार उत्तरोत्तर महंगाई की विभीषिका को देखते हुए उत्तर प्रदश के पेन्शनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां । सरकार ने १ अप्रैल, १९६४ से ९५ रु० प्रतिमास पाने वाले सरकारी पेन्शनरों को ५ रु० प्रति मास की तदर्थ वृद्धि (Adhoc Increase) देने का प्रस्ताव अगले वित्तीय वर्ष के बजट में किया है जो सदन की स्वीकृति के बाद लागू होगा । ९५ रु० से अधिक किन्तु १०० रु० से कम पेन्शन पाने वालों के लिये यह तदर्थ वृद्धि की धनराशि उतनी ही होगी जिससे कुल पेन्शन १०० रु० प्रति मास हो जाय । यह तदर्थ वृद्धि वर्तमान अस्थायी वृद्धि (Temporary Increase) के अतिरिक्त होगी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

यह देखते हुए कि इस ५ रुपये से केवल थोड़े से कर्मचारियों को लाभ पहुंचा, क्या और कर्मचारियों को भी यह ५ रुपया देने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

और कर्मचारियों की तो बात है नहीं, पेंशन पाने वालों के लिये यह है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

१०० रुपये से ज्यादा जो पेंशन पाते हैं उनको भी देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अभी तो इतना ही आरम्भ में दिया गया है ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

क्या यह सुविधा पोलिटिकल पेंशन पाने वालों को भी दी जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वह सरकारी कर्मचारी तो हैं नहीं ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या यह बढ़ोत्तरी इलेक्शन विभाग के कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो जिलों में काम कर रहे हैं और जिनके बारे में झगड़ा चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या उत्तर प्रदेशीय सरकार ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, यह तफसील तो मैं नहीं बता सकता, किन्तु जो सरकारी कर्मचारी हैं प्रदेश के, जो ९५ रुपये तक पेन्शन पाते हैं, वे अब १०० पायेंगे, जो ९९ पाते हैं, वे भी १०० पायेंगे । उनका मार्जिनल एजस्टमेंट हो जायेगा । ९५ तक ५ रुपये की वृद्धि की गयी है ।

नोट--तारांकित प्रश्न ३३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*३४—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं की कठिनाई

*३५—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या राज्य सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम में सुधार या संशोधन के हेतु ट्रेड यूनियनों अथवा ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं से उनकी कठिनाई अथवा राय जानने का कोई प्रयत्न किया है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ? यदि हां, तो सरकार ऐसा कब तक करेगी ?

श्री बनारसीदास—

जी हां । कुछ ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं से उनकी कठिनाई अथवा राय जानने का प्रयत्न किया गया और बाकी महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियन के कार्यकर्त्ताओं से उस सम्बन्ध में उनकी राय शीघ्र लिये जाने का विचार है ।

*३६—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या राज्य सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने के पूर्व त्रिदलीय सम्मेलन बुलाकर सुधार की दिशा व सिद्धान्त तय किया है ? क्या वह ऐसा करेगी ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—

कथित अधिनियम में संशोधन की रूप-रेखा अभी पूरी नहीं हुई है और उसे मुकम्मल करने के पूर्व त्रिदलीय सम्मेलन की भी राय ली जायगी ।

बिक्री-कर का बकाया

*३७—श्री कैलाश तथा श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या वित्त मंत्री कृपया विधान सभा के २७ मार्च, १९६३ के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ८१ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि बिक्री-कर के ३१ जनवरी, १९६३ तक बकाया ९ करोड़ रुपये में से कौन-कौन ऐसे व्यक्ति या फर्म हैं जिन पर वह रकम लाखों में बाकी है तथा वह कब से बाकी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न †परिशिष्ट "क" में दी हुई है ।

*३८—श्री कैलाश तथा श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या मंत्री जी कृपया इन बीस नामों को बताने की कृपा करेंगे जो उक्त रकम में सबसे अधिक बकाया वाले हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ऐसे बीस नामों की सूची संलग्न †परिशिष्ट "ख" में दी हुई है ।

*३९—श्री कैलाश तथा श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या मंत्री जी कृपया १ फरवरी, १९६३ से ३१ जुलाई सन् १९६३ तक बकाये की रकम बताने की कृपा करेंगे ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

१ फरवरी, १९६३ से ३१ जुलाई, १९६३ तक बिक्री-कर की बकाया की सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है और प्रत्येक जिले की बिक्री-कर अधिकारी से मंगानी पड़ेगी जिसमें कुछ और समय लगेगा। तथापि, ३१ जुलाई, १९६३ को प्रदेश भर में १०,४७,६०,९२८ रु० की रकम बिक्री-कर के रूप में बकाया थी।

*४०---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*४१-४२---श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

चिरगांव से उत्तीर्ण ग्राम सेवकों की नियुक्ति

*४३---श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि चिरगांव बी०एल०डब्लू० ट्रेनिंग सेंटर के सेकिण्ड डिवीजन पास कैण्डीडेट की पोस्टिंग हो चुकी है जबकि वहीं के सीनियर लोगों की अभी पोस्टिंग नहीं हो सकी है? यदि हां, तो ऐसा क्यों है?

श्री राममूर्ति---

चिरगांव ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र के सभी उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति हो चुकी है।

*४४---श्री विजयसिंह---

क्या विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जालौन जिले में कोंच तहसील में एक नया कोंच ब्लाक खुलने जा रहा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति---

जी नहीं। कोंच तहसील की जन-संख्या इतनी नहीं है कि नंदीगांव विकास क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकास क्षेत्र खोला जाय।

*४५-४७---श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४८---श्री गंगाप्रसादसिंह---

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

महाराजगंज ब्लाक के पंचायत निरीक्षक के विरुद्ध शिकायत

*४९---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---

क्या विकास मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लाक में सन् १९६२ में जो पंचायत निरीक्षक के सम्बन्ध में वहां के प्रधानों तथा पंचायत मन्त्रियों ने भ्रष्टाचार की लिखित तथा जबानी शिकायत अधिकारियों से की थी और जिसकी जांच सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों ने की थी, उनकी रिपोर्ट उल्लिखित पंचायत निरीक्षक के बारे में क्या है और विभाग ने क्या कार्यवाही की?

श्री राममूर्ति---

१९६२ में आजमगढ़ जिले के महाराज गंज ब्लाक के पंचायत निरीक्षक के विरुद्ध प्राप्त कुछ प्रधानों एवं अध्यापकों आदि की लिखित शिकायतों की जांच परगनाधीश, सगड़ी, ने की थी। परगनाधीश सगड़ी की रिपोर्ट में पंचायत निरीक्षक के विरुद्ध की गयी भ्रष्टाचार की शिकायतों को तो निराधार बताया गया था किन्तु पंचायत निरीक्षक के संबंध में कहा गया था कि वे यदाकदा शराब पीते हैं और उनका जन-सम्पर्क अच्छा नहीं रहा है। इस रिपोर्ट पर उनका स्थानान्तरण आजमगढ़ से गोरखपुर को कर दिया गया था तथा उन्हें एक कठोर चेतावनी दी गयी थी।

*५०-५१---श्री उमाशंकर---

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५२-५४---श्री रियासत हुसैन तथा श्री मैनेजरसिंह---

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५५-५७---श्री रामआधार कनौजिया (जिला बहराइच)---

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५८-५९---श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)---

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*६०-६१---श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)---

[२४ फरवरी, १९६४ के लिये प्रश्न ३३-३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगें

*६२---श्री चन्द्रजीत यादव---

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत १८ जनवरी को राज्य के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने बढ़ी हुई महंगाई के अनुरूप अपना वेतन एवं महंगाई भत्ता बढ़ाने के सम्बन्ध में उन के निवास स्थान के समक्ष प्रदर्शन किया था? यदि हां, तो क्या उन्होंने प्रदर्शनकारियों से भेंट करके उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन उन्हें दिया था?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जी हां।

*६३-६५---श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)---

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*६६-६८---श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*६९-७०---श्री कोतवालसिंह भदौरिया---

[इसी दिन की कार्य सूची में नत्थी 'ग' में प्रश्न ६-७ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

१---श्री गणेशचन्द्र काछी---

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

२—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

बाराबंकी जिले में वृद्धावस्था पेन्शन

३—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में वृद्धावस्था की पेंशन किन-किन व्यक्तियों को मिलती है और कितनी-कितनी ? उनके नाम मय पता क्या हैं ?

श्री बनारसीदास—

पेंशन १५ रुपये प्रतिमास की दर से मिलती है। व्यक्तियों के नाम और पता की *सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

४—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

अप्रैल, १९६३ से लेकर जनवरी, १९६४ तक किन-किन लोगों ने प्रार्थना-पत्र वृद्धावस्था पेंशन प्राप्ति के लिये बाराबंकी जिले से दिये और उनमें से कौन-कौन स्वीकृत हुये ?

श्री बनारसीदास—

†सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

५—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार को मालूम है कि वृद्धावस्था पेंशन प्राप्ति के प्रार्थना-पत्र अकारण तहसील हेडक्वार्टर, जिला हेडक्वार्टर पर महीनों पड़े रहते हैं ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र देने के बाद तीन मास में निर्णय हो जाने के लिये क्या कोई कदम सरकार उठायेगी ?

श्री बनारसीदास—

शासन ने वृद्धावस्था पेंशन प्रार्थना-पत्र के लिये तहसील, जिला और श्रमायुक्त के कार्यालय में निस्तारण के लिये अवधि निर्धारित की है और विलम्ब के जो मामले शासन की जानकारी आते हैं उन पर यथोचित कार्यवाही की जाती है।

६—श्री ऊदल—

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

बलिया जिले में आबकारी के ठेकेदारों पर बकाया बिक्री-कर

७—श्री गंगाप्रसादसिंह—

क्या वित्त मन्त्री को पता है कि जिला बलिया में पिछले कई वर्षों से आबकारी के ठेकेदारों पर बिक्री-कर का सरकारी पावना बकाये में चल रहा है ? यदि हां, तो बकाये का धन कितना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

शमशाबाद ब्लाक में गबन

८—श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिला की तहसील फतेहाबाद के अन्तर्गत शमसाबाद ब्लाक में एक भारी गबन हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की धनराशि भी सम्मि-

---

†छापी नहीं गई।

[श्री बनवारीलाल विप्र]

लित है और जिलाधीश के आदेश पर शमसाबाद ब्लाक के सम्बन्धित समस्त का:जात सील कर दिये गये ? यदि हां, तो सरकार ने ब्लाक के बी० डी० ओ० एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति ---

आगरा जिला के शमसाबाद विकास खंड में जिलाधीश, आगरा के आदेश द्वारा जांच होने पर जो गबन पकड़ा गया, उसमें सुरक्षा कोष का भी ८५९ रु० सम्मिलित था। यह धनराशि सम्बन्धित विकास खंड के खजान्जी से जमा करा ली गई है तथा इस सम्बन्ध में खजांची व ज्येष्ठ लिपिक निलम्बित कर दिये गये हैं। उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही चल रही है। इसके अतिरिक्त, सम्पूर्ण मामला पुलिस के सुपुर्द भी किया जा रहा है।

सम्बन्धित बी० डी० ओ० से इस मामले में कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त हो गये हैं तथा कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त होना शेष हैं। सभी वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने पर उनके विरुद्ध औपचारिक कार्यवाही करने की बात उठायी जायगी। वैसे, शमसाबाद विकास खंड से उनका स्थानान्तरण किया जा चुका है।

९---श्री बनवारीलाल विप्र---

क्या सरकार बतायेगी कि क्या उपरोक्त केस की जांच के लिये कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया और न मामला पुलिस के सुपुर्द किया गया ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री राममूर्ति---

मामले की जांच के लिये उप-जिला नियोजन अधिकारी, आगरा, को नियुक्त किया गया था। अब मामला पुलिस के सुपुर्द किया जा रहा है, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है।

१०-१२---श्री उमाशंकर ---

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

पंचायत मंत्रियों तथा ग्राम सेवकों की पदोन्नति

१३---श्री रामअधार कनौजिया---

क्या विकास मन्त्री इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रदेश की पंचवर्षीय योजना में ग्राम विकास का भार सामुदायिक योजना में केवल ग्राम पंचायत मन्त्रियों और ग्राम सेवकों के कन्धों पर है, पंचायत मन्त्रियों को शासकीय कर्मचारी घोषित करते हुये उन्हें स्थायी करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति ---

जी नहीं।

१४---श्री रामअधार कनौजिया---

क्या मन्त्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत मन्त्रियों व ग्राम सेवकों की किस अनुपात तथा किस आधार पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत के पद पर पदोन्नति की जाती है ?

श्री राममूर्ति ---

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों पर पंचायत मन्त्रियों तथा ग्राम सेवकों को ७५:२५ के अनुपात में पदोन्नति देने की व्यवस्था की गयी। पदोन्नति देने का मुख्य आधार श्रेष्ठता (merit) रखी गयी है तथा पंचायत मन्त्री एवं ग्राम सेवक के पद पर तीन-तीन वर्षों तक कार्य करना तथा हाई स्कूल की परीक्षा का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

१५—श्री रामअधार कनौजिया—

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

बहराइच जिले में पंचायत मंत्री की पदोन्नति

१६—श्री रामअधार कनौजिया—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५३–५४ ई० में जिला बहराइच में कितने तथा किन-किन पंचायत मन्त्रियों को संचालक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश ने अस्थाई पंचायत निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया था तथा क्या वे मन्त्री पंचायत राज निरीक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं? यदि नहीं, तो क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—

१९५३–५४ में जिला बहराइच में केवल एक पंचायत मन्त्री, श्री सीताशरण पांडे, को पंचायत निरीक्षक पद पर अस्थाई स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया गया था। वे अब पंचायत निरीक्षक के पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नियत (regular) पंचायत निरीक्षक के नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप मार्च, १९५४ में प्रत्यावर्तित कर दिया गया था।

१७–१८—श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री बनवारीलाल विप्र—

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

सहारनपुर जिले में खेती के लिए सहायता

१९—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर जिला में जुदा-जुदा ब्लाकों में क्या-क्या खेती के औजार किसानों में १ सितम्बर, १९६२ से ३१ अक्तूबर, १९६३ तक तकावी देकर बांटे गये और किस-किस कम्पनी से किस-किस भाव पर खरीदे गये?

श्री राममूर्ति—

वांछित †सूचना संलग्न तालिका में नम्बर १ में दी गई है।

२०—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि यह ऊपर कहे खेती के औजार सरकार ने कब-कब approve किये?

श्री राममूर्ति—

सरकार द्वारा साधारण तौर पर जुदा-जुदा कोई औजार किसी फर्म विशेष का एप्रूव नहीं किया जाता है, केवल फर्म एप्रूव की जाती है। हां, अम्बाला के दो फर्मों के औजार विशेष एप्रूव किये गये हैं जो इस प्रकार हैं—

(१) मेसर्स अलाइड ट्रेडिंग कम्पनी, अम्बाला सिटी, का अलाइड बुलक ड्रिबन डिस्क हेरों दिनांक १ जून, १९६३ से एप्रूव्ड है।

(२) मेसर्स नेशनल इन्जीनियरिंग कम्पनी, अम्बाला सिटी, का निक्को डिस्क प्लाऊ दिनांक १० जुलाई, १९६३ से एप्रूव्ड है।

२१—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इन ब्लाकों में पानी के पम्प लगाने के लिये कितने Oil Engine किस-किस भाव पर और कहां-कहां से खरीद कर तकावी के रूप में १ सितम्बर, १९६२ से ३१ अक्तूबर, १९६३ तक बांटे गये?

---

†छापी नहीं गई।

श्री राममूर्ति--

कुल ३३ आयल इन्जिन खरीद कर तकावी के रूप में दिये गये जिसका विवरण संलग्न तालिका नं० २ में दिया गया है और संक्षेप में इस प्रकार है --

आइल इंजन का नाम	नग
(१) रस्टन आइल इंजन ..	.. ग्यारह
(२) किरलोस्कर इंजन ..	.. सात
(३) इमानी इंजन ..	.. तीन
(४) इम्पीरियल इंजन ..	.. तीन
(५) कूपर इंजन	.. आठ
(६) रोब्सटन इंजन ..	.. एक
कुल इंजन	.. तैंतीस

प्रदेश की खाद्य स्थिति के संबंध में केन्द्रीय सरकार से हुई बातचीत के संबंध में जानकारी की मांग

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, अभी खाद्य मन्त्री जी, हमारे प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगायी और खाद्य समस्या पर विचार करने के लिये दिल्ली गये थे। तो सदन यह जानना चाहता है कि उनकी क्या बातें दिल्ली में हुई हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर) --

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने इसी सम्बन्ध में जो मीटिंग २० तारीख को बुलाई थी और जिसका यहां पर आश्वासन भी दिया गया था उसको अब स्थगित कर दिया गया है जबकि उसको बहुत जल्दी बुलाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष--

पहले औपचारिक कार्य हो जाये, यह आप बाद को मालूम कर लीजियेगा।

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में प्रख्यापित संशोधन*

रसद मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल) --

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में, खाद्य तथा रसद विभाग की विज्ञप्ति संख्या डब्ल्यू० एम-आर-ए-एम--९-५५/२९-डी-४९-डब्ल्यू--एम/६३, दिनांक १० जनवरी, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ की धारा ४३ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

*छापे नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ में प्रख्यापित संशोधन*

वित्त मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) --

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ में, वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस-टी-७०७८/१०-९४८-५९, दिनांक २९ जनवरी, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन*

रसद मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में, परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० बी०आर० (ए०एम०)५४--३७१६-टी० एम०/३०-बी०, दिनांक १० जनवरी, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में, परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम०वी०आर० (ए०एम०) ५६-३३५१-टी०एम०/३०, दिनांक २१ जनवरी, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा --

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १० दिसम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २६ दिसम्बर, १९६३ की बैठक में संशोधन सहित पारित किया और जिस संशोधन को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २७ दिसम्बर, १९६३ की बैठक में स्वीकार किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक ५ फरवरी, १९६४ को प्राप्त हो गई है और वह १९६४ का उत्तर प्रदेश का ४था अधिनियम बन गया।

सरकार के आदेश के विरुद्ध श्री नैनसिंह को देर से कारागार से मुक्त करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय कल्पनाथसिंह तथा अन्य माननीय सदस्यों ने उठाया है। माननीय नैनसिंह सदस्य के संबंध में, जिनको ७ फरवरी, १९६४ को रिहा किया गया है, जबकि आदेश २ फरवरी, १९६४ को हुआ था कि सभी सत्याग्रह में बन्दीकृत व्यक्ति छोड़ दिये जायं। तो मैं जानना चाहता हूं कि दो से सात तारीख तक क्या होता रहा। क्यों विलम्ब हुआ ? गृह मंत्री, आप बता सकेंगे, उप गृह मंत्री ?

गृह उप मंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)--

श्रीमन्, मुझको इसकी कोई सूचना नहीं है।

---

*छापे नहीं गये।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

यह पहले भी आया था, उस समय भी सवाल उठा था ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गृह मंत्री या मुख्य मंत्री, यह बता सकेंगे कि २ फरवरी, सन् १९६४ को आदेश हुआ था कि सत्याग्रह सम्बन्धी बन्दीकृत व्यक्ति छोड़ दिये जावें ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

इस वक्त मुझे डेट याद नहीं है । मैं जानकारी करके कल बता सकती हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे आज शाम तक सूचना मिल जानी चाहिये । चूंकि प्राग्दर्शन में २ को आदेश हो जाय और ७ तक कोई माननीय सदस्य जेल में रखा जाय यह गलत है । आज हमें शाम तक इत्तला मिल जाय ताकि मैं इस पर कार्यवाही कर सकूं ।

श्री बलवानसिंह—

श्रीमन्, करनाल में भी जो लोग चले गये थे.....

श्री अध्यक्ष—

सरकार का जवाब आ जाने दीजिये ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

इसकी प्रतिलिपि आपके कार्यालय से किसी मंत्री को भेजी गई होगी, वह क्यों चुप-चाप बैठे हैं ? क्या उन्होंने आपके कागज को कूड़ा समझ लिया है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रतिलिपि गृह मंत्री को भेजी थी । वह आज हैं नहीं ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

जब सदन के माननीय सदस्य की यह दुर्गति हुई है तो जन समाज की क्या होती होगी ? प्रति दिन देखा जा रहा है.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो स्वयं कहा है । उससे क्या आपको सन्तोष नहीं हुआ ?

श्री सुखलाल की गिरफ्तारी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

एक दूसरा प्रिविलेज का मोशन माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी का है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि माननीय सुखलाल जी को उस जीप के साथ नहीं पकड़ा गया । जीप अलग खड़ी थी और सुखलाल जी अलग पार्क में खड़े थे । सरकार ने बिलकुल पूरी तरह गलतबयानी की है । मुझे उनके पत्र द्वारा ज्ञात हुआ है । इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि आप इसे प्रिविलेज कमेटी में भेज दें ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

हमारा खुला चार्ज है कि यह दुर्गति इसलिये हुई है कि हरिजन एम० एल० ए० हैं । इसलिये खास तौर से गलत काम हुआ है । इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

मैं दोनों सूचनाओं को पढ़कर सुना दूं । पहली सूचना १० तारीख की और दूसरी १२ तारीख की थी । १० तारीख की सूचना में माननीय टम्ब्रेश्वरी प्रसाद ने यह लिखा था । "आज सदन में आपने जिलाधीश लखनऊ की एक सूचना पढ़कर सुनाई, जिसके अनुसार आपने इस आदरणीय सदन को सूचित किया था कि विधान सभा सदस्य श्री सुखलाल को धारा १४४ तोड़ने के अपराध में गिरफ्तार किया गया । उस प्रसंग में मैंने उसी समय स्पष्टीकरण किया था कि जन-संघ को जिले के किसानों का जुलूस निकालने की अनुमति प्राप्त थी । ओला तथा पाले से हुई फसल की बरबादी से तबाह किसान अपना मांग-पत्र लेकर कचहरी तथा विधान भवन पर आना चाहते थे । श्री सुखलाल ज्योंही आज पुनः बेगम हजरतमहल पार्क इस जुलूस को संगठित करने पहुंचे तो पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । मुझे यह भी निवेदन करना है कि आज ९ बजकर ४० मिनट पर प्रातःकाल जिलाधीश ने जिला जनसंघ मंत्री, श्री बसन्तलाल गुप्त, को शहादतगंज पुलिस चौकी द्वारा बुलाया । ९ बजकर ४२ पर प्रातः उनसे डी० एम० से बात हुई, फोन पर । जिलाधीश ने जनसंघ मंत्री को यह स्पष्ट बता दिया कि उन्होंने जुलूस कचहरी तक ले जाने की अनुमति दे दी है । बाद में लिखित अनुमति मिल जायगी । जो लिखित अनुमति मिली है वह साथ में संलग्न है । इस प्रकार अनुमति देने के बाद भी विधान सभा सदस्य तथा अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों को गिरफ्तार करने से माननीय सदस्य को प्राप्त विशेषाधिकारों का हनन् हुआ है । जिलाधीश लखनऊ द्वारा सदन को गलत सूचना दी गई है ।

इसके साथ-साथ एक और नोट है । अनुमति के बाद भी धड़ाधड़ लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं । भूतपूर्व नगर प्रमुख, श्री गिरराजधरन रस्तोगी, को भी गिरफ्तार किया जा चुका है । अस्तु जिलाधीश द्वारा सदन को गलत सूचना देने तथा माननीय सदस्य श्री सुखलाल (लखनऊ) के विशेषाधिकारों का हनन् किये जाने के कारण जिलाधीश, लखनऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस देता हूं तथा निवेदन है कि आप तत्काल उचित कार्यवाही करें । आपने पूरी जानकारी लिखित देने के लिये कहा, वह मैं दे रहा हूं । यह भी निवेदन है कि श्री सुखलाल को तुरन्त सदन में बुलाया जाय तथा माननीय मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण कराया जाय ।

जिलाधीश का जो आदेश है वह इस प्रकार है--

"Please refer to your application dated 6th February 1964. You are permitted to take out the procession of kisans for presentation of their application to the Collector for relief due to the destruction of crops from frost from Begam Hazratmahal Park to Raushanudowlah Courts Collectorate Lucknow, via Raja Nawab Ali Road. However, no permission for use of loudspeaker can be allowed."

पहली सूचना कि जिसके सम्बन्ध में जो आदेश सिटी मैजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया था कि ये जुलूस निकाल सकते हैं, उससे दो बातें स्पष्ट होती हैं । एक तो यह है कि माननीय सदस्य का विधान सभा आने का इसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं है अथवा जुलूस विधान सभा भी आवेगा । नम्बर २, अनुज्ञा पत्र में यह स्पष्ट लिखा है कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जायगा ।

अब दूसरी इत्तला जो १२ तारीख को माननीय टम्ब्रेश्वर प्रसाद द्वारा आई, उसमें श्री टम्ब्रेश्वर प्रसाद जी ने लिखा है कि 'परसों दिनांक १० फरवरी, १९६४ को विधान सभा सदस्य, श्री सुखलाल, को लखनऊ के उप पुलिस अधीक्षक सिटी ने गिरफ्तार करके उन्हें सदन में उपस्थित होकर यहां की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार से वंचित किया, जिससे इस आदरणीय सदन

[श्री अध्यक्ष]

और माननीय सदस्यों को संविधान द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों की अवहेलना हुई है । अस्तु मैं आपके माध्यम से लखनऊ के उप पुलिस अधीक्षक, सिटी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस देता हूं । श्रीमन्, परसों लगभग १० बजे जबकि विधान सभा सदस्य, श्री सुखलाल, स्थानीय बेगम हजरतमहल पार्क जीप द्वारा पहुंचे त्योंही उपरोक्त पुलिस अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया और कहा कि दफा १४४ लगी हुई है और आप जुलूस निकालने जा रहे हैं । इसलिये हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं । इस पर श्री सुखलाल जी, जो कि अपने कुछ अन्य साथियों सहित केवल चुपचाप जीप में बैठे थे, बोले कि मैं विधान सभा का सदस्य हूं, मुझे जनसंघ कार्यालय द्वारा यह स्पष्ट ज्ञात हो गया है कि हमें जिलाधीश ने जुलूस निकालने की अनुमति आज ९ बजकर ४५ मिनट पर प्रातः दे दी है । इसीलिये मैं यहां आया हूं । अपने निर्वाचन-क्षेत्र से आये किसानों का मांग-पत्र सरकार को देना है तथा सदन की कार्यवाही में भी भाग लेने के लिये विधान सभा जाऊंगा । आप मुझे अकारण बन्दी बनाकर मेरे सदन में पहुंचने के अधिकार को न छीनें । इसके बाद सुखलाल जी द्वारा बार-बार यह कहने पर भी कि हमें जिलाधीश द्वारा जलूस निकालने की अनुमति मिल गई है, आप जिलाधीश से पूछ लें जिनका निवास तथा कार्यालय दोनों घटनास्थल के बिलकुल पास हैं, उक्त पुलिस अधिकारी ने श्री सुखलाल को गिरफ्तार कर लिया और इस प्रकार अकारण ही उन्हें इस आदरणीय सदन में आने से रोका गया । और वह अब भी जेल में बन्द हैं । अर्थात् उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है ।"

यह विशेषाधिकार की सूचना है जो १२ तारीख को मेरे पास आयी है ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैं एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूं । श्री कल्पनाथ सिंह जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था, वह आपने पढ़ा नहीं ३–४ दिन उसको बराबर उठाया गया और आपने उस पर रूलिंग भी दे दी । एक पार्टी द्वारा लाया गया विशेषाधिकार का प्रश्न तो आप एक शब्द पढ़कर देते हैं लेकिन दूसरी पार्टी के प्रश्न को आप पढ़ते भी नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—

उसको मैंने अभी डिस्पोज आफ नहीं किया है । मैं तो उसको कदाचित ऐक्सेप्ट करने जा रहा था । गृह मंत्री जी से उसके बारे में मैंने पूछा था कि अगर आपके पास कोई सूचना हो तो बतायें । लेकिन इतने में ही, आपको तकलीफ हो रही है । मैं निवेदन कर रहा था माननीय सुखलाल के सम्बन्ध में कि उस दिन मैंने यह कहा था कि फौजदारी के बन्दी करने के मामले में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता । फौजदारी के मामलों के संबंध में यह नीति निश्चित हो चुकी है कि प्रत्येक सुव्यवस्थित सरकार, राज्य और देश की सुरक्षा चूंकि सर्वोपरि होती है, अतः किसी भी सदस्य के किसी फौजदारी या फौजदारी के तुल्य किसी अन्य कृत्य के कारण पकड़े जाने पर, विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता, किन्तु इस सूचना में एक दूसरी बात जोड़ दी गयी है और वह यह कि माननीय सदस्य को गलत तौर पर गिरफ्तार किया गया है, जानबूझ कर । क्योंकि यह आदेश दिये जा चुके थे कि उनको जलूस निकालने का अधिकार है, इस पर भी उनको गलत तौर पर गिरफ्तार किया गया, यह आरोप है, दूसरे शब्दों में मैलाफाइडी अरेस्ट का चार्ज लगाया गया है । मेलाफाइडी अरेस्ट हो और यदि वह किसी सदस्य को सदन में आने में बाधा डाले तो, विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित होता है । लेकिन इस संबंध में मैं एक बात कह देना चाहता हूं और वह यह है, कि जिस दिन यह प्रश्न पहले उठाया था, उस दिन माननीय गृह मंत्री जी से मैंने पूछा था कि क्या उन पर फौजदारी का मुकदमा चल रहा है । उन्होंने सूचना दी कि चलेगा । मुकदमें के चलने पर माननीय सदन की यह प्रथा रही है, और आदरणीय पूर्वगामी अध्यक्ष, विधान सभा की इस संबंध में एक रूलिंग भी मुझे मिली कि अगर कोई सदस्य यह कहता है कि उसको अकारण

ही पकड़ा गया तो मेलाफाइडी ऐक्शन को सिद्ध करने का अवसर उसको अदालत में होगा। अदालत में उसको यह भी सिद्ध करने का अधिकार होगा कि वह जो पकड़ा गया उसके पीछे मेलाफाइडी इन्टेन्शन था। अगर यह बात सिद्ध हो जाती है तब विशेषाधिकार के इस प्रश्न पर सदन में भी विचार किया जा सकता है। इस समय चूंकि मुकदमा चलेगा अतः इस प्रश्न पर यहां विचार नहीं हो सकता।

इस संबंध में माननीय खेर साहब की जो रूलिंग थी वह माननीय राज नारायण और माननीय नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी के संबंध में थी और उसमें यही प्रश्न उठाया गया था। उन्होंने कहा था कि विशेषाधिकार का प्रश्न केवल तभी उठाया जा सकता है जबकि गिरफ्तारी के संबंध में कोई बदनीयती की बात हो और वह भी निश्चित अदालत के जजमेंट में आ जाय।" यह उनकी रूलिंग है सन् १९५२ से १९६२ तक के निर्णयों के संहित संकलन के पृष्ठ ३१३ पर नं० १२ और १३, आप देखें। उसको देखने के बाद यह प्रश्न इस समय नहीं उठाया जा सकता।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

श्रीमन्, आपने खुद जिलाधीश की सूचना पढ़ कर सुनायी और माननीय मंत्री जी ने जो आपके सामने वक्तव्य दिया था उसका अन्तर आपने दिखलाया। इसमें उन्होंने लिखा है कि दफा १४४ को तोड़ा, ५ आदमी से अधिक इकट्ठा होकर, तो यह तो उनके आज्ञा पत्र में ही मौजूद है, जिसको आपने देखा है। इससे कोई ज्यादा भिन्नता नहीं होती। आपने स्वयं अपने वक्तव्य में इस बात को कहा है कि जिलाधीश ने.....

श्री अध्यक्ष--

आप कहना क्या चाहते हैं?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मेरा कहना यह है कि जिलाधीश ने गलत सूचना दी, इसको आप भी मानते हैं। जब इस तरह से गलत सूचना उन्होंने दी तो सदन का अवमान किया, इससे साफ स्पष्ट है।

श्री अध्यक्ष--

मुझे यह सूचना मिली है कि जिलाधीश ने या मेजिस्ट्रेट ने जिसको भी अधिकार है, १४४ के अन्तर्गत दो आदेश जारी किये। एक आदेश यह जारी किया कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न हो। उसके बाद दूसरा आदेश यह जारी किया कि मीटिंग न हो। तो जैसा कि उसके पढ़ने से मालूम होता है, यह आदेश हो गया कि जनसंघ को अधिकार है कि दफा १४४ के होते हुए भी वह जलूस निकाल सकता है, लेकिन लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। और यही उन्होंने अपने सूचना में कहा था कि दफा १४४ भंग करने और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने इन दोनों के तोड़ने के सिलसिले में गिरफ्तारी हुई। उनके शब्द हैं १४४ भंग करने और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की वजह से गिरफ्तारी हुई। लफ्ज 'और' है, तो "और" में तो सब आ जाता है। मैं नहीं समझता कि जो सूचना उन्होने दी और उसके बाद भी मैं यह कहूं कि उन्होंने गलत तौर से शब्दों का प्रयोग किया था या उनका इरादा धोखा देने का था। अब तो हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि बहरहाल यह बात अदालत में आयेगी। यह विषय अब समाप्त होता है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

आपको उन्होंने गलत सूचना दी, वह अदालत में कैसे आयेगा, इसको जरा आप बतला दें।

श्री अध्यक्ष--

जो भाषा उसमें लिखी है उससे मैंने यह समझा कि उन्होंने धोखा देना चाहा था।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, मैं आपके पास सुखलाल जी की लिखित सूचना भी भेज दूंगा, उसे आप कृपया देख लेंगे । यह फ्रेश नोटिस होगा ।

राजस्व मंत्री के कथित असत्य कथन पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय चन्द्रबली सिंह जी, इस पर जो बात मैंने लिखी है उसे आप कृपया देख लें, फिर कोई स्पष्टीकरण देना हो तो दे देंगे ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, आप पढ़कर सुना दें । मैं अलग से कहां देखता फिरूं ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, मैं पढ़ देता हूं । वह इस प्रकार है—

श्री हुकुमसिंह, राजस्व मंत्री, ने गत द्वितीय सत्र १९६३ के तीसरे गुरुवार को दिये अपने अतारांकित प्रश्न ६० के उत्तर में जानबूझकर गलत सूचना दी कि जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम १९५१ के लागू हो जाने पर रुद्रपुर गांव का कुछ भाग टाउन एरिया मानकर शेष भाग पर जमींदारी विनाश अधिनियम लागू किया गया तथा उस भाग की मालगुजारी सरकार ने एक साल तक वसूल की । परन्तु भूतपूर्व जमींदारों के वाद पर हाई कोर्ट की आज्ञा से पूरे रुद्रपुर को टाउन एरिया माना गया व मालगुजारी की वसूली स्थगित कर दी गई । पुनः नगर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम, १९५६ पहली जुलाई, १९६१ को रुद्रपुर टाउन एरिया भूमि पर लागू हुआ, तब से सरकार किसानों से वसूली कर रही है । समें किसान व सरकार किसी को घाटा लगने का प्रश्न नहीं उठता ।

(१) इस उ० प्र० के सम्बन्ध में यह है कि उस नगर के कई जमींदार नहीं हैं, एक हैं ।

(२) उस नगर के जमींदार ने वाद दाखिल नहीं किया बल्कि तीन रिट बारी-बारी करके दाखिल हुये और वे खारिज होते रहे । हाई कोर्ट का कोई उपरोक्त आदेश नहीं है ।

(३) आज भी ग्राम समाज रुद्रपुर व टाउन एरिया रुद्रपुर दोनों कायम हैं ।

अस्तु उक्त तथ्यों के आधार पर मैं श्री हुकुमसिंह, राजस्व मंत्री, पर विशेषाधिकार-अवहेलना का प्रश्न उपस्थित करता हूं ।"

श्री चन्द्रबलीसिंह—

हमें यहीं जरा सुन लें .....

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे कमरे में आ जायं और समझा दें ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

कमरे में क्यों आयें ? यहीं सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो यह दिया है यह बिलकुल अस्पष्ट है ...

श्री चन्द्रबलीसिंह--

आपने पढ़ने में गलती की है ....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं। मैं आपको आदेश देता हूं कि कृपा करके आप बैठ जायं। अगर आप स्पष्टीकरण लिख कर देना चाहते हैं तो दे दें जैसे कि आपने यह लिखकर दिया है।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मैं तो सदन के सामने ही स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ताकि सदन के और ऊपर दीर्घा के लोग यहीं सुन सकें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, मैं इजाजत नहीं देता हूं। आपको अधिकार नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

यह तो बता दें कि वह कैसे स्पष्टीकरण करें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

कम से कम आप सबको सुनते हैं, तो मुझे भी सुनें...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

हमें कमरे में सुनाने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

यहां मैं नहीं सुन सकता।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

कमरे में क्या, यहीं सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप आ जायं, कल देख लेंगे।

मुख्य मंत्री के कथित असत्य कथन पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय गयाप्रसाद जी, आपसे मेरा निवेदन है कि .....

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी की मर्यादा के अनुकल यह होगा कि जो प्रश्न आयें उनको आप गौर से देखें, उनकी एक एक सतर को देखने का प्रश्न है, उसमें अधिक समय नहीं लगता है, यह प्रश्न पिछली ६ तारीख से उठा है, मैंने ५ तारीख को माननीय राज्यपाल के

[श्री गयाप्रसाद]

अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलते हुये माननीय परिवहन मंत्री पर गम्भीर आरोप लगाये थे और कहा था कि उन्होंने अपनी सास, हुरमुजी बेगम, को नाजायज परमिट दिये हैं और ६ तारीख को सदन में माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में कहा था कि वह राजनैतिक पीड़ित महिला है और उनको परमिट तब दिया गया था जबकि वह परिवहन मंत्री नहीं थे। उस पर मैंने उनका सदन में ही टोका था कि माननीय मुख्य मंत्री की यह सूचना गलत है और वह बिलकुल असत्य कथन कह रही हैं, लेकिन मेरी बात को न मानकर उन्होंने अपनी ही बात पर परशिस्ट किया और उसके बाद दूसरे ही दिन से मैं बराबर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता चला आ रहा हूं और आप स्वयं सोचें कि परिवहन मंत्री को बचाने के लिये माननीय मुख्य मंत्री असत्य कथन करें और मुख्य मंत्री जी को बचाने के लिये अध्यक्ष महोदय विलम्ब करें, तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि.....

श्री अध्यक्ष--

यह गलत है, इस व्यवस्था के पहले जो मैंने ६ तारीख को दी थी उसमें उसको खारिज करते हुये मैंने कारण भी दिये थे और उसके बाद आपने १३ को चार बजे सायंकाल के बाद में सूचना दी थी, और उसके ऊपर आपने कुछ और टिप्पणियां दी हैं। अब १४ से १८ तक छुट्टी रही। आपको ऐसी हालत में इस तरह से आरोप नहीं लगाना चाहिये कि मैं देरी कर रहा हूं, यह गलत तरीका है।

श्री गयाप्रसाद--

मैं तो निवेदन कर रहा था।

श्री अध्यक्ष--

यह निवेदन करने का तरीका नहीं है कि आप मुझसे कहें कि मैं मुख्य मंत्री को बचाना चाहता हूं।

श्री गया प्रसाद--

मैंने यह नहीं कहा कि आपने गलत समझा। मैं यह कह रहा था, ऐसा न आभास मिले कि इसको बतलाते हुए ऐसा मालूम हो कि बचाया जाता है।

श्री अध्यक्ष--

आपने १३ तारीख को ४ बजे ही तो दिया था।

श्री गयाप्रसाद--

जी हां।

श्री अध्यक्ष--

तो खत्म हुआ। नियम में यह भी है कि अगर किसी सदस्य के विरुद्ध आपकी शिकायत हो तो उस सदस्य से भी पूछ सकते हैं। यह मोटी बात है, मैंने आपको बताया कि ५ दिन की छुट्टी थी, नहीं भेज सका।

राजस्व मंत्री के कथित असत्य कथन पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

श्री चन्द्रबलीसिंह--

हम कब इस पर कुछ समझा सकें ?

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा कर बैठ जायं। आप मुझे गलत समझे हैं। आपकी पार्टी के कुछ महानुभाव बैठे थे, मैंने पढ़ा और उनसे पूछा भी कि क्या लिखा है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप साफ लिख कर दें। अब आप नहीं चाहते तो जिस रूप में यह है मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास कई एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं। इस सम्बन्ध में एक नियम सदन के सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि बजट के संबंध में अभी ५ दिन हमें सामान्य विवाद करने के लिये मिले हैं, उसके बाद अनुदानों पर अलग अलग विवाद होगा। तो साधारणतः यह नियम सभी लेजिस्लेचर्स में स्थिर हो चुका है कि बजट के जमाने में जब तक कोई बहुत ही महत्व-पूर्ण विषय न आ जाय, और उस विषय का आप उल्लेख बहस में न कर सकें, तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव के ऊपर शायद विचार किया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो प्रस्ताव आये हैं उन पर मैंने कारण लिख दिये हैं, क्यों स्वीकार नहीं किये। वह कृपा कर महानुभाव देख लेंगे। उनको मैं पढ़ूंगा नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। यह बात सही है, आपने जो नियम बताया है, कि महत्वपूर्ण विषय पर ही बजट के समय बिचार हो सकता है, अन्यथा नहीं। मैंने और माननीय संतसिंह यूसुफ ने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है वह इस समय बढ़ती हुई प्राइसेज से संबंधित है, खास तौर से पिछले एक सप्ताह में जो २५ फी सदी कीमतें बढ़ी हैं, सरकारी दुकानों पर सस्ता गल्ला नहीं मिल रहा है, सारा गल्ला चोरबाजारी में जा रहा है, सरकार चोरबाजारी और कीमतें रोकने में असफल रही है।

श्री अध्यक्ष--

अभी श्री झारखन्डे राय, एक बात रखी थी कि खाद्य मंत्री दिल्ली से होकर आये हैं, कुछ बातचीत हुई होगी। तो मैं सोच रहा था कि उनसे वक्तव्य दिला दूं और फिर आम बहस में जिक्र हो सके।

श्री चन्द्रजीत यादव--

तो ठीक है आप मंत्री जी से कहें कि वह वक्तव्य दें क्योंकि यह मसला बहुत ही अहम और आवश्यक है। जब गवर्नर महोदय के भाषण पर विवाद हो रहा था तो मुख्य मंत्री ने कहा था कि वह एक सर्वदलीय कमेटी बुलाना चाहती हैं। लेकिन तब से आज तक वह बुलायी नहीं जा सकी, उसकी भी इत्तला यह है कि कल की कमेटी पोस्टपोन की जा रही है और समस्या इतनी गम्भीर है कि प्रदेश के आदमी काफी परेशान हैं, उनकी जिन्दगी और मौत का सवाल है जिस प्रकार से कीमतें बढ़ रही हैं। मैं चाहता हूं इस आम विवाद में समस्यायें उठेंगी और उठायी जायेंगी। लेकिन मुख्य रूप से इसी समस्या पर बिचार हो सके और इस पर लोग अपने सुझाव दे सकें, जैसे किसी सदस्य ने सुझाव दिया था कि माननीय नेताओं की मीटिंग बुलायी जायगी जिसमें वह अपने विचार देंगे, लेकिन और भी माननीय सदस्य हैं जो अपने अनुभव सदन के सामने रखना चाहेंगे। आम विवाद में केन्द्रीभूत रूप से विचार व्यक्त नहीं कर सकते, जबकि अलग से इस प्रश्न पर विचार किया जायगा तो केन्द्रीभूत रूप में विचार किया जा सकता है। इस लिये इसके महत्व को देखते हुए आप इस प्रश्न पर कम स कम २ घंटे का समय दें। भले ही आप कामरोको प्रस्ताव की शक्ल में स्वीकार न करें, लेकिन इस संबंध में आप २ घंटे का समय निश्चित करें ताकि खाद्य मंत्री भी अपना वक्तव्य दे सकें।

श्री अध्यक्ष--

मैं बता दूं कि उसी दिन मैंने इस आदरणीय सदन में निवेदन किया था, जब अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के संबंध में माननीया मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि २० तारीख को हम नेताओं को बुला रहे हैं कि २० तारीख की बातचीत के बाद यदि संतोष न हुआ तो मैं इस पर बहस करवाऊंगा और उसी पर मैं वचनबद्ध हूं। मैं उस पर बहस जरूर करवाऊंगा, लेकिन सिर्फ मैं डेवलेपमेन्ट देख रहा हूं। आज या कल में मैं मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि इस पर वे अपना वक्तव्य दें दे।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, हालत आज क्या है? बाजार में गल्ले की दुकानें बन्द पड़ी हुई हैं और उन पर गल्ला नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठ जाइये। एक प्रिन्सिपिल तय हो जाय, फिर टाइम तय हो जायेगा। इसमें विघ्न डालने की जरूरत नहीं है।

अराष्ट्रीय तत्वों द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भ्रामक प्रचार करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के संबंध में माननीय टम्बेश्वर प्रसाद, माननीय शारदानन्द, माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह, श्री ब्रह्मदत्त मायर और माननीय प्रहलाद किशोर गुप्ता से जो प्रश्न प्राप्त हुए, हैं ये प्रश्न १३ तारीख के हैं, इनके विषय में बता दूं--

"उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर समाज में व्याप्त कुछ अराष्ट्रीय तत्वों द्वारा भ्रामक एवं उत्तेजक प्रचार करके साम्प्रदायिक तनाव पैदा कर आन्तरिक कलह उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है।

भ्रमोत्पादक पर्चे बांटे गये हैं। मुरादाबाद में उर्दू भाषा में एक पोस्टर बहुत बड़ी संख्या में दीवालों पर चिपकाया गया है। उक्त पोस्टर का हिन्दी रूपान्तर संलग्न है। इस प्रकार की घटनायें प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी हो रही हैं।

जिलाधीश, मुरादाबाद, का ध्यान इस ओर दिलाया गया परन्तु कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गयी।

सरकार द्वारा इस प्रकार के अराष्ट्रीय एवं विघटनकारी तत्वों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने से सरकार के प्रति जनता में घोर असन्तोष एवं उत्तेजना व्याप्त हो रही है। इससे आन्तरिक शान्ति के लिये खतरा उत्पन्न हो रहा है।"

लीफलेट की प्रतिलिपि भी है। उसके पढ़ने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। इस पर माननीय मंत्री खुद वक्तव्य देंगे।

एक सदस्य--

कब दे देंगे?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

२-३ रोज में दे दूंगा।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)--

जो विज्ञप्ति आपके पास आई और जिसको आपने पढ़ा, कृपया इसे पहले आप सरकार के पास भेज दीजिये, यही जनहित में अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--

साम्प्रदायिक हो या कोई सवाल हो सबके ऊपर इस आदरणीय सदन को निष्पक्षता से गंभीरता से बिचार करना है । अगर अच्छी बात या बुरी बात कह कर आप छिपायेंगे तो कोई बात हल नहीं होगी ।

बुलन्दशहर जिलान्तर्गत एक ग्राम में पुलिस द्वारा गोली चलाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

आज जो कार्य स्थगन प्रस्ताव आये हैं माननीय चन्द्रजीत यादव, विजयपालसिंह तथा शराफत हुसैन के नाम से तथा उसी विषय पर माननीय टम्बेश्वरप्रसाद और महाबीरसिंह जी के प्रस्ताव नियम ५२ के अन्तर्गत आये हैं । उनको मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार किया है । यह इस प्रकार है--"बुलन्दशहर जिले में वहां से लगभग २५ मील दूर रामपुर, मानपुर नामक ग्राम में पुलिस द्वारा इसी सप्ताह अकारण गोली वर्षा किये जाने के परिणाम स्वरूप २ ग्रामीण तत्काल मर गये तथा कुछ अन्य बुरी तरह घायल हुए ।

इसी प्रकार अभी हाल में ही इटावा जिले में थाना यशवन्तनगर के थानेदार द्वारा एक डिप्टी सिंह नामक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी ।" यह माननीय टम्बेश्वर-प्रसाद का है ।

दूसरा श्री चन्द्रजीत यादव का है जो इस प्रकार है--

"गत १३ फरवरी को बुलन्दशहर जिला के खुरजा समीपस्थ नगला नेवातियन ग्राम में बिना पर्याप्त कारण के पुलिस ने गोली चलायी, फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी और लगभग एक दर्जन व्यक्ति सख्त घायस हुए हैं ।" इस संबंध में माननीय गृह मंत्री कब वक्तव्य देंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

दोनों का २४ को उत्तर दे दूंगा ।

बलिया जिला परिषद् के अध्यापकों को सेवा मुक्त किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना श्री काशीनाथ जी की है जिसे मैंने स्वीकार किया है केवल वक्तव्य के लिये और वह इस प्रकार है--

"बलिया जिला परिषद् के २०० अध्यापकगण जो गत ३ साल से सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे और जिनकी स्वीकृति जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी दे दी थी, फरवरी माह के अन्त में सेवाओं से मुक्त कर देने की नोटिस नव-निर्वाचित अध्यक्ष जिला परिषद् बलिया के निर्देशन पर पा चुके हैं ।"

अब नियम ५२ के अन्तर्गत इसके अतिरिक्त जो और प्रस्ताव हैं वे अस्वीकृत नहीं समझे जाते, लेकिन चूंकि मैंने एक ले लिया है अतः दूसरे नहीं लिये जा सकते ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

परिवहन मंत्री पर आरोप के संबंध में पुनः जांच की मांग पर माननीय गयाप्रसाद जी ने एक बात कही थी कि मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही थी वह सच नहीं थी । तो मोटर के संबंध में जो सदन के सामने एक सवाल है उसके बारे में मुख्य मंत्री दोबारा अपना वक्तव्य देंगी, क्योंकि

[श्री बलवानसिंह]

यह बड़ा गंभीर विषय है और इस मुल्क के जिम्मेदार आदमियों पर एक आक्षेप है। माननीय सदस्य ने दोबारा इसको दोहराया है, तो मुख्य मंत्री जी दोबारा कब इस पर अपना बयान देंगी ?

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन कर दूं कि माननीय गयाप्रसाद जी ने जो बात कही है उसको मैं स्वयं मुख्य मंत्री के पास भेजवाना चाहता हूं ताकि वह अपना बयान दे दें।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, एक मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी प्रदेश के वार्षिक बजट पर सामान्य विवाद होने जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी डिपार्टमेन्ट की कोई रिपोर्ट हम लोगों को नहीं मिली। मुख्य मंत्री के पास भी १४ तारीख को मैंने पत्र लिखा था और एक प्रतिलिपि आपके पास भी भेजी थी। पार्लियामेन्ट में भी सामान्य विवाद के पहले दिसम्बर तक सब रिपोर्ट्स दे दी जाती हैं, लेकिन अभी तक यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो इस पर आप मुख्य मंत्री जी से कोई एक्सप्लेनेशन दिला दें कि ऐसा क्यों नहीं हो सका।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा होता जब मैं माननीय नेता विरोधी दल को बुलाता कि वे अपना भाषण प्रारम्भ करें तब आप यह कहते। लेकिन चूंकि आपने छेड़ दिया है इसलिये मैं बता दूं कि आपका पत्र भी मैंने भेज दिया है और आज माननीय कमला सिंह जी का भी एक पत्र आया है उसको भी मैंने माननीय मंत्री, संसदीय विभाग के पास भेज दिया है और उनसे कहा है कि इसके ऊपर ध्यान रखा जाय।

माननीय खाद्य मंत्री।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला बलिया)--

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

अभी काहे का व्यवस्था का प्रश्न है, काम तो कुछ हो नहीं रहा है ? बाद में कहियेगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

तो बाद में कैसे व्यवस्था होगी ?

श्री अध्यक्ष--

अभी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जब काम कोई हो तो कहियेगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

उसी के सिलसिले में तो है।

श्री अध्यक्ष--

तो बाद में कहियेगा। अभी आप बैठिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

तो बैठने के लिये आप क्यों कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

किस विषय के संबंध में है ?

श्री चन्द्रबलीसिंह--

इसी सिलसिले में कि जो आपने कहा कि एक विशेषाधिकार का प्रश्न भेजा था। तो जिसने वह प्रश्न भेजा था उससे तो स्पष्टीकरण पहले बुलाकर आपने लिया नहीं बल्कि दूसरे सदस्यों को आपने दिखाया। तो इस तरह से दूसरे सदस्यों को दिखाने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। पहले खाद्य मंत्री का बयान हो जाय उसके बाद बता दूंगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

पहले बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

पहले नहीं बताऊंगा, आप बैठिये।

चरखारी, जिला हमीरपुर के बाजार को लूटे जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत रसद मंत्री का वक्तव्य

*रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

९ फरवरी, १९६४ को रौनापार चरखारी, जिला हमीरपुर के बाजार में थोड़ा-सा झगड़ा एक ग्रेन डीलर और एक खरीददार के बीच में हुआ, करीब १०-३० बजे इस झगड़े में गनेशदत्त जो कि पहले का जेलयाफ्ता है उसने, जो खरीदार थे, जो सड़क पर कपड़ा बिछा कर देहात वालों से गल्ला खरीदते हैं उनसे गल्ला खरीद रहे थे, उनसे कहने लगा कि यह कम तौल रहा है और जो लोग वहां पर खड़े थे उनके बीच में स्पीच भी देने लगा कि एक तो महंगाई है और ऊपर से यह तौल भी कम रहा है इसलिये इसको लूट लो। दूकान किसी की नहीं थी, फुटपाथ पर जो लोग रखते हैं जिन्हें फड़िया कहते हैं वह थे। इस पर जब लोग उठाने लगे तो जो दूकानदार थे जो गांव वालों से सुबह बुला-बुला कर लेते हैं उन्होंने किसी तरह का मुकाबला नहीं किया और लोग उठा कर चल दिये। वहां पर एक, दो कांस्टेबिल ड्यूटी पर थे। उन्होंने जब यह देखा तो थाने में भाग कर गये। साढ़े ११ बजे का यह वाकया था और १२-२० पर वे थाने में पहुंचे और खबर दी। थाने से स्टेशन अफसर और सर्किल इंस्पेक्टर ६-७ सिपाहियों को लेकर वहां पहुंचे। तब तक जो माल ले जाने वाले थे वे वहां से भाग खड़े हुए थे। कुल २२२ मन २० सेर गल्ला जो सड़क पर रखा हुआ था वह उन्होंने उठाया। उस रोज के भाव के मुताबिक उसकी कीमत ४,३८४ रुपये होती है। यहां पर जो नेशनल हैरल्ड में खबर छपी थी कि एक लाख रुपये का गल्ला, कपड़ा और किराना लूटा गया, यह बिलकुल गलत छपी है सिर्फ जितना मैंने बताया उतना ही ठीक है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मंत्री जी बड़ा अनर्गल बयान दे रहे हैं। जो नोटिस दिया गया है ....

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ जी, आप बयान सुनना चाहते हैं या नहीं ? जिस तरह से व कहना चाहेंगे, कहेंगे। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इस तरह से बातचीत न कीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

वहां पर लोग बल्लम वगैरह लेकर गये या किराना लूटा गया ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ गल्ला लूटा गया और उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया। एक घंटे के बीच में यह मामला हुआ। इसमें मालूम हुआ कि गणेशदत्त को एक तहसील के कर्मचारी ने भड़काया और दोनों आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। यह १२ फड़ वाले थे और इन्होंने दस आदमियों के नाम बताये हैं कि ये लूटने वाले थे। इसमें न तो किसी पोलिटीकल पार्टी का हाथ है और न प्रीअरेन्ज्ड कोई बात थी। मालूम होता है कि रंजिश की वजह से झगड़ा किया। दूकानें खुली रहीं और बाजार बन्द नहीं रहा और आम तौर से काम चलता रहा। दो आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। वहां पर केवल ५०-६० आदमी इकट्ठा हुए थे, इसलिये जो रिपोर्ट छपी है वह एक्जाजरेटेड है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष जी, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसमें कहा है कि--"ऐसा मालूम होता है" यानी निश्चित तथ्य नहीं बताये। आपका कहना यह है कि ऐसा मालूम होता है, जैसे कोई प्रिजम्पशन हो और यह शुबहा का वक्तव्य हाउस के सामने आया है, इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें और मंत्री जी से निवेदन कर दें कि वे स्थिति स्पष्ट करके सदन को अवगत करायें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अध्यक्ष महोदय, यह मैंने कभी नहीं कहा कि "मालूम होता है"। यह कहा कि मालूम होता है कि किसी पोलिटीकल पार्टी का इसमें हाथ नहीं है। मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आई है कि प्राग्दर्शन में मालूम होता है कि किसी पोलिटीकल पार्टी का हाथ नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मंत्री जी ने झगड़े की बुनियाद गणेशदत्त को बताया है, लेकिन क्या मंत्री जी को मालूम है कि असली वजह यह है कि गांव से जो फुटकर बेचने वाले गल्ला लाते हैं, उनसे एक सेर १४ छटांक का खरीदा और गांव के मजदूरों को एक सेर ५ छटांक का बेचा? एक बुढ़िया को एक सेर ५ छटांक का दिया और तोला भी कम। इसके ऊपर सवाल पैदा हुआ कि तेज बेच रहा है और कम तोल रहा है, इस पर झगड़ा हुआ। क्या मंत्री जी को इसकी सूचना है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

श्रीमन्, अगर सदस्य सुन रहे होते तो यह प्रश्न न करते। मैंने स्वयं कहा कि खरीदने वाले कह रहे थे कि कम तोलता है और ज्यादा कीमत लेता है और पुलिस की रिपोर्ट है और गणेशदत्त और १० आदमियों का नाम फड़ वालों ने बताया कि इन्होंने लूटा है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

माननीय मंत्री जी ने जैसा अपने वक्तव्य में कहा कि किसी पार्टी का हाथ नहीं था तो क्या यह सत्य है कि जो लूट हुई वह फूड रायट्स का हिस्सा थी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैंने पहले कहा कि जितने आदमी वहां पर इकट्ठे थे उन्होंने कहा कि कम तौल रहा है। आपसी झगड़े की बात थी।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

क्या सरकार बतायेगी कि जिस बाजार में गल्ला लुटा था उसमें कोई सरकारी गल्ले की दूकान थी? यदि हां, तो कितना गल्ला मौजूद था?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उस बाजार में सरकारी गल्ले की दुकान है। चरखारी में एक थी। सारे जिले में १९ सरकारी दूकानें हैं। ९११ क्विंटल फूडग्रेंस जनवरी में इश्यू किये गये और ८५० क्विंटल फरवरी के पहले क्वार्टर में इश्यू किये गये।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मंत्री जी की जानकारी है कि चरखारी की आबादी बहुत ज्यादा है और ८ किलो प्रति यूनिट देने के आदेश निकले हैं, लेकिन चरखारी की सप्लाई कम होने के कारण वहां चार किलो प्रति यूनिट भी नहीं मिला, इसलिए, और चूंकि गल्ला ज्यादा दाम पर दिया जा रहा था और कम तौला जा रहा था इसलिए गल्ले की लूट हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह बात सही है कि चरखारी में ज्यादा दूकानें होनी चाहिए थीं और डी० एस० ओ० की लापरवाही है। उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरा प्रश्न यह है कि ८ किलो प्रति यूनिट दिये जाने का आदेश हो चुका है, लेकिन आप की सप्लाई अच्छी न होने के कारण गल्ला स्टाक में नहीं होता है जिसके कारण ४ किलो प्रति यूनिट भी नहीं मिला, इसलिए वहां अशान्ति थी और लूट हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अगर गल्ले की कमी थी तो भेजवाने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी जाय।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

मंत्री जी ने कहा कि १५–२० आदमियों का हाथ था जो २२० मन गल्ला ले गये, तो यह १५–२० आदमी सैकड़ों मन गल्ला कैसे उठा ले गये ?

श्री अध्यक्ष—

१५–२० आदमी २२० मन कैसे ले गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

१० आदमियों को बताया फड़ वालों ने कि यह आदमी ले गये।

श्री अध्यक्ष—

यह पूछते हैं कि कितने आदमी उसमें शरीक थे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पुलिस में जो रिपोर्ट लिखायी है उसमें दस आदमियों को बताया है कि लूट में यह थे। जब दस आदमियों ने लूटा होगा तो कुछ इधर-उधर से और आ गये होंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

मंत्री जी ने बताया कि यह कोई पूर्व नियोजित कांड नहीं हुआ है और यह भी कहा कि २२२ मन २० सेर गल्ला दस आदमियों ने लूट लिया। तो लूटने के बाद क्या उन्होंने किसी और साधन का उपयोग किया जिसके द्वारा वह गल्ला ले गये ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें मुख्य प्रश्न जो है वह यह है कि महंगाई, महंगाई के परिणाम-स्वरूप परेशानी और दूकानों की कमी तथा लूट। अब यह कि उन्होंने कौन से साधन किये, यह तो सब बेकार की चीज है।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मंत्री जी ने अभी सदन में कहा कि २२२ मन २० सेर गल्ला करीब दस आदमी ले गये। इस पर बलवानसिंह जी ने कहा कि एक-एक आदमी २०-२० मन कैसे ले जा सकता है? तो माननीय मंत्री जी ने फौरन उत्तर दिया कि कुछ आदमी और इधर-उधर के शामिल हो गये होंगे। इसका मतलब यह है कि सारा वक्तव्य गलत है। इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि वह सही वक्तव्य दें कि कितने आदमी थे लूट में क्योंकि नेशनल हेरल्ड के वक्तव्य को उन्होंने गलत बता दिया और आपने स्वयं क्वेश्चन बड़ा अच्छा पोज किया। तो यह व्यवस्था होनी चाहिए कि यह बतायें कि कितने आदमी लूट में शामिल थे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं जरा स्पष्ट कर दूं। अफसोस की बात तो यह है कि सुनते नहीं हैं, मैंने कहा था कि ६० आदमी का मजमा इकट्ठा था। उन्होंने केवल दस आदमियों को लिखाया। झगड़ा करने वालों में तहसील का एक परमानेंट कर्मचारी भी है, तो इससे कुछ आपसी झगड़ा मालूम होता है। मगर जब उन दस आदमियों ने लूटा तो वह ६० आदमी जो थे मजमे में, वह गल्ला फड़ में था, बोरे में तो था नहीं, ढेर लगाकर के रखा था, तो वह अपनी अपनी जेब में रख कर या झोले में रख कर ले गये होंगे। ६० आदमी क्या इतना गल्ला नहीं ले जा सकते?

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, आपने जो संक्षेप में कहा था कि इस घटना के पीछे मुख्य बातें यह हैं कि प्रदेश में गल्ले की महंगाई, कम तोलना और उचित व्यवस्था का न होना, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन कारणों से यह घटना घटी जो कि पूरे प्रदेश में यह प्वाइंट आउट कर रही है कि इस तरह की घटनायें होंगी और यह गम्भीर प्रश्न है, अगर इस तरह से महंगाई बढ़े, तौल कम हो, सरकार की व्यवस्था भी ठीक से न हो, तो इस घटना से नसीहत लेते हुए खाद्य मंत्री जी ने भविष्य में पूरे प्रदेश में ऐसी घटनायें न हों और जनता को भी परेशानी न हो, इसकी रोकथाम के लिए क्या कोई अविलम्ब कदम उठाये हैं और उठाये हैं तो क्या?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अध्यक्ष महोदय, मैं जरा आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, कि बीच में, झारखंडेराय जी भी बोल दिये और आपने भी बड़ा मौलिक और विस्तृत प्रश्न किया है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि हमने यह प्रबन्ध कर दिया था कि हमारे प्रदेश में गेहूं जो हमारे पास है अच्छा है या बुरा यह तो हर एक जानता है, मगर जहां तक मात्रा का सम्बन्ध है काफी मात्रा में देहात में भी और शहरों में भी उसका वितरण हो। मगर उस बीच में कानपुर के सेंट्रल गोडाउन में कुछ कान्ट्रैक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच झगड़ा पड़ गया और मुंसिफ ने उस पर रोक लगा दी, हमने दिल्ली में जाकर यह बात कही कि आप एकदम से अप्लीकेशन मूव कर दीजिए जिससे कि हम वहां से गल्ला ले लें। आखीर को यह भी बात आ सकती है कि अगर वह न उठे और बहुत दिन तक इस प्रकार रहने से खराब हो जाय तो ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर डी० आई० आर० स्टेट गवर्नमेंट करे तो वह एक बड़ी विडम्बना की बात हो सकती है। इसलिए हमने कहा कि आप अपने वकील से एकदम से मूव कराइए जिससे सेंट्रल गोडाउन से कुछ मिल जाय जो कि मुंसिफ के आर्डर से रुका हुआ है। तो इसकी वजह से माल कई जगह पहुंचने में कुछ रुकावट पड़ी। ४५ हजार टन के लिए यू० पी०

के लिए किया है। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के गोडाउन से १ लाख टन की मांग की है। वह कानपुर सेंट्रल गोडाउन में मुंसिफ के आर्डर से रुका हुआ है। लेकिन और गोडाउनों से चाहे ट्रक से ही मूव करना पड़े, मूव करने के लिए हमने कदम उठाये हैं। बाकी ५५ हजार टन बम्बई और कलकत्ता से दिये हैं। उनके लिए हमने अपने स्पेशल आफिसर्स बम्बई और कलकत्ता भेजे हैं। ६८ हजार टन को हमने रोलर फ्लोर मिलों को दिया और कह दिया कि इस गल्ले के आटे को हम फेयर प्राइस शाप्स से बटवायेंगे। इसमें बहुत से मिलों ने यह कह दिया कि हमारे पुर्जे खराब हो गये, लेकिन यह सब बातें दिल्ली में फूड मिनिस्टर साहब से कह दीं, डाइरेक्टर जनरल से भी कह दीं और फूड मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी से भी कह दी हैं और वे सब इन सब बातों की देखभाल कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जितना मिलों का प्रोडेक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन है वह सही तरीके पर हो। हम यह सब काम बड़े स्केल पर कर रहे हैं और उसी तरह से कर रहे हैं जैसे कि टोटल राशनिंग के समय पर किया जाता है। बहुत तेजी से सब काम चला रहे हैं। ज्यादा स्टाफ हम इस समय रख नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा बजट डेफिसिट में चल रहा है इसलिये अगर और स्टाफ रखा जायगा तो घाटा और बढ़ जायगा। इस वजह से जो स्टाफ हमारे पास पहले का है उसी से काम ले रहे हैं जिससे प्रदेश के अन्दर कोई शिकायत पैदा न हो और कहीं से कोई भुखमरी की शिकायत न आये, चाहे हमको २४ घंटे के बजाय ४८ घंटे काम करना पड़े। हम इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि ठीक तरह से यह परेशानी का टाइम निकल जाये। ४५ हजार टन के लिये उन्होंने कह दिया है। हम १ लाख टन की कोशिश में हैं। हमने उनसे १ लाख टन गेहूं मांगा था कि इतना हमको माहवार दिया जाय, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि देंगे। मेरी सरदार स्वर्णसिंह जी से बात हुई और उन्होंने मुझ से यह कहा कि हम देंगे। इतना जरूर उन्होंने कहा कि जो मूवमेंट हैं उसमें कुछ दिक्कत पड़ेगी, लेकिन उसको हम देख लेंगे कि किस तरह से वह जल्दी सप्लाई हो सकता है। उन्होंने हमसे यह कहा है कि हम अपना इन्डेन्ट उनको एक महीने पहले भेज दें। हम यह भी चाहते हैं कि मूवमेंट में जो स्टेट को लास होता है, वह न हो, इस बात को भी हम देखना चाहते हैं।

मैं इस बात को कह देना चाहता हूं कि मैं स्वयं चिन्तित हूं, सरकार चिन्तित है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी चिन्तित है। हम अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं कि जो भी कठिनाई है वह दूर हो। कुछ कठिनाई हैं इससे हम इन्कार नहीं कर सकते। हम उसकी गम्भीरता को समझते हैं। मेरी इतनी दरख्वास्त है कि प्रेस वाले, और अपोजिशन वाले इन बातों के बढ़ाने में ट्रेडर्स का साथ देने में अपना हाथ न बढ़ायें और उनको मजबूर न करें कि वे गलत काम करें।

श्री बलवानसिंह---

मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी भविष्य को देखते हुये कि आगे इस प्रकार की घटना न हो जैसी कि वहां पर हुई, लोगों ने १ सेर १४ छटांक का खरीदा और १ सेर ५ छटांक बचा और सारे भारत में ऐसा होता है कि सस्ता लेकर तेज बेंचते हैं और उससे असन्तोष पैदा होता है और क़हत का कारण भी यही है, तो सरकार कोई स्कीम सदन के सामने रखेगी जिसमें सरकार सस्ते भाव पर खरीदकर उसी भाव पर जनता को दे जिससे ये बलवे और झगड़े न हों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जो कदम उचित हो सकते हैं वे हम सब उठा रहे हैं। मूवमेंट में बैन लगा रहे हैं ताकि ट्रेडर्स बाहर न ले जा सकें। यह भी हो सकता है कि सारे स्टाक को रिक्वीजिशन्ड कर लें और प्राइस कंट्रोल कर दें। कुछ ट्रेडर्स ने ऐसा किया है कि सुन कर अफसोस होता है। यहां के कुछ ट्रेडर्स पंजाब से गेहूं लाये। पंजाब में भी गेहूं महंगा कर दिया और यहां पर भी कर दिया। वहां से वह ३ लाख टन अनाज ले आये उसको यहां भी महंगा बेंचा। यह उन्होंने ऐन्टी सोशल काम किया है और कर रहे हैं। हमारे प्रदेश का नुकसान कर रहे हैं।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

उनके खिलाफ जितनी सख्त कार्यवाही हो सकती है उसको उठाने में हम कोई कसर उठा नहीं रखेंगे।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि स्थिति बहुत गम्भीर है और वह उसे कंट्रोल करने के लिये सचेष्ट हैं, तो उन्होंने किस आधार पर यह बात कही कि प्रेस वाले और अपोजीशन वाले स्थिति को बढ़ा-चढ़ा कर कह रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह मैंने इस बुनियाद पर कहा कि पिछले साल जितना गेहूं हम देते थे उसका दुगुना और तिगुना हम दे रहे हैं। आप किसी बारात की दावत भी करते हैं तो उसमें १०, १२ आदमियों में भी कहीं कमी रह जाती है। तो इस प्रकार एक स्थान पर थोड़ी कमी को बढ़ा चढ़ा कर कहने का क्या असर पब्लिक पर पड़ सकता है इसे आप सोचें।

श्री अध्यक्ष--

दिल्ली में जो बातचीत हुई है उसके संबंध में सदन कुछ जानने के लिये व्याकुल है, इसलिये मेरा आप से निवेदन है कि उस सम्बन्ध में कल आप अपना बयान दे दें।

श्री रियासत हुसैन--

अभी मंत्री जी ने चार दिन पहले कुछ आदेश दिये हैं कि कोई ट्रेडर आटा या गेहूं २ सेर ६ छटांक से कम नहीं बेच सकेगा। इसका नतीजा यह हुआ है कि रातोरात सारा गल्ला बाजार से गायब हो गया है। तो मंत्री जी इस छुपे हुए गल्ले को निकालने के लिये और उसे उचित दाम पर दिलाने के लिये कोशिश कर रहे हैं या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसके पहले के आदेश हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कि वह अपने यहां की स्टाक पोजीशन ले लें और वह जांच उन्होंने कर ली होगी।

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना है कि ऐसी हालत है। अब जरूरत इस बात की है कि आप इस सम्बन्ध में जांच कर लें और जरूरत हो तो उसके लिये उचित आदेश दें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

वह मुरादाबाद के सदस्य हैं। मैं उनको बतलाऊं कि दिल्ली में २०, २५ मिल मालिक थे जिन्होंने कहा कि हमारा सारा आटा और गेहूं वहां के अधिकारियों ने दो सेर ६ छटांक में बटवा दिया।

श्री रियासत हुसैन--

सवाल इसका नहीं है। रात १ बजे उत्तर प्रदेश की मंडियों से सारा गल्ला गायब हो गया आपके आदेश के बाद। तो क्या उस छुपे हुए गल्ले को निकालने के लिये मंत्री जी कोई कदम उठा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उसके लिये जरूर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब काफी समय इस पर विवाद हो चुका।

१९६४–६५ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—

अब आय-व्ययक पर विवाद होगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। १४ तारीख को मैंने लिखकर दिया था लेकिन आज तक कोई लिट्रेचर हमको नहीं मिला है, तो हम सुझाव कैसे दे सकेंगे?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जब ग्रान्ट पर विवाद होता है उसके एक रोज पहले विभागीय लिट्रेचर मिल जाता है। उसके लिये सचिवों को आदेश दे दिये गये हैं और प्रयत्न किया जायगा कि साहित्य समय से सब को मिल जाय।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, बनारसीदास जी शायद इस बात को भूल गये कि १९५७–५८ में इस सदन में यह प्रथा थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट पहले मिलती थीं और प्रोग्रेस रिपोर्ट अनुदान के साथ। मैं समझता हूं कि वह भ्रम में हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट हर डिपार्टमेंट की जनरल डिस्कशन से पहले हम लोगों को मिल जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि कुछ लिट्रेचर, अनुदान प्रस्तुत होने से पहले अगर बट जाय तो अच्छा है।

श्री बनारसीदास—

इसके लिये आदेश दिये जा चुके हैं, अनुदान से पहले वह मिल जाया करेगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

श्रीमन्, रिपोर्ट्स दो प्रकार की होती हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव तथा दूसरी प्रोग्रेस। एडमिनिस्ट्रेटिव में एक्चुअल्स आते हैं और प्रोगरेस रिपोर्ट में विभाग की तारीफ होती है। सन् १९५७–५८ से, जब यह देखा कि उसके द्वारा इनकी गड़बड़ी सामने आती है, इसको बन्द कर दिया गया। तो आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे यह रिपोर्ट अवश्य जनरल डिस्कशन से पूर्व हम लोगों को मिल जाया करे।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस आदरणीय सदन को बता दूं कि मेरे अधिकार में तो उतनी ही बातें हैं जितनी नियमों में दी गयी हैं और वह नियम १३१ है तथा एक और है जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार है कि मैं सरकार को मजबूर कर दूं कि वह यह लेखपत्र यहां रखे। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से यह समझता हूं कि बहस के स्तर को ऊंचा करने के लिये यह अच्छा हो कि जो भी लिट्रेचर हो सके वह पहले मिल जाय।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

इस सम्बन्ध में मैं, मान्यवर, आप की आज्ञा से, यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट कभी साल की साल की नहीं आयी, अकसर एक दो साल पहले की आयी। बीच में इस बात की कोशिश की गयी कि एक छोटी-सी रिपोर्ट १००-२०० पेज की सभी विभागों के सम्बन्ध में तैयार की जाय, क्योंकि आप को स्मरण होगा, जब आप इस आदरणीय आसन पर विराजमान नहीं थे, विधायक थे, उस समय बराबर इस बात की शिकायत की जाती रही है कि यह जो रिपोर्ट्स आती हैं इन पर बड़ा पैसा खर्च किया जाता है, आर्ट पेपर वगैरह पर छपाई होती है, तस्वीरें आदि दी जाती हैं आदि। पिछले साल जब एकोनामी कमेटी बैठी थी, उसमें भी इस विषय पर बहुत चर्चा हुई थी और यह तय हुआ था कि एक रिपोर्ट ऐसी छपा करे जिसमें सारी प्रोग्रेस की बातें हों, लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट के बारे में यह तय हुआ कि इसको बन्द किया जाय, इस पर बहुत खर्चा होता है। राजा साहब भी उस कमेटी में थे और उन्होंने भी इसको स्वीकार किया था। अब इस बात की कोशिश की जायेगी कि रिपोर्ट जो तैयार हो वह जल्दी से जल्दी तैयार होकर माननीय सदस्यों को दे दी जाय।

श्री यादवेन्द्रदत्त दूबे--

प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में शिकायत थी कि उसको बन्द कर दिया जाय, ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट के बारे में यह तय नहीं हुआ था।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव हो, या कोई भी हो, यह अच्छा है कि कुछ लिट्रेचर बहस से पूर्व माननीय सदस्यों को वितरित हो जाय ताकि बहस में सुविधा हो।

*श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस वर्ष के माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का अध्ययन किया और उनका भाषण बहुत ध्यान से सुना। यह बजट जिन परिस्थितियों में, जिस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया है वह एक विशेष स्थिति है। अभी माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये कि प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई के कारण और देहात में किसानों की फसल पाला और शीत लहरी से नष्ट हो जाने के कारण उनका जीवन बड़ा संकटापन्न हो गया है। घोर चिन्ता प्रान्त के जन-जन में व्याप्त है और दैनिक जीवन चलाना कठिन हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि बजट हमारी उन सारी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये प्रस्तुत किया जाता जिसके द्वारा हमें कोई ऐसा मार्ग प्रदर्शन मिलता, जिससे हजारों पीड़ित मानवों को कुछ राहत मिलती। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों के होते हुये भी माननीय वित्त मन्त्री जी ने वही पुरानी योजना सम्बन्धी राग अलापा और उसके सम्बन्ध में जो नीतियां हैं उन्हें दुराग्रहपूर्ण और हठवादिता से आगे चलाने का प्रयत्न किया गया है। मैं यह जानता हूं कि यह बजट उस बजट का एक अंग है, उन पंचवर्षीय योजनाओं का एक अंग है जो सारे देश में लागू की जा रही हैं और जिस नियोजन के द्वारा देश की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी उसी का अनुकरण हो रहा है।

जब यह बजट उस सर्वदेशीय बजट और तृतीय पंचवर्षीय योजना के ऊपर आधारित है तो हमें यह निश्चित करना होगा कि जिनकी अर्थ-व्यवस्था को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और जिस प्रकार से नियोजन से हम अर्थ व्यवस्था में प्रगति करना चाहते हैं, उसका पिछले दस सालों का हमारा अनुभव है। यह अवश्य है कि मैं यह चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हम सोच समझ कर उन सारी नीतियों और अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में ऐसा मार्ग अपनायें जिससे हमारा भविष्य उज्ज्वल हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना उन्हीं भ्रान्तिमूलक विचारों के ऊपर आधारित है जिनके अनुसार प्रथम और द्वितीय योजनायें बनायी गयी थीं और इसीलिये उन योजनाओं से और जो कार्यक्रम अपनाये जा रहे हैं उनसे वही विनाशकारी परिणाम अवश्यम्भावी हैं कि हमारी आर्थिक विषमता बढ़ती ही जा रही है। इसलिये हमें इस बात को सोचना होगा कि जिस आर्थिक-व्यवस्था को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और जिन लक्ष्यों को हमने निर्धारित किया है तथा जिन ध्येयों को लेकर हम इस सारी अर्थ-व्यवस्था को चालू कर रहे हैं, उनके द्वारा हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं या विफलता की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी पंचवर्षीय योजना के चार मुख्य लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य यह था कि हम इस देश और प्रदेश की निर्धनता और गरीबी को सर्वथा समूल नष्ट कर दें। दूसरा लक्ष्य जो हमने आपके सामने रखा वह यह था कि हम बेरोजगार और बेकारी का निवारण अपने प्रदेश से करें और देश से भी साथ-साथ हो। तीसरा लक्ष्य यह था कि हम आर्थिक विषमता को कम करें और समानता सारे समाज में लावें। चौथा लक्ष्य हमने यह रखा कि मूल्यों को स्थिर रखते हुये और औद्योगीकरण करके हम साधारण जीवन स्तर को ऊंचा उठावें। इसके साथ ही साथ हम शिक्षा को भी आगे बढ़ा कर वह वातावरण उत्पन्न करें जिसमें प्रजातान्त्रिक पद्धति पनपे और फले-फूले।

अध्यक्ष महोदय, हम जिस बजट पर विचार कर रहे हैं, उसमें उसी अर्थ-व्यवस्था का प्रतिबिम्ब है और उसी अर्थ व्यवस्था को बढ़ाने का संकल्प है तो हमें यह देखना होगा कि पिछले १० वर्षों में अपनी पंचवर्षीय योजना द्वारा हमने जिन लक्ष्यों को निर्धारित किया है उनको पा सके हैं, उनको पाया है या हम विफल रहे हैं। जैसा मैंने कहा--हमारा पहला लक्ष्य दरिद्रता और निर्धनता को दूर करना है। हम यह मानते हैं कि पिछले १० वर्षों में हमारे देश की राष्ट्रीय आय में लगभग ४२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन ये अंक और संख्या भ्रममूलक हैं, क्योंकि भारत ऐसे पिछड़े देश की राष्ट्रीय उत्पादन के अंकन की कसौटी बढ़ती हुई आबादी और प्रत्येक व्यक्ति की आय से निश्चित की जा सकती है। हम यह भी जानते हैं सन् १९६१ के सेंसस से यह ज्ञात हुआ है कि हमारे यहां की जन-संख्या २२ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है।

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं, दो बजे फिर बैठेंगे। उस समय पहले शास्ति होगी, तदुपरान्त आपका भाषण होगा।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से संबंधित सोशलिस्ट कार्यकर्त्ताओं की शास्ति

श्री अध्यक्ष--

पहले मैं आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों से यह प्रार्थना कर दूं कि अब एक बहुत गम्भीर कार्य करने हम जा रहे हैं। हमारे सदन का मान और गौरव इसी में है कि हम यहां शांतिपूर्वक बैठें और शास्ति उसी गम्भीरता से की जाय जोकि इस आदरणीय सदन के लिये गौरवमय सिद्ध हो। मार्शल अब कृपा करके सर्वश्री श्याम नारायणसिंह, केशवसिंह और हुबलाल दूबे को प्रस्तुत करें।

(श्री अध्यक्ष के आज्ञानुसार मार्शल ने केवल दो अभियुक्तों--सर्वश्री श्याम नारायण सिंह तथा हुबलाल दुबे को सदन में उपस्थित किया। मार्शल ने श्री अध्यक्ष को सूचना दी कि अभियुक्त श्री केशवसिंह अनुपस्थित हैं।)

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला बलिया) —

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि आज के छपे कार्यक्रम में यह जो कार्यवाही आप करने जा रहे हैं उसका कहीं जिक्र नहीं है, तो आप बगैर एजेंडा के यह कार्य क्यों कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी सूचना तो मैं पहले ही दे चुका हूं और इसके अतिरिक्त अध्यक्ष को यह अधिकार है कि जो कार्यक्रम छपकर वितरित हुआ हो उसके अतिरिक्त भी यदि कोई जरूरी कार्य हो तो वह अपने अधिकार से उस को ले सकते हैं:

तो अब कौन-कौन उपस्थित हैं ?

श्री श्यामनारायणसिंह कौन हैं ?

(श्री श्यामनारायणसिंह ने हाथ जोड़कर श्री अध्यक्ष का अभिवादन किया।)

श्री हुबलाल दूबे कौन हैं ?

(श्री हु बलाल ने भी हाथ जोड़कर श्री अध्यक्ष का अभिवादन किया।)

श्री केशवसिंह नहीं आये हैं इसलिये उनके बारे में तो मैं व्यवस्था बाद में दूंगा इस समय तो श्री श्यामनारायण सिंह व श्री हुब लाल दूबे के विरुद्ध जो आदेश इस आदरणीय सदन का हुआ है उसी के अनुसार मैं कार्यवाही कर रहा हूं।

"सर्वश्री श्यामनारायणसिंह व हुबलाल दूबे, इस सदन द्वारा आप दोनों को माननीय नरसिंहनारायण पांडेय, सदस्य विधान सभा, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध एक अपमानजनक पर्चा, जिसका शीर्षक था 'श्री नरसिंह पांडेय के काले कारनामों का भंडाफोड़' को छपवाने तथा विधान सभा के अन्दर और बाहर वितरित कराने के आरोप में विशेषाधिकार अवहेलना तथा सदन के अवमान के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है। उस पर्चे के विषय, प्रसंग व आक्षेप माननीय सदस्य के इस सदन के कार्यों व कृत्यों से सम्बन्ध रखते हैं, जो सत्य के नितान्त विपरीत ही नहीं है, अपितु माननीय सदस्य को जनता की दृष्टि में निन्दित व तिरस्कृत करने की क्षमता रखते हैं और उन के संसदीय कार्य करने में बाधा डालने की प्रवृति रखते हैं।

स्वतन्त्र भारत के नागरिक होने के नाते आप से तथा सभी से यह आशा की जाती है कि इस आदरणीय सदन एवं उसके माननीय सदस्यों के संसदीय आचरण की चर्चा करते समय पर्याप्त सौजन्य, सतर्कता बरती जावे और सदन की मर्यादा और गौरव का समादर हो। किन्तु आपका व्यवहार इस सिद्धान्त के बिलकुल प्रतिकूल रहा, अत : मैं सदन के नाम पर तथा उसके आदेशानुसार प्राधिकृत आप दोनों को इस सदन के अवमान तथा माननीय नरसिंहनारायण पांडेय, सदस्य, विधान सभा के विशेषाधिकार की अवहेलना करने के आरोप में शास्ति करता हूं।"

अब आप सदन छोड़ सकते हैं। मार्शल आप लोगों को बाहर जाने में सहायता दें।

श्री चन्द्रबलीसिंह —

मैं उन दोनों महानुभावों को बधाई देता हूं इस काम के लिये....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर बैठ जायं। तब बोलें जब यह चले जायं।

अब श्री केशवसिंह के सम्बन्ध में मैंने जो ऐकनालिजमेंट ड्यू देखा, उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूं कि वह, जो आदेश यहां से जारी हुआ था, उनके ऊपर तामील हुआ। क्योंकि मैं सन्तुष्ट नहीं हूं, अतः उनके नाम यहां से फिर आदेश जारी होगा और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी यहां से सूचना जायगी, कि वह श्री केशवसिंह के ऊपर तामील करा के उनको निश्चित तिथि पर भेज दें। उनके लिये मैं तीसरी मार्च, १९६४ नियत करता हूं।

श्री चन्द्रबलीसिंह ---

मैं उन दोनों महानुभावों की जिनकी शास्ति की गयी है उनके द्वारा अत्याचार के विरोध में परचा बांटने के लिये जो उन्हें सजा मिली और साहस के साथ जो सजा भुगती उसके लिये बधाई देता हूं और बहुमत का जो फैसला हुआ है उसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय चन्द्रबलीसिंह, आपने जो बात कही है यह सदन का अवमान है और इस विषय को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जायगा कि आपने सदन का अवमान किया है, यह बातें कह कर। आप जा सकते हैं।

(इसके बाद सोशलिस्ट सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

१९६४-६५ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद---(क्रमागत)

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिन पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर हमारे प्रदेश की भी आर्थिक व्यवस्था चलायी जा रही है उनके सम्बन्ध में हमें खुले दिल से विचार करना होगा कि जो निर्धारित लक्ष्य था वह प्राप्त कर सके हैं अथवा नहीं और जिस गति से हम आगे बढ़ना चाहते थे उसमें सफल हुये या नहीं।

(इस समय २ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि पहला लक्ष्य हमारा आर्थिक व्यवस्था को बदलने का था जिससे हम अपने प्रदेश और देश की निर्धनता और दरिद्रता को दूर कर सकें। मैंने जैसा कहा इसमें शक नहीं कि पिछले १० सालों में देश की राष्ट्रीय आय ४२ फी सदी बढ़ी है, परन्तु यह संस्था हमें भ्रम में डालने वाली है। जहां हमारी आय बढ़ी है वहां अगर हम विचार करें कि देश की जन-संख्या भी इसी काल में लगभग २२ फी सदी बढ़ी है, जो आंकड़े हमें १९६१ के सेन्सस से मिले हैं, तो अगर हम प्रति व्यक्ति आय निकालें और इस काल में जो आमदनी बढ़ी है अगर उसको प्रति व्यक्ति निकालें तो १.४ निकलती है। इसलिये यह जो वृद्धि हुई है उसका समाधान कारक नहीं है। इसके साथ-साथ अगर हम देश की आर्थिक आय को आंकना चाहते हैं तो हमें सबसे बड़ी कसौटी यह देखनी होगी कि जन साधारण के जीवन में, उनके जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है और जीवन स्तर सुधरा है या अपने स्थान पर रहा है। इसका विचार करते समय हमें यह देखना होगा कि भारत की वर्तमान स्थिति में खाने और कपड़े का उपयोग उन्होंने कितना किया है। यदि हम एकौनामिक सर्वे १९६१ के आंकड़े देखें तो जहां तक भोजन का सम्बन्ध है १९५४ में प्रति व्यक्ति ४.० औंस उपभोग किया गया है। यही ४.० औंस १९५९ में रहा, १६.० औंस १९६० में और १५.४ औंस १९६१ में रहा। हम यह देखें कि भोजन की मात्रा जो जेल में निश्चित की गयी है वह १६ औंस है। जहां तक हमारी फौजों का सम्बन्ध है वहां यह मात्रा १९ औंस निश्चित की गयी है। इसलिये हम देखते हैं कि भोजन के उपभोग में बराबर कमी हुई है।

जहां तक कपड़े का सम्बन्ध है अगर हम बुलेटीन को देखें तो ज्ञात होगा कि १९५५ में १४.६३ मीटर कपड़े का उपयोग हुआ और १९५९ में १४.३० मीटर रह गया। इस प्रकार हमें यह पता चलता है कि जहां तक जीवन स्तर का सम्बन्ध है उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं किया है और जो राष्ट्रीय आय है उसमें बढ़ती हुई जन-संख्या को देखते हुये कोई विशेष प्रकार की उन्नति नहीं हुई है।

दूसरा लक्ष्य जो हमने बेरोजगारी और बेकारी को दूर करने का लिया, इस क्षेत्र में भी हमारी प्रगति थोड़ी आंकड़ों में रही है। आप देखें, प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत ५३ लाख

[श्री शारदाभक्तसिंह]

बेकारों को काम दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २९ लाख को रोजगार मिला, लेकिन इस द्वितीय योजना में ११७ लाख और बेकार बढ़ गये। अत: तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में जब ९० लाख बेकारों की संख्या हमारे देश में हुई। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ९० लाख बेकार थे, तो जो अनुमान हमने लगाये थे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बेकारी दूर हो जायगी वह २६० लाख तक हो गये। इसमें से आयोजना आयोग के अनुमान के अनुसार १४० लाख लोगों को रोजगार देना सम्भव होगा तो इस तरह से १२० लाख बेकार लोग और बढ़ जायेंगे। जहां तक हमने यह आंकड़े लगाये हैं यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग ५० लाख लोग प्रति वर्ष बढ़ेंगे और उनमें से ४० फीसदी काम करने वाले लोग होंगे। लेकिन हमारी जो १९६१ की सेन्सस के आंकड़े हैं उनसे पता चलता है कि यह संख्या ७.९ तक बढ़ी है, तो इसमें बेकारों की संख्या और भी हो सकती है। अतः हम इस बात को निश्चित रूप से जानते हैं कि हम बेकारों की समस्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में किसी प्रकार से हल नहीं कर सकते और उसमें तीव्रता आई है। इस सम्बन्ध में हम यह भी जानते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में पूंजी विनियोग बढ़ाकर इतना खर्च हुआ है उससे भी हम को जो आशा थी उस तरह का लाभ नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में प्रोफेसर कौलिन क्लौथ का कहना है :

"If the rate of fresh investments expressed a percentage of national income was four times the rate of increase in population new investments should ordinarily find jobs for all the new workers."

इस वास्ते देश की बढ़ती जन-संख्या देख कर अगर ४ गुना इन्वेस्टमेंट किया जाय तो सबको काम मिल सकता है। लेकिन हमने देखा कि लगभग ३९ परसेंट से अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया फिर भी हमारी बेकारी बढ़ती चली जा रही है। इसलिये विचार करना होगा कि जिस योजना को, अर्थ व्यवस्था को हम चला रहे हैं वह गलत दिशा में जा रही है।

तीसरा लक्ष्य जो पंचवर्षीय योजना में निश्चित किया गया वह यह था कि आय सम्बन्धी विषमता को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाय। इस सम्बन्ध में भी जो प्रगति हुई है उससे भी हमको निराशा ही हुई है और आज देश में गरीब और गरीब हुआ है और अमीर और अमीर हुआ है। नेशनल सेम्पिल सर्वे ने विगत १६ वर्षों में अध्ययन करके १९६१–६२ में इस प्रकार हमारी आमदनी का ब्यौरा दिया है कि ६ करोड़ लोगों की दैनिक आय ५ आना है। ४ करोड़ लोगों की दैनिक आय ४ आना है और २ करोड़ लोगों की दैनिक आय २ आना तक रही है। ४३ करोड़ लोगों में करीब १२ करोड़ लोग ऐसे हैं जो नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जिनको प्राथमिक आवश्यकतायें भी प्राप्त नहीं होतीं और उनका जीवन बड़ी कठिनाई से चल रहा है।

इसके साथ ही साथ आप देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सर्वेक्षण किया गया २५ अर्द्ध विकसित देशों का जिसमें भारत का नम्बर २०वां है। उस सर्वेक्षण में जो अंक भारत के सम्बन्ध मिले हैं मासिक आय के बारे में वह इस प्रकार हैं—४५ प्रतिशत भारत के नागरिकों की मासिक आय १० से २० रुपये है, ३० प्रतिशत लोगों की मासिक आय २० से ३० रुपये हैं और २४ प्रतिशत लोगों की मासिक आय ३० से ५० रुपये है और १ प्रतिशत जो बचे उनकी आय ५० रुपये के ऊपर है। तो आप देखें कि एक ओर जहां इतनी निराशाजनक स्थिति है दूसरी ओर ६१ तक पूंजीपतियों की आय १ अरब से बढ़कर २.५ अरब तक हो गयी है। ऐसी स्थिति में हमें पता चलता है कि आय में यह असमानता और गरीबी की तीव्रता देश में कितनी अधिक बढ़ रही है। इसलिये जो आर्थिक विषमता को दूर करने का एक निश्चित लक्ष्य हमने निश्चित किया था उसमें भी हम असफल रहे हैं। हमारी योजनाओं ने इस तरफ कोई प्रगति नहीं की है।

चौथा लक्ष्य जो हमने अपने सामने रखा वह था मूल्यों पर नियन्त्रण करते हुये उद्योगीकरण करके लोगों की आय बढ़ा कर जीवन-स्तर को ऊंचा किया जाय। जहां तक मूल्यों का सवाल है मैं समझता हूं कि सारे देश और प्रदेश में आज जनता के सामने यही एक कठिनाई है कि

इतनी तेजी से मूल्य बढ़ रहे हैं जिससे जीवन यापन करना कठिन हो गया है। सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी एक सेर ४ छटांक का गल्ला खरीद कर साधारण जनता को अपना पेट पालना मुश्किल हो गया है। स्थिति इतनी भीषण होती जा रही है कि लोगों ने गल्ले को लूटने का भी प्रयास किया। इन सारी बातों पर चाहे हम पर्दा डालें, चाहे किसी तरह से समझाने का प्रयत्न करें, लेकिन यह हम भुला नहीं सकते कि सरकार स्थिति पर काबू नहीं पाती है, मूल्यों का बढ़ना रोक नहीं पाती है और उसके लिये कोई प्रभावकारी हल नहीं ढूंढ़ पाती है, तो देश में यह एक चिन्ता की बात होती जा रही है।

आपने यह भी सुना और इस माननीय सदन में इसका भी जिक्र हो चुका है कि देश में रबी की फसल भी पाले से नष्ट हो गयी। यह भी बजट में देखा कि पिछले २, ३ सालों से किसानों की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा है और इससे किसान की क्रय शक्ति कम हुई है और जब पाले से फसल नष्ट हो गयी तो उसके लिये एक विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है और जब तक कोई क्रान्तिकारी कदम इस सम्बन्ध में नहीं उठाया जाता है देश की आर्थिक स्थिति को बड़ा भारी खतरा पैदा हो जाने का अन्देशा हो गया है। इस सम्बन्ध में जहां तक सरकारी दृष्टिकोण का सवाल है मैं समझता हूं कि जिस गहराई तथा चिन्ता से कोई कदम उठाना चाहिये उस दिशा में कोई जरूरी कदम नहीं उठाया जा रहा है। हमारे बजट में केवल इतनी बात कही गयी है कि मूल्य बढ़ रहे हैं जो बड़ी चिन्ता का कारण है और यह भी साफ कहा गया है कि 'लेकिन किसी सरकार को इन मूल्यों पर काबू पाने में कठिनाई होती है और प्रदेश की सरकार उसमें असमर्थ हो रही है'। इस असमर्थता को जो स्वीकार किया गया है मैं समझता हूं यह और निराशा का बढ़ाने वाला है। ऐकोनामिक सर्वे १९६०–६१ के बजट के साथ प्रचारित किया गया, उसमें सरकार की ओर से कहा गया है—

"Upto a point because of national upward demand a price rise was not only inevitable but was the only condition of economic advance."

और इसलिये एक विकासमान अर्थ व्यवस्था में चीजों के मूल्य बढ़ना अवश्यम्भावी है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह दृष्टिकोण सत्य से बहुत परे है। यदि हम इसी काल में जो देश आर्थिक प्रगति कर रहे हैं और योजना के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं उनका इतिहास देखें तो जैसा मैंने कहा है जो सरकारी दृष्टिकोण है वह नितान्त असत्य सिद्ध होता है। आप देखें कि पिछले ६ वर्षों में पश्चिमी जर्मनी में राष्ट्रीय आय १२ प्रतिशत बढ़ी, लेकिन वहां मूल्यों की वृद्धि १ प्रतिशत से अधिक नहीं हुई। इसी तरह जापान में राष्ट्रीय आय १२.३ प्रतिशत बढ़ी, लेकिन वहां मूल्यों में २ प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी नहीं हुई। और अगर इटली को आप देखें तो वहां की आय ४९ प्रतिशत तक बढ़ी है और मूल्यों में १ प्रतिशत की कमी आयी है। इसलिये यह कहना कि विकासमान आर्थिक व्यवस्था में अगर ठीक प्रकार से विभिन्न विभागों में काम किया जाय और हमारी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो तो कीमतें अवश्य बढ़ेंगी यह सत्य नहीं है। अगर हम अपने यहां भी देखें तो हमें पता चलेगा कि प्रथम योजना के चार वर्षों में हमारी राष्ट्रीय आय ३.६ प्रतिशत बढ़ी, लेकिन मूल्य १४ प्रतिशत घटे। इसी साथ-साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारी आय केवल ३ प्रतिशत बढ़ी लेकिन मूल्यों में ३२ प्रतिशत से भी अधिक बढ़ोत्तरी हुई। इसलिये अगर सरकार का दृष्टिकोण सही है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जब हमने ३.६ प्रतिशत प्रगति की तो मूल्य अधिक बढ़ने चाहिये थे और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जब केवल ३ प्रतिशत प्रगति की तो मूल्य कम बढ़ने चाहिये थे लेकिन हुआ इसके विपरीत। पहली योजना में १४ प्रतिशत मूल्यों में कमी हुई और दूसरी योजना के अन्त में हमारे यहां ३२ प्रतिशत तक मूल्यों में बढ़ोत्तरी हुई। इसलिये इस बारे में जो सरकार का दृष्टिकोण है मैं समझता हूं उसमें परिवर्तन होना चाहिये। अगर हम इन सारी पंचवर्षीय योजनाओं का जो नियोजन चल रहा है उस पर गम्भीरता से विचार नहीं करते तो हम ऐसी स्थिति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं जहां सुधार करना असम्भव होगा।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

इस के साथ-साथ जहां तक उद्योगीकरण का सवाल है, पब्लिक सेक्टर में जो उद्योग हैं, उनमें जो भ्रष्टाचार और उत्पादन में कमी है वह एक चिन्ता का कारण बनी हुई है। उस सम्बन्ध में हमारे सामने केन्द्रीय सरकार की ओर से एक उदाहरण मिला। वहां संसद ने निश्चय किया है कि एक ऐसी संसदीय समिति बनायी जाय जो पब्लिक सेक्टर में जो उद्योग हैं उन पर नजर रखे और उनकी वस्तुओं का मूल्यांकन करें। मैं समझता हूं अपने उद्योगों की दयनीय दशा को देखते हुये अपने प्रदेश में भी एक ऐसी समिति की आवश्यकता है जो हमारे उद्योगों की देखरेख करे और उनमें जो कमियां हैं उन पर सुझाव दे ताकि जो आवश्यक परिवर्तन करने हों उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा सके। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार का उदाहरण लेते हुये सरकार इस मांग को स्वीकार करेगी क्योंकि यह प्रदेश के लिये आवश्यक है। इसके साथ-साथ जैसा मैंने कहा कि चारों लक्ष्यों को देखते हुये स्थिति यह है कि हमारे यहां से दरिद्रता और असमानता समाप्त नहीं हुई है और बेकारी निरंतर बढ़ती गई है और औद्योगीकरण में भी हम पिछड़े रहे हैं, जब इनको हम प्राप्त नहीं कर सके तो हमारा नियोजन दोषपूर्ण है और हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। इस पर गम्भीरतापूर्वक हमें विचार करना चाहिये। आज हमारे यहां राज्यवादी नियोजन चल रहा है जिसमें सरकार की कार्यवाही बढ़ती चली जा रही है और नियंत्रण अधिक से अधिक करते चले जा रहे हैं और परमिट तथा कोटा आदि अन्य चीजें पनपती चली जा रही हैं जिनसे हम समझते हैं कि शासन में और राजनीतिक शासकों में शक्ति का केन्द्रीकरण हो रहा है। इसको समाप्त करने के लिये हमें इन योजनाओं पर विचार करना होगा।

आप यह भी देखिये कि जहां तक इन पंचवर्षीय योजनाओं को आगे बढ़ाने का सवाल है, उनके विनाशकारी परिणाम हुये हैं जिनके कारण जनता को कठिनाइयों का अनुभव हुआ है और उसके ऊपर जनता ने अपना विचार भी व्यक्त किया है। अभी प्रदेश में दो चुनाव हुये हैं, एक श्याम देउरवा और दूसरा मोहनलालगंज। मैं समझता हूं कि उनके परिणामों से शासन के नेत्र खुलेंगे और वह अपनी पार्टी की कार्यवाहियों पर और मौलिक त्रुटियों पर पुनः विचार करेगा। श्याम देउरवा कांग्रेस सीट थी, वहां पर कांग्रेस की जमानत जब्त होना और मोहनलालगंज में कांग्रेस को तीसरा स्थान प्राप्त होना, उस अध्याय की ओर संकेत करता है कि जनता को आपकी इन योजनाओं से अश्रद्धा हो गई है और जनता के सामने आपके कार्यों ने आप को नंगा करके खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का जोर कम होना चाहिये। लेकिन उधर के लोग, इस बात को नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं कि दलगत स्वार्थों में देश की हत्या न हो। इसलिये आवश्यकता है कि राज्यवादी नियोजन जिसे आप बराबर चलाते चले जा रहे हैं उसको समाप्त होना चाहिये। इससे सारे प्रदेश में गहरी चिन्ता व्याप्त हो रही है। आप की ओर से कहा जाता है कि हमारे नियोजन में, हमारी आर्थिक व्यवस्था में जो कठिनाई हो रही है, उसका एक कारण यह है कि कुछ न कुछ फायदा होता है। अगर आप की आर्थिक व्यवस्था स्वावलम्बी हो, अपने पैरों पर खड़े हों और थोड़ा भी आगे बढ़ते हों तो सोचा जा सकता है कि भविष्य के लिये आप अधिक प्रयास करेंगे। लेकिन विदेशी मुद्रा से कर्जा बढ़ाते चले जा रहे हैं और विदेशों से जो धन प्राप्त हो रहा है उसके सहारे आप अपनी योजनाओं को चला रहे हैं और अपनी विफलताओं पर परदा डालते रहें तो यह बड़ी चिन्ता की बात है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो कहा जाता है कि प्रदेश देश की सर्वांगीण योजना के द्वारा नियोजन चला रहा है और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त किया जा रहा है, उसके लिये विचार स्पष्ट होना चाहिए। हमें इसका दूसरा पहलू देखना होगा। हमारा प्रदेश सारे देश में पिछड़ा हुआ है और हमारी दशा दयनीय है। इसलिये हम दोषपूर्ण योजना को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें। तो हमें अनुभव होगा कि हमारी स्थिति कोई समाधानकारक नहीं है। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम अगर विकसित दृष्टि डालें तो १९४८-४९ के मूल्यों के अनुसार १९५० से १९६० तक उत्तर प्रदेश का उत्पादन २१.९५ प्रतिशत बढ़ा, लेकिन उसी काल में शेष भारत में ४८.९३ प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति

आय ४.६७ प्रतिशत बढ़ी है, तो शेष भारत की २१.६४ बढ़ी है। १९५० में उत्तर प्रदेश की आय २४२ रुपये थी और शेष भारत की आय २४९ रुपये थी। १९६० में उत्तर प्रदेश की आय २५३ हो गयी, लेकिन शेष भारत की आय ३०३ रुपये हो गयी। यह इतना बड़ा अन्तर शेष भारत और उत्तर प्रदेश की आय में होता चला जा रहा है कि हम अपने पिछड़ेपन को छिपा नहीं सकते। अगर हम और आंकड़ों पर विचार करें तो उत्तर प्रदेश में १९५० में प्रति श्रमिक हमारा उत्पादन ७८८ रुपये था लेकिन शेष भारत में प्रति श्रमिक ९२१ रुपये बढ़ा। इस प्रकार से हमारा उत्पादन शेष भारत के अनुपात में ८५.५ प्रतिशत कहा जा सकता है।

औद्योगिक क्षेत्र में हमारी प्रगति चिन्ताजनक है। औद्योगीकरण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का उत्पादन ४.३ प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन शेष भारत का उत्पादन ४८.७८ प्रतिशत बढ़ा है। इसी प्रकार अन्य बातों में भी हम सारे भारत से पिछड़े हुए हैं और उस सम्बन्ध में जो भी हमारी सफलताएं या विफलताएं हैं उन पर हमें पुनः विचार करना चाहिए।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है इसमें भी हमारी दशा बड़ी शोचनीय है। १९५० में उत्तर प्रदेश की साक्षरता १०.८ प्रतिशत थी, लेकिन शेष भारत में यही परसेंटेज १७.९३ थी। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आज पिछड़े हुए हैं। १९६१ में साक्षरता को हमने बढ़ाया १७.६ तक पहुंचे हैं, लेकिन उसी काल में शेष भारत में २५.२६ प्रतिशत बढ़ी है। इसलिए इसमें भी हमारे लिए चिन्ता की बात है। उत्तर प्रदेश की आबादी सारे देश की आबादी की १/६ है, लेकिन साक्षरता में हमारा स्थान औरों के अनुपात में १/८ है। इस प्रकार सारे आंकड़ों को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वित करने में सारे देश से पीछे रहा है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें अगर आप देखें तो मालूम होगा कि पिछले साल के बजट का बहुत-सा रुपया ऐसा है जो हम खर्च नहीं कर पाये और जो मूल बजट के अनुसार कम खर्चा हुआ है।

अगर वह मदें आप देखें तो पता चलेगा कि समाज सेवा में हमने खर्चा बहुत कम किया। पहले से ही जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं उनसे पता चलता है कि शेष भारत में प्रति व्यक्ति शिक्षा पर ४.९ खर्च किया जाता है और उत्तर प्रदेश में २.४ हम खर्च करते हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य में शेष भारत में २.०५ परसेंट खर्च होता है और अपने प्रदेश में १ परसेंट हम खर्च कर रहे हैं। तो जहां इस तरह से हम पहले ही पिछड़े हुए हैं वहां आज जब हम बजट देखते हैं तो चिकित्सा में ९७८ हजार रुपया हमारा शेष रहा जो हम खर्च नहीं कर पाये। सहकारिता में १,४५२ हजार रुपया शेष रहा जो खर्च नहीं हो सका। उद्योग में ६,२५२ हजार रुपया श्रम और सेवायोजन में १,४२० हजार रुपया और समाज कल्याण में २५१ हजार और दुर्भिक्ष सहायता में १२ सौ हजार रुपया ऐसा है कि जो सरकार ने खर्च नहीं किया। तो जहां तक समाज सेवा और जन-कल्याण का सवाल है उसमें जो भी रुपया हमने निश्चित किया उसको भी हम खर्च नहीं कर सके और अन्य मदों जैसे प्रशासन आदि में हमारा खर्चा बढ़ा है। इस तरह जहां हम हर क्षेत्र में पहले ही पिछड़े हुए हैं वहां आज भी हमारा जो प्रयत्न है वह समाधान-कारक नहीं है और उसकी वजह से आज हमारी स्थिति बड़ी शोचनीय हो रही है। इसलिए इस पर भी हमें विचार करना होगा।

प्रस्तुत बजट में यह बात कही गई है कि इस प्रान्त की उन्नति करने के लिए आवश्यक है कि कृषि उत्पादन बढ़ाया जाय और इस पर विशेष बल देकर हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचें जिससे कि हमारी आर्थिक व्यवस्था स्वचालित हो जाय। लेकिन इस सम्बन्ध में भी पिछले अनुभव से हमें बहुत आशा नहीं होती। पिछले दो सालों में खेती के उत्पादन में हम प्रगति नहीं कर सके हैं। हमने उत्पादन नहीं बढ़ाया है यह एक निश्चित बात है और इसके लिए कई कारण हैं। इस बजट में मुझे प्रसन्नता है कि जो बात भारतीय जनसंघ की तरफ से बराबर कही जा रही थी कि इस देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि सघन खेती और प्रगाढ़ खेती से ही सम्भव है, और सरकार ने सामूहिक खेती या सहकारी खेती के नाम पर जो योजना प्रदेश के सामने रखी और उसके लिए बराबर हठ कर रही थी, आज उसको इस बात का अनुभव हुआ कि सघन

[श्री शारदाभक्तसिंह]

खेती से ही कृषि उत्पादन बढ़ाने की सम्भावना है और इसलिए मैं समझता हूं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाय तो भूला नहीं कहा जाता है। अगर यह बात शासकों की समझ में आयी है कि सघन खेती करना आवश्यक है और जो किसान स्वामी है जिस भूमि का उसे उसका स्वामी बना कर उसमें प्रेरणा शक्ति जगाना तथा सघन खेती के द्वारा उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, तो मैं समझता हूं कि यह शुभ लक्षण है।

इसके साथ-साथ भारतीय जनसंघ ने इस बात पर बल दिया है कि सिंचाई की बृहद् योजनाओं के स्थान पर छोटे-मोटे नलकूप बढ़ा कर सिंचाई के साधन बढ़ाये जायं और मैं समझता हूं कि सरकार ने इस बात को भी बजट में स्वीकार किया है, लेकिन जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है हमें इस बात को देखना होगा कि जो सिंचाई के साधन हैं उनका पूरा-पूरा उपयोग हम नहीं कर सके हैं। उस पावर का अंडर यूटिलाइजेशन है और इसलिए इस सम्बन्ध में हमें विचार करना होगा। ६० करोड़ रुपया लगा कर पिछले दस सालों में हमने ४.३२ करोड़ एकड़ अतिरिक्त भूमि सींचने की सामर्थ्य पैदा की है। लेकिन दस वर्ष के पिछले आंकड़े साबित करते हैं कि हमने सिंचित भूमि का क्षेत्रफल नहीं बढ़ाया है। पिछले दस सालों में १४ करोड़ एकड़ भूमि को हमने सिंचित किया है। वह संख्या लगभग एक-सी रही है। इस तरह अधिक धन खर्च करने के बाद भी और सिंचाई का सामर्थ्य बढ़ाने के बाद भी अगर उसका पूरा उपयोग नहीं होता और सिंचित भूमि का क्षेत्रफल नहीं बढ़ता तो मैं समझता हूं कि इस पर हमें विचार करना होगा। इसलिये इस सम्बन्ध में हमें आपसे यह निवेदन करना है कि जहां तक नहरों का सम्बन्ध है नहरें बढ़ी हैं। स्थान-स्थान पर नहरों की ब्रान्चेज भी खोली गई हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उन्हें इस बात का पता है कि नहरों से समय पर पानी नहीं मिलता है और यदि समय पर पानी आता है तो उसके वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं है जिससे गरीब लोगों को पानी प्राप्त हो सके। कुओं से कुछ ऐसे क्षेत्र भी सींचे जाते हैं जो दूर पड़ते हैं और जहां पर २,३ और ४ दिन बाद पानी पहुंचता है लेकिन वह गरीब लोग और विशेषकर हरिजन लोग जो आज गरीबी और बेबसी के कारण अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं कर सकते हैं उनको सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल पाता है। इसलिये वह हमारे इस कृषि के उत्पादन में जैसा योगदान उनको देना चाहिये नहीं दे रहे हैं। इसलिये यह आवश्यक है जहां नहरों की बढ़ोत्तरी हो वहां उनको समय से पानी दिया जाय और लोगों को आवश्यकता के अनुसार पानी दिया जाय। इसके लिये हमें जरूरी व्यवस्था करनी होगी।

आज मैं देखता हूं कि जो नलकूप बने हैं या बनाये जा रहे हैं उनके सम्बन्ध में मुझे जानकर बड़ी निराशा हुई। उस सम्बन्ध में भी भ्रष्टाचार चलता है। मैं दौरे के सिलसिले में जब कई गांवों में गया तो उससे मुझे पता चला कि जो आपरेटर हैं वे गरीब लोगों को तब तक समय पर पानी नहीं देते हैं जब तक कि उनको घूस नहीं मिल जाती है। यह व्यवस्था अभी प्रारम्भ हुई है। यह अधिक बढ़ेगी तो इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा और उस समय सारे प्रदेश में इस पर नियंत्रण करना कठिन हो जायगा। यह भी कठिनाई है कि किसी का खेत अगर दूर है और वहां पर पानी नलकूप से जाता है तो उसकी सिंचाई ज्यादा पड़ती है क्योंकि कुयें को काफी देर तक चलाना पड़ता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि उसको बाद में पानी मिलता है। वह खासकर के पानी प्रथम लेना चाहता है इसलिये कि उसकी सिंचाई अधिक पड़ती है, लेकिन चूंकि उसने आपरेटर से सम्बन्ध स्थापित कर रखा है इसलिये वह सिंचाई दूसरों पर डालकर उसको किसी प्रकार से खुश करने का प्रयत्न करता है। मैं जानता हूं कि ये छोटे-छोटे सवाल हैं किन्तु यदि शासन की ओर से इनके ऊपर ध्यान दिया जाय तो जो कठिनाई आज हमारे सामने है वह दूर हो सकती है।

इसके साथ साथ जहां तक पाले का सवाल है उस सम्बन्ध में सरकार के ऊपर मैं लांछन लगाना चाहता हूं। यह बात पहले से मालूम हो गई थी और इस बात की सूचना भी पहले से आ गई थी कि इस साल पाला अधिक पड़ेगा और फसलों पर उसका विनाशकारी परिणाम होगा,

लेकिन फिर भी सरकार की ओर से जो आवश्यक कदम उठाने चाहिये थे वह नहीं उठाये गये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय नहरों में पानी नहीं दिया गया। अगर नहरों में उस समय पानी दिया जाता और सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी प्राप्त होता तो उसका प्रभाव कम पड़ता, लेकिन नहरों में उस समय पानी नहीं मिला। मैं समझता हूं सरकार की ओर से आवश्यक था कि अगर पाले का भयंकर परिणाम होने वाला था तो अगर पानी प्रदेश को खेती की उत्पादन बढ़ाने के लिये निःशुल्क भी दे दिया जाता तो जो देश में संकट आज आकर खड़ा हो गया है वह संकट सामने न आता, लेकिन मैं देखता हूं कि सरकार ने इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया। आज किसानों की कठिनाई यह पैदा हो गई है कि उनकी फसल नष्ट हो गई है, गेहूं की फसल चौपट हो गई है फिर भी सरकार की सिंचाई उसी तरह से बनी हुई है और उसी तरह से लगान हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि जब हम उनकी फसल की उपज से लाभ उठाते हैं, किसानों से लगान लेते हैं, अगर उनके ऊपर दैवी प्रकोप से आपत्ति आ गई है तो उस समय उनकी सहायता करना शासन का कर्तव्य है। इसलिये सिंचाई आज जो उनके ऊपर कष्टकर बनी हुई है उसको इस साल सरकार को माफ करना चाहिये। इसके साथ-साथ विरोधी दल की ओर से कई बार यह बात सरकार के सामने रखी गई कि आज की परिस्थिति में जब हम सारी अर्थ व्यवस्था कृषि के ऊपर निर्भर करना चाहते हैं तो क्राप इंश्योरेंन्स स्कीम लगाना बड़ा आवश्यक है और किसी रोजगार में अगर उनके ऊपर दैवी आपत्ति आती है तो इंश्योरेंस से उसको बहुत कुछ मुआविजा मिल जाता है। लेकिन आज किसान ऐसी स्थिति में है कि वह अपनी एड़ी-चोटी का पसीना बहा कर मेहनत करता है, त्याग करता है और दैवी प्रकोप के कारण जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो वह अपने को असहाय महसूस करता है। सरकार भी उस समय संकट में पड़ जाती है और उस कठिनाई में पड़े किसान की सहायता के लिये कोई निश्चय जल्दी नहीं ले पाती, इसलिये कि वह अपनी आमदनी भी कम करना नहीं चाहती। इसलिये कई बार कहने के बाद, मैं फिर आवश्यकता अनुभव करता हूं कि क्राप इंश्योरेंस की स्कीम तुरन्त लागू की जाय। इसके साथ साथ प्राइस फिक्सेशनपालिसी के सम्बन्ध में भी कोई कदम उठाया जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में अन्य आवश्यक बातों की ओर ध्यान जाना आवश्यक है।

जैसा मैंने कहा, महंगाई के कारण जो सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की योजना प्रदेश भर में की गयी हैं उस सम्बन्ध में सरकार को बहुत सन्तोष का वातावरण नहीं अनुभव करना चाहिये। यह ठीक है कि सरकार ने यह घोषणा कर रखी है कि वह शहरों तथा देहातों में स्थान-स्थान पर सस्ते गले की दूकानें खोलेगी, लेकिन यह वास्तविकता है कि देहाती क्षेत्रों में हम दूकानें नहीं खोल सके हैं और शहरी क्षेत्र की दूकानों में गल्ला नहीं है और इसलिये लोगों के सामने एक दुर्भिक्ष का वातावरण है। पिछले दिनों में हमारे रसद मंत्री जी ने यह कहा था कि हमारे पास गेहूं का काफी स्टाक है और हम प्रान्त को आश्वासन देते हैं कि इस सम्बन्ध में कोई कमी नहीं होने पायेगी और उस आश्वासन से लोगों को कुछ ढाढ़स बंधा था। लेकिन पिछले १५ दिनों से इस कार्य में ऐसी शिथिलता आयी, ऐसी कुछ कठिनाई उन्होंने अनुभव की कि गल्ले की दूकानों में गल्ला नहीं पहुंच पाया। इससे लोगों में बड़ी निराशा आ रही है। इस स्थिति में लोगों के तथा सरकार के सामने एक निश्चित योजना होनी चाहिये कि कैसे इस स्थिति का सामना किया जाय। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में गहराई के साथ सोच-विचार कर कोई निर्णय लेना चाहिये और इन दूकानों को अधिक से अधिक गल्ला दिया जाना चाहिये।

जहां यह कठिनाई और भीषण स्थिति है उसके साथ ही लोगों की क्रय शक्ति भी समाप्त हो रही है। पहले ही करों के कारण जन साधारण की कमर टूट चुकी है और उसके बाद इस बजट में साढ़े ११ करोड़ के नये कर लगाने का संकेत उनके लिये असहनीय है। जहां साधारण जन इस बात की आशा करता था कि सरकार द्वारा उसको कुछ सहूलियतें दी जायंगी, ऐसे समाधान होंगे कि जिनसे उनके जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी, उसके स्थान पर यह संकेत करना कि हम इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में सर्वथा विफल रहे हैं और इसके लिये साढ़े ११ करोड़ के नये कर लोगों पर और लगायेंगे, एक निराशाजनक बात है और मैं सरकार को चेतावनी

[श्री शारदाभक्तसिंह]

देना चाहता हूं कि वह परिस्थिति को समझकर, प्रान्त की स्थिति को समझ कर कोई ऐसा कदम न उठायें कि जिससे लोगों में विद्रोहात्मक भावना बढ़े। मैं समझता हूं कि लोग सरकार से सहयोग करना चाहते हैं। यद्यपि सरकार की योजनायें गलत हैं, दोषपूर्ण हैं, और उन पर लोगों में रोष है फिर भी प्रान्त का जन-जन चाहता है कि यहां की आर्थिक स्थिति में कुछ परिवर्तन आना चाहिये। लेकिन हमें इस बात का निश्चय करना है कि क्या उनकी यह सामर्थ है कि वह अधिक कर दे सकें। जहां तक भोजन का सवाल है, उसमें कठिनाई है। आवास के लिये हमने शहरों में कुछ ऐसी स्थिति पैदा की है कि जिसके कारण लोगों में एक चिन्ता बनी है। भूमि और भवन कर विधेयक के कारण शहरों में जो आप कर लगा रहे हैं और जिसकी वसूलयाबी के लिये तैयारी की जा रही है उससे लोगों में क्षोभ है और लोग इस बात को अनुभव करते हैं कि किसी प्रकार का कर उन्हें उनकी आवास व्यवस्था पर लगाना उनके लिए एक परेशानी पैदा करना है। कहा गया कि लोगों के पास बहुत से भवन और घर हैं, इसलिए उस पर कर क्यों नहीं लगना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम ने लगाया है हम उन पर तो लगाना चाहते हैं जो किरायेदार हैं, लेकिन जो बहुत से घरों के मालिक हैं जिनके पास अधिक पैसा है उन पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनकी कमर महंगाई के कारण टूट चुकी है उनकी आवास व्यवस्था पर अतिरिक्त कर लगाना बड़ी निराशाजनक बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर पुनः विचार करे और लोगों की आर्थिक स्थिति को समझ कर भूमि एवं भवन कर को वापस ले जिससे लोगों को राहत मिले।

इसी के साथ जो नये कर लगाने का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि जब इस प्रस्ताव को बजट में कहा गया है तो सरकार अपनी कमजोरी समझते हुए, अपने पिछले दिनों की कार्यवाही को देखते हुए उसके पहले यह बात कहती है कि हम फिजूल खर्ची खत्म करेंगे, प्रवंचना खत्म करेंगे, पिछले टैक्स जो वसूल नहीं किये हैं वह वसूल करेंगे। पिछले बजट में भी कहा गया था। कि बड़े दुःख की बात है कि जिन पर करोड़ों रुपया बकाया है और कोई मारल सिद्धान्त इसके लिए नहीं है कि वह बकाया न दे सकें उनके साथ सरकार सख्ती नहीं करती। कारण स्पष्ट है। मैं जानता हूं कि सरकार की ओर से उसके कई कारण दिये जायंगे। लेकिन जो उद्योगपतियों के साथ उनका गठबन्धन हो गया है और उनके पास से जो पैसा चुनावों में मिलता है उसके कारण जो वसूली में सख्ती करनी चाहिए वह नहीं कर सके हैं। इसलिए मुट्ठी भर लोग जो करोड़पति हैं उनसे सरकार हमदर्दी करके जो लक्षावधि गरीब लोग हैं जिनके सामने जीवन-मरण का सवाल है उनके साथ कड़ाई का व्यवहार किया जा रहा है। इस सूखा और पाले के कारण किसान लोगों का लगान मुल्तवी करने की बात थी, लेकिन उस आर्डर को १५ मार्च तक मुल्तवी किया गया। उसके माने यह हैं कि ३१ मार्च तक जो और जिले के अधिकारी हैं उन पर कड़ाई की जायगी कि वह १५ दिन में वसूल करें और इसमें और भी कठिनाई किसानों के सामने आयेगी। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जब पिछले दिनों में हम लोगों के बहुत से प्रश्न प्रस्तुत किये गये तो मुख्य मंत्री ने यह कहा कि २० तारीख को हम विरोधी दल के नेताओं से मिल कर कोई समाधानकारक कदम उठायेंगे। हम भी समझते थे कि जैसी स्थिति है उसमें तुरन्त कदम उठाना चाहिए, लोगों में निराशा का वातावरण बन रहा है, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए तुरन्त घोषणाएं होनी चाहिए। लेकिन २० तारीख को उसके बारे में यह पत्र मिला है कि किसी कारणवश वह बैठक नहीं हो सकती और उसे और आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। जिले के अधिकारियों से जो बातचीत हमारी होती है उससे मालूम होता है कि लगान की माफी और मुल्तवी के नियम हैं वह इतने पुराने हैं और विदेशी काल के हैं जिसके कारण अनुभव करते हुए भी लोगों को किसी तरह की सुविधा नहीं दे सकते हैं। तो उन नियमों में परिवर्तन होना आवश्यक है। हमने जो यहां से आज्ञाएं शासन द्वारा भेजी हैं उनमें दिया गया है कि उन्हीं का लगान मुल्तवी होगा जिसकी खरीफ की फसल पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। इसलिए कृषि की जांच करनी होगी और पुराने नियमों के अनुसार बड़ा लम्बा अर्सा लगेगा और

जब तक मैं समझता हूं, सारे प्रदेश में अगर मुल्तवी नहीं करते तो लोगों में कठिनाई पैदा होगी। मैं अपने जिले की बात जानता हूं कि कड़ाई के साथ वसूलयाबी हो रही है और जिला अधिकारी अनुभव करते हैं कि जब तक यह मुल्तवी हो तब तक वसूलयाबी बन्द कर दी जाय। मैं समझता हूं कि जितना काम हो रहा है वह सरकार के आदेशों पर हो रहा है। इसलिए आज नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी और मैं चाहता था कि अगर बैठक हो, विरोधी दल के लोग बुलाये जायं तो उन सारी बातों को सामने रख कर जो आवश्यक परिवर्तन हों किये जायं ताकि तुरन्त सुविधा दी जा सके। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है, देखें उसके लिये अब कब समय मिलता है। मैं इस बात की तुरन्त मांग करता हूं कि किसानों की दयनीय दशा को देखते हुए सरकार को लगान माफी की तुरन्त घोषणा करनी चाहिये। माननीय माल मंत्री ने इस बात की घोषणा की कि सैलाबी इलाकों में सारी वसूलयाबी रोक दी जायेगी, मगर सभी माननीय सदस्य जो अपने-अपने जिलों का दौरा करके आये हैं, जानते हैं कि बराबर लगान की वसूली चल रही है जिससे इस अविश्वास का वातावरण बनता जा रहा है कि सरकार जिस बात की भी घोषणा करती है उसका तुरन्त कार्यान्वयन नहीं होता और इस कारण जनता की यह धारणा बन गयी है कि सरकार की घोषणा में सत्य का आधार नहीं होता। इसलिये हम चाहते हैं कि जो भी आप घोषणा करें, उसका तुरन्त कार्यान्वयन होना चाहिये।

फिजूलखर्ची के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। आपतकालीन समय की जब घोषणा की गयी तो इस बात का एलान किया गया कि अगर कोई मंत्री दौरे पर जाता है तो उनके साथ सूचना अधिकारी अपने सारे सामान के साथ नहीं जाया करेंगे, केवल मुख्य मंत्री के साथ ही सूचना अधिकारी रहेंगे। लेकिन अभी आपतकालीन स्थिति समाप्त नहीं हुई, मंत्री ही नहीं, उप मंत्री भी जब दौरे पर जाते हैं तो उनके साथ सूचना अधिकारी और उनका पूरा पैराफर्नी लिया जाता है और इस पर बराबर खर्चा हो रहा है। अभी पिछले समय में जब माननीया मुख्य मंत्री जी आगरा गईं तो उनके साथ सूचना सचिव से लेकर सूचना अधिकारी तक, ८ व्यक्ति थे। इस तरह से खर्चा बेकार में बढ़ता जाता है। आज मंत्रियों के दौरों पर बहुत सारा खर्चा अनावश्यक रूप से होता है। अगर वे रेल से दौरा करें, कारों के स्थान पर, तो उससे काफी खर्चा बच सकता है और प्रान्त में एक ऐसा वातावरण पैदा किया जा सकता है कि वास्तव में हम एक-एक पैसा बचाने के लिये प्रयत्नशील हैं। आज हमें जनता के सामने एक ऐसा वातावरण पैदा करना होगा कि हम निर्माण के लिये एक-एक पैसा बचा रहे हैं। किन्तु हम वैसा वातावरण आज नहीं बना रहे हैं।

मान्यवर, बजट में उल्लेख है कि एक सतर्कता आयोग स्थापित किया जायेगा। हमें यह आशा थी कि सरकार जितनी गंभीरता के साथ भ्रष्टाचार के विरोध में चिंतित है, वह एक ऐसा कदम उठायेगी जिसकी प्रतिक्रिया सारे प्रदेश में होगी, लेकिन जब हमें उसके सदस्यों की सूचना मिली तो स्थिति दूसरी दिखलायी दी। उस आयोग में बताया गया कि एक डी० आई० जी० होंगे, एक सदस्य रेवेन्यू बोर्ड के होंगे तथा एक जिला स्तर के जज सदस्य होंगे। हम यह चाहते थे कि वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिये। लेकिन जो व्यक्ति इस आयोग मे रखे गये हैं उनसे हम यह आशा नहीं रख सकते कि वे सेक्रेटरी आदि के रैंक के अधिकारी के विरुद्ध कुछ कार्यवाही कर सकें। इन व्यक्तियों के द्वारा जिस प्रकार से कदम उठाने की आवश्यकता है, वह नहीं उठाये जा सकेंगे। हमें यह आशा थी कि जब यह सतर्कता आयोग बनेगा तो उससे मंत्री लोग भी अपने को अलग नहीं रख सकेंगे। आज प्रदेश में यह विश्वास होता चला जा रहा है कि जितना भी भ्रष्टाचार है उसकी शुरुआत ऊपर के ही लोगों से होती है और जिस प्रकार मंत्रियों में भ्रष्टाचार की बात आज कही जा रही है उसको समाप्त करने के लिये कदम उठाने की आज सब से पहले आवश्यकता है। भ्रष्टाचार पहले ऊंचे स्तर पर समाप्त किया जायगा तब ही नीचे समाप्त हो सकता है। लेकिन उस आयोग को सरकार ने यह अधिकार नहीं दिया कि वह मंत्रियों के बारे में भी विचार कर सके। इसी सदन में आज प्रातः काल ही यातायात मंत्री के संबंध में कुछ आरोप लगाये गये, गांजे के मामले की सुनवाई

[श्री शारदा भक्त सिंह]

या जांच हो रही है, परन्तु इन मामलों को इस आयोग को न देने से लोगों में यह सन्देह होता जा रहा है कि वास्तविकता पर पर्दा डालने का प्रयत्न हो रहा है। इसलिये अगर हमारी इच्छा है कि उस आयोग से भ्रष्टाचार के विरुद्ध आतंक पैदा हो, चाहे भ्रष्टाचार करने वाला कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, तो जो दो मिनिस्टरों के खिलाफ आरोप हैं वे भी उसे देने चाहिये। इससे अच्छा प्रभाव होगा। लेकिन हमने देखा है कि जब समस्या इतनी भीषण हो जाती है कि उसके ऊपर काबू पाना कठिन हो जाता है तो शासन तुरन्त एक कमेटी का निर्माण कर देता है। जिस सतर्कता आयोग की बड़ी घोषणा की जा रही थी उससे जनता में कोई विश्वास पैदा नहीं हुआ। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जहां पिछले दिनों में वह भ्रष्टाचार को मिटाने में असफल रही है वहां इस आयोग के द्वारा भी कोई प्रभावी कदम उठाये जाना सन्देह की बात है। बड़े लोगों को, मंत्रिगण को, भ्रष्टाचार आयोग से बाहर रखकर जो भयंकरता बढ़ रही है, उससे आग में और घी डालने का प्रयत्न हम न करें। इस आयोग की घोषणा ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। सरकार भ्रष्टाचार को समूल नष्ट नहीं करना चाहती है अगर कोई परिवर्तन समाधान कारक नहीं हुआ तो सरकार उसकी जिम्मेदार होगी, क्योंकि उसने जान कर मंत्रियों को आयोग से अलग रखा है।

जहां हम और बातों पर विचार करना चाहते हैं वहां दो एक बातें और मुझे माननीय सदस्यों के सम्मुख रखनी हैं। आज इस प्रदेश में जब हम प्रगति करना चाहते हैं और एक दूसरे से कंधा मिलाकर सारी जनता का सहयोग लेकर आगे मार्ग प्रशस्त्र करना चाहते हैं, तो जनता का विश्वास भी सरकार को प्राप्त करना होगा। आज जो पुलिस में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसके संबंध में किसी प्रकार का कदम न उठाये जाने की बात बड़ी निराशाजनक है। जैसे हवा चलती है, पानी बहता है और सारे काम होते हैं वैसे ही पुलिस भी चल रही है। पुलिस के संबंध में कोई योजना बनाकर भ्रष्टाचार दूर करने की प्रवृत्ति सरकार में हमें नहीं दिखाई दती। जब नये मिनिस्टर साहब हुए तो लोग यह समझे कि कुछ प्रभावशाली कदम उठाये जावेंगे, लेकिन दिन पर दिन हठवादिता और अपनी बात को जबरदस्ती दूसरों पर लादने की प्रवृत्ति ही दिखाई देती है। शासन का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का भ्रष्टाचार व्यापक नहीं है। माननीय सदस्य जानते हैं कि आज सारे जिलों में कितनी दयनीय दशा जनता की हो रही है। लोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि पुलिस रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बनती जा रही है। पिछले दिनों मैं अपने क्षेत्र मे गया था और जब लोगों से कह रहा था कि वहां डकैतियां बढ़ गयी हैं, अपराध अधिक हुए हैं, इन डकैतियों को और अपराधों को समाप्त करने की योजना बनानी चाहिये, तो वहां एक बुड्ढे ने खड़े होकर कहा कि रात को जो डकैती पड़ती है उसे तो हम समाप्त कर सकते हैं और अगर बन्दूक नहीं है, तो हम ढेले जमा करके इन्तजाम करेंगे, लेकिन दिन दहाड़े जो थानों में डकैतियां पड़ रही हैं, उसका आप क्या इन्तजाम कर रहे हैं। आज दारोगा के कहने पर कप्तान साहब को एक छोटी-सी दरख्वास्त दे दी जाती है और जब वह दारोगा जी के पास जाती है तो लोगों को बुला-बुला कर उनसे पैसा ऐंठा जाता है। आज पुलिस शासन के काबू के बाहर होती जा रही है और जन जीवन त्रस्त हो रहा है। अगर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये जावेंगे तो भविष्य बड़ा चिन्तामय है।

पाले के कारण फसल नष्ट होने की फरियाद लेकर लोग लखनऊ आने वाले थे और ६ फरवरी को दरख्वास्त भी उनकी ओर से दे दी गई थी कि हम जिलाधीश महोदय के सामने अपनी दयनीय दशा का दिग्दर्शन करना चाहते हैं और हमारी ओर से सारे काम शान्तिमय होंगे, शांन्ति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होगा। उस दरख्वास्त पर तीसरे दिन ९ बजकर ४५ मिनट पर फोन के जरिये से इत्तला दी जाती है। इसका क्या मतलब है? आज शासन नौकरशाही में इतना जकड़ गया है कि वह इस बात को भी अनुभव नहीं करता कि नौकर शाही गलत काम भी करा सकती है। दफा १४४का हमें ज्ञान था, उसे हम तोड़ना नहीं चाहते थे। अगर हम तोड़ते तो दो एक आदमियों के वहां जाकर ऐसा करने का सवाल नहीं था। इस माननीय सदन का एक सदस्य यह कह रहा है कि हमने १४४ नहीं तोड़ी और न लाउड स्पीकर

का इस्तेमाल किया, लेकिन पुरानी नौकरशाही का जो रवैया है जिसे जो माननीय सदस्य उधर बैठे हैं उन्होंने भी अनुभव किया होगा, वही इतिहास दोहराया जा रहा है। मैंने माननीय मंत्री जी से और अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि क्या डिप्टी कमिश्नर की बात को हम न मानें? तो उस विदेशी दृष्टिकोण से शासन चलाकर आप अपने आपको और जनता को धोखा दे रहे हैं। अगर सरकार चाहती है कि सच्चाई के साथ काम हो और नौकर शाही के पुराने नजरिये में बदलाव आवे तो हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा। मैंने अपने थोड़े जीवन काल में वकालत के सिलसिले में देखा है कि हजारों लोग पुलिस द्वारा नित्यप्रति पीटे जाते हैं, लेकिन हर एक में लिखदिया जाता है कि दौरान हंगामा गिरफ्तारी इनको चोट आई। चोटों का जवाब देने के लिये पुलिस की पुरानी परम्परा है कि वह ऐसा लिख देते हैं। जब हम यहां प्रश्न उठाते हैं कि पुलिस लोगों को बुला कर मारती है, उनके साथ अत्याचार करती है, तो मिनिस्टर महोदय खड़े होकर वहां की रिपोर्ट को पढ़ देते हैं कि हां, कुछ चोटें तो उनको जरूर लगीं, लेकिन बेचारी पुलिस जब पकड़ रही थी तो उन्हें चोटें लग गईं। अगर आप इस प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं, जनता का सच्चा सहयोग लेना चाहते हैं, तो आप को कुर्सी पर बैठकर उस विदेशी नीति में बदलाव लाना जरूरी है। जो व्यक्ति पुलिस द्वारा मारे जाते हैं उसकी अगर सही जांच हो तो वह मारपीट फौरन बन्द हो सकती है। लेकिन सरकार तो ऐसा चाहती ही नहीं है। ऊपर से पुलिस को प्रोत्साहन मिलता है और उससे ऐसे काम कराये जाते हैं जिन्हें सरकार समझती है कि वह कोई बड़प्पन का कार्य कर रहे हैं। इसलिये मैं आप से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक ने कहा कि एक हमारी कठिनाई है, असेम्बली में हमारा एक प्रश्न रख दें तो हमारी कठिनाई दूर हो जाय, हमारा समाधान हो जाय। मैंने कहा कि हम आप का प्रश्न रख देंगे, लेकिन मुझे उत्तर मिला कि हमें रात दिन का अनुभव है कि हम किसी कठिनाई का प्रश्न अगर रखवा देते हैं तो शासन उसी से पूछता है जो हमारे ऊपर हावी है। यानी अगर हम पुलिस कप्तान के खिलाफ शिकायत करते हैं और उसके खिलाफ प्रश्न उठाते हैं तो उसी से उसका उत्तर पूछा जाता है, तो क्या वह यह लिख देगा कि उसकी उसमें गलती है? अवश्य ही वह दूसरा कोई उत्तर भेजेगा और मिनिस्टर साहब असेम्बली में उसी उत्तर को पढ़ देंगे और उस प्रश्न को खत्म कर दिया जाता है। इस समस्या पर हमें नये सिरे से विचार करना होगा।

प्रजातंत्र की एक परिपाटी है। अगर जनतंत्रीय शासन चलाया जाता है तो हमारे जीवन की मान्यतायें भी जनतंत्रीय होनी चाहिये। लेकिन आज हम अनुभव कर रहे हैं कि अगर हम किसी प्रश्न को रखते हैं और जब उसका उत्तर दिया जाता है तो वह सत्य से परे होता है। जब हम अध्यक्ष से निवेदन करते हैं तो वह भी कह देते हैं कि जवाब तो आ गया अब आगे और क्या कार्यवाही हो सकती है, अब जो है सो है। हमें यह बात निश्चय करनी होगी कि हम जिन समस्याओं पर यहां बैठकर बातें करते हैं, खास तौर से मौलिक बातों पर उनको हमें स्वीकार करना ही होगा। हम सत्य बोलेंगे, अगर कुछ गलती हुई है तो उसका भी स्वीकार करना होगा। लेकिन अगर यही रास्ता पकड़े रहे तो जिस प्रकार से हम आज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बिनास की ओर जा रहे हैं, जाते रहेंगे। त्याग और बलिदान के पथ पर चलने के स्थान पर आज शासन में जिस तरह की कार्यवाही हो रही है, कांग्रेस दल में जिस तरह का वातावरण पैदा किया जा रहा है, मुख्य मंत्री कौन हो, इस पर खींचातानी हो रही है, उस सबका उत्तरदायित्व कांग्रेस ही नहीं सारी पार्टियों और इस सदन का भी होगा और हमारी आने वाली संतानें यह अनुभव करेंगी कि जब हमें आर्थिक प्रगति करनी थी उस समय जिस दल के हाथ में शासन था वह इस दृष्टि से सोच रहा था कि कुर्सी किस के हाथ में रहनी चाहिये और उसने उस समय देश के पथ को प्रशस्त नहीं किया।

बजट में मैंने पढ़ा कि समाजवाद साधन ही नहीं साध्य है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी एक विचारक हैं और बनारस के निवासी हैं। उनके संबंध में मैं जानता हूं। हमारे देश की परम्परा और उनकी वंश परम्परा से उनके जो विचार हैं वे सब को विदित है। उसका केवल एक ही जवाब हो सकता है। हो सकता है कि उनको गोविन्दसहाय जी के गुरुकुल में

[श्री शारदाभक्तसिंह]

जाकर यह अनुभव हो गया हो कि समाजवाद साधन नहीं साध्य है। चाहे कोई बात गलत ही करनी पड़े, चाहे जन-जन को बलिदान करना पड़े उस साध्य देवता को प्राप्त करने में फिर भी वित्त मंत्री जी इसके लिये तैयार हैं। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसे कदम न उठायें जिनसे हमारी आर्थिक योजनाओं में संकट उत्पन्न हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो थोड़े से विचार मैंने रखे हैं उन पर सरकार विचार करेगी और ऐसे कदम उठायेगी और ऐसे परिवर्तन करेगी जिससे हम प्रदेश की अधिक सेवा कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टी के लीडर्स को और मंत्रियों को आधा घंटा, शेष माननीय सदस्यों को २० मिनट का समय दिया जायगा।

बोलने वाले बहुत से माननीय सदस्य हैं। पिछले साल भी यही टाइम लिमिट रखा गया था।

*श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के आदरणीय विरोधी दल के नेता के भाषण को मैं बड़े गौर से सुन रहा था, लेकिन हमारे देश व प्रदेश में चल रही योजना के संबंध में जो उन्होंने आलोचना की उससे मुझे कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। क्योंकि जिस दल के ये हैं वह योजना-बद्ध विकास के, समाजवाद के और समाज की आर्थिक प्रक्रिया में राज्य के हस्तक्षेप के सिद्धान्ततः विरोधी हैं। लेकिन आज राष्ट्र ने समाजवाद के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है और हम लोगों के लिये आवश्यक है कि राजकीय हस्तक्षेप का बजट सदन के सामने आया करे। जिस दिन आदरणीय वित्त मंत्री ने इस बजट को हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया उसके प्रातःकाल समाचार-पत्रों में इस सदन के सभी विरोधी दल के आदरणीय नेताओं की बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रिया निकली हुई थी। जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के नेताओं की यह प्रतिक्रिया थी कि यह बजट राजकीय प्रवृत्ति का परिचायक है और इसमें जगह-जगह राजकीय हस्तक्षेप है। कम्युनिस्ट पार्टी ने पता नहीं कैसे उनका साथ दे दिया, सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने भी उनकी आलोचना की थी कि इस बजट में समाजवाद का कोई लक्षण दिखलाई नहीं पड़ता।

श्रीमन्, इस संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि इसका यह एक बड़ा बुनियादी सिद्धान्त है और इसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये। जहां तक जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी का प्रश्न है, ये लोग तो राजकीय योजना के ही विरुद्ध हैं, समाजवाद के विरुद्ध हैं, इसलिये इनका यह कहना कि यह बजट राजकीय प्रवृत्ति का परिचायक है, हमारे लिये प्रशंसा की ही बात है और यह इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट है कि कांग्रेस सरकार समाजवाद की ओर बढ़ रही है....

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

आपको गलतफहमी है।

श्री कृष्णानन्दराय—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी ने आलोचना की है और जो लोग कि उग्रवादी समाजवादी हैं जिन्हें इस बजट में समाजवाद का लक्षण नहीं दिखलायी पड़ता, उन्हीं से मेरा नम्र निवेदन है और स्पष्ट भी कर देता हूं कि जिस समाजवाद को राष्ट्र ने स्वीकार किया है वह अभी कम्युनिस्ट समाजवाद के सिद्धान्त के नजदीक नहीं पहुंच सका है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

य। यह कहें कि उसको स्वीकार करने में राष्ट्र अपने को असमर्थ पा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने और उग्र समाजवादी दल के लोगों ने किसी भी देश के समाजवाद को मानने से अस्वीकार कर दिया है जब तक कि उस देश में कम्युनिस्ट राज्य न हो जाय और वहां राजकीय उत्पादन के समस्त साधनों पर उसका प्रभुत्व न स्थापित हो जाय और देश के समस्त नागरिकों का आर्थिक दृष्टि से हनन न हो जाय। कम्युनिस्ट पार्टी इस प्रकार के समाजवाद में विश्वास करती है जब कि विश्व के बहुत से समाजवादी विचारक इसे समाजवाद न मानकर राजकीय अर्थ व्यवस्था का द्योतक मानते हैं।

जहां तक प्रदेश की आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, इस बजट में कोई बुनियादी अन्तर नहीं है। सभी लोग इस बात को मानकर चलते हैं कि इस प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा सन्तोषजनक नहीं है। लेकिन उस आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए जो १९६४–६५ का बजट उपस्थित किया गया है उसको मैं पर्याप्त साहसिक और दूरदर्शी मानता हूं। इस बजट में केवल एक अभाव मुझे खटकता है और मैं इस बात को बहुत ज्यादा स्पष्ट करना नहीं चाहता हूं। लेकिन राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में इस बात की चर्चा की थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति की जांच हो चुकी है और माननीय वित्त मंत्री ने भी अपने बजट भाषण में इस बात की चर्चा की है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति की जांच हो चुकी है, लेकिन मुझे दुःख के साथ निवेदन करना है कि यह तो केवल एक मौखिक सहानुभूति है और पूर्वी जनपदों के साथ केवल एक लिप-सिम्पेथी दिखाई जा रही है। पटेल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब भी प्रदेश के पिछड़े हुए इलाकों और विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली है। उस कमीशन का कहना है कि नियोजन के कार्यक्रम यदि सन् ७५–७६ तक लगातार १५ साल पर्यन्त चलाये जायं तब कहीं पूर्वी जनपदों का स्तर उस स्थिति पर पहुंचेगा जो कि पश्चिमी जिलों की आज है। यह बड़े दुःख की बात है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि उन्हें लज्जा लगती है कि इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति बड़ी दर्दनाक है और जिस क्षेत्र से वह आते हैं अगर उन्होंने उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखकर अपना भाषण दिया होता तो वह लज्जा से डूब मरने की इच्छा कर रहे होते। पटेल जांच समिति की रिपोर्ट से इस प्रदेश के कर्णधार बहुत ही झुंझला गये हैं क्योंकि गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़ और जौनपुर जिन ४ जिलों की रिपोर्ट उसने दी है, वहां की दर्दनाक स्थिति के बारे में। जहां तक मैंने बजट के आंकड़ों को देखा है उसमें इन ४ जिलों का एक भी आइटम नहीं है, जब कि वाराणसी, बुलन्दशहर, मेरठ, लखनऊ आदि में ३०–३० और ४०–४० आइटम दिये गये हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि पटेल जांच समिति जो कि केन्द्रीय सरकार की थी उसकी रिपोर्ट से अगर इस सरकार के कर्णधारों को झुंझलाहट हो गई है तो वह यह सन् ६३ की अगस्त के बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स के आंकड़े हैं उन पर जरा गौर करें जो इसी प्रदेश के हैं। परसेंटेज आफ अनएम्पलायड परसन्स वेस्ट यू० पी० में ३२ प्रतिशत, सेन्ट्रल यू० पी० में २० प्रतिशत और पूर्वी यू० पी० में ७४ प्रतिशत। यह केवल हाई स्कूल्स के हैं। इल्लिट्रेसी के आंकड़े हैं पच्छिमी यू० पी० में ५ प्रतिशत, सेन्ट्रल यू० पी० में १३ प्रतिशत, ईस्ट यू० पी० में २१ प्रतिशत और हिल्स में ५५ प्रतिशत आप देखें कि जहां पर ७४ प्रतिशत लोग बेकार हैं वहां क्रान्ति होने की संभावना हो जाती है। अब आप परसेन्टेज आफ अन्डर एम्पलायड पर्सन्स टु एम्पलायड पर्सन्स देखें। वेस्ट यू० पी० में ६.८ प्रतिशत, सेन्ट्रल य० पी० में १३.१ प्रतिशत, पूर्वी यू० पी० में ४८.५ प्रतिशत और हिल्स में १०० प्रतिशत।

अब आप ऐवरेज पर डे वेजेज देखें। अर्बन लेबरर की २.६२ रुपया और १.५८ रुपया कृषि मजदूर की वेस्ट में। सेन्ट्रल यू० पी० में अर्बन लेबरर की २.६२ रुपया और कृषि मजदूर की .९४ रुपया। पूर्वी यू० पी० में अर्बन लेबरर की १.९२ रुपया और कृषि मजदूर की .६४ रुपया। इस तरह से औसत पूर्वी प्रदेश में कुल नौ आने, दस आने का ही आता है। जो लोग कृषि का काम करते हैं और दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं उनकी संख्या गाजीपुर में ९४ प्रतिशत है जब कि सारे यू० पी० का औसत ४.५ प्रतिशत है। कृषकों की जन-संख्या हमारे

[श्री कृष्णानन्दराय]

यहां ७८ प्रतिशत है जबकि सारे प्रदेश में ६८ प्रतिशत है। जो अकृषक वर्ग है और दूसरे धन्धे करते हैं वे हमारे यहां हैं १८ प्रतिशत और यू० पी० का औसत है २६.८ प्रतिशत। प्रति व्यक्ति भू-भाग हमारे यहां है .७३ एकड़ प्रति व्यक्ति और यू० पी का ऐवरेज है १.१५ एकड़। अब जिस क्षेत्र में ७४ फीसदी पढ़े लिखे आदमी अब हाई स्कूल अनएम्प्लायड हैं वहां की हालत आप समझ सकते हैं कि कितनी विद्रोहात्मक हो सकती है। मुझे दुख है कि प्रदेशीय सरकार दो योजनाओं के काल में और आज भी पूर्वी प्रदेश की तरफ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कर रही है। विद्युत् ही लीजिये, सौभाग्य से विद्युत् मन्त्री उपस्थित हैं, कहा जाता है कि पूर्वी क्षेत्र वाले रिहन्द क्षेत्र में हैं। १९६३-६४ के आंकड़े देखें तो गाजीपुर में दो जगहों का विद्युतीकरण हुआ जब कि मेरठ में २१ का, सहारनपुर में २६ का और कानपुर और लखनऊ में जहां धनी लोग रहते हैं १३ नये पैसे एक यूनिट बिजली का चार्ज किया जाता है, जब कि हमसे ७ आना प्रति यूनिट चार्ज किया जाता है। हमारे गाजीपुर जिले में प्रदेश के सबसे बड़े गांव हैं, १८-२० हजार आबादी के गांव हैं। अनेक बार लिस्ट विद्युत् मन्त्री को दी जा चुकी है, लेकिन आपने १,५०० गांवों का विद्युतीकरण कर दिया पर १८-२० हजार आबादी वाले गांव अंधेरे में पड़े हुये हैं।

उद्योगों की स्थिति यह है कि ३,७०२ रजिस्टर्ड फैक्टरीज हमारे प्रदेश में हैं जिनमें से कानपुर में १,१०० हैं, बुलन्दशहर, मेरठ और सहारनपुर सब में औसत ३०० के ऊपर हैं। जब कि गाजीपुर में दो और बलिया में दो फैक्टरीज़ हैं। आजमगढ़ में शायद १ ही है। यह हमारी हालत है।

माननीय शिक्षा मन्त्री मौजूद नहीं हैं, हमारे यहां एक हाई स्कूल है जो जर्मन मिशनरीज ने स्थापित किया है, उसमें १,४०० विद्यार्थी पढ़ते हैं, ६० अध्यापक हैं, इमारत भी अच्छी है,लेकिन शिक्षा विभाग ने उस स्कूल को कूड़े में फेंक दिया है, उसमें गबन चल रहा है, हम लोग कहते हैं राजकीय कर लिया जाय तो हमसे कहा गया कि तृतीय योजना में स्कूलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं जानता हूं कि बनारस में इसी तृतीय योजना-काल में १ दर्जन से अधिक स्कूलों को राजकीय व्यवस्था में लिया गया। इस प्रकार की उपेक्षा यदि पूर्वी प्रदेश के प्रति चलती रही तो प्रदेश के लिये शोभनीय नहीं है। कहा जाता है कि पूर्वी प्रदेश के लोग ऐडवंचरस नहीं हैं और वह लोग निजी क्षेत्र में अपना विकास नहीं करते हैं। निजी क्षेत्र में विकास पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। दो योजनाओं में ४,८०० करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में खर्च हुआ जिसमें से प्रदेश में ३०० करोड़ रुपये इन्वेस्ट हुये। क्योंकि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उद्योगों के लिये साधन हैं, रेलें हैं, सड़कें हैं इसलिये वहां पूंजीपतियों ने उद्योग स्थापित किये। हमारे प्रदेश के पूंजीपतियों ने भी निजी क्षेत्र में उद्योग लगाये, लेकिन पूर्वी प्रदेश में नहीं, वहां एक पैसा भी ३०० करोड़ में से इनवेस्ट नहीं किया गया। यदि सरकार राजकीय क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित नहीं करेगी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता।

मुझे प्रसन्नता है कि १९६३ का वर्ष ऐसा ऐतिहासिक है कि सरकार ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि अखिल भारतीय नियोजन के स्तर पर यह प्रदेश बहुत पिछड़ गया है और पटेल जांच कमीशन के माध्यम से यह भी स्वीकार किया गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ गया है। ऐसी हालत में जब बीमारी का पता चल गया है कि स्वाभाविक है प्रदेश में जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई थी उसकी स्थापना होनी चाहिये ताकि रीजनल बेसिस पर प्रदेश की समस्याओं को दृष्टि में रख कर यहां का नियोजन किया जा सके। जैसा मैंने अभी कहा यह प्रश्न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश का ही नहीं यह सारे उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश नियोजन में कुछ थोड़ा-सा अखिल भारतीय स्तर पर पिछड़ गया है। अखिल भारतीय स्तर पर, श्रीमन्, ४१.७ की राष्ट्रीय आय हुई है जबकि हमारे यहां २२.६ प्रतिशत हुई है और २१. डैसीमल कुछ प्रतिशत प्रति व्यक्ति की आय दूसरी पंचवर्षीय योजना में सारे देश में बढ़ी है जबकि हमारे प्रदेश की केवल ४ प्रतिशत है। कुछ स्टेट्स में कहते हैं ० परसेंट है।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है इसमें भी ८६ प्रतिशत वृद्धि हुई है और उत्तर प्रदेश में ५६ प्रतिशत ही है। इस तरह से आर्थिक योजनाओं के काल में उत्तर प्रदेश सारे देश में पिछड़ गया है। ऐसी स्थिति में इसका निराकरण इस के जरिये हो सकता है कि इस देश में एक प्लानिंग बोर्ड बनाया जाय जिसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधि और सभी दलों के प्रतिनिधि हों जिससे उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था की जांच की जा सके। मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि इस प्रदेश में इन योजनाओं से कोई लाभ नहीं हुआ है। यह बात मैं जरूर स्वीकार करता हूं कि इस प्रदेश में आर्थिक योजनाओं में अखिल भारतीय स्तर का जो ऐवरेज है उतनी तो उन्नति हमारे प्रदेश में नहीं हुई है, लेकिन आज की जैसी स्थिति है उसे देखते हुये सुधार करना होगा। मैं कुछ आंकड़े सदन के समक्ष पेश कर दूं जिनसे यह बात तो स्पष्ट हो जायगी कि चीनी को छोड़कर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें २ पंचवर्षीय योजनाओं में यहां पर उसके उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। श्रीमन्, सीमेंट १८.७ हजार मि० टन से सन्१९५८ से ४७.३ हो गया है। स्टील ४,४१६ मिट्रिक टन १९५८ में था और इस समय ९,६०४ मंथली ऐवरेज है। ये आंकड़े मैं यू० पी० मैनुअल स्टेटिस्टिक्स से कोट कर रहा हूं। इलैक्ट्रिक मोटर्स ६८८ मंथली ऐवरेज १९५८ में था और इस समय १,४२१ है। इसी प्रकार २,२०,०० ५,००० मीटर क्लौथ का ऐवरेज १९५८ में था और अब २४,५७,८०,००० हो गया है। चीनी में ९ लाख से घट कर ८ १/२ मै० हो गया है।

भावों के बारे में यह सही चीज है कि भाव बढ़े हैं और सदन के सभी व्यक्तियों का चिन्तित होना स्वाभाविक है क्योंकि इनका जन जीवन से अत्यधिक सम्बन्ध है। जहां तक भावों का सम्बन्ध है आदरणीय वित्त मन्त्री जी ने कहा था कि इस प्रश्न को क्षेत्रीय दृष्टि से हम हल नहीं कर सकते क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर उसका स्टैन्डर्ड नहीं है। श्रीमन्, मेरे पास एक फीगर है जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि १९४८ बेस ईयर मान लीजिये तो उसमें जितनी भी करेंसी थी ७२ प्रतिशत अधिक इस समय प्रचलित है और अधिक करेंसी प्रचलित होने का कारण यह है कि हमारी योजनायें चल रही हैं, विकास के कार्य चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में समाज के आर्थिक कार्यों में वृद्धि हुई है और उनको बैलेन्स करने के लिये यह आवश्यक है कि करेन्सी की व्यवस्था की जाय। जहां तक अन्न के भावों का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि यह सही चीज है कि अन्न एक ऐसी चीज है जिसके भाव इस ढंग के होने चाहिये कि हर व्यक्ति अपने साधनों से खरीद सके। लेकिन जब तक इस देश व प्रदेश में केवल अन्न के भावों के बारे में विचार किया जायगा और औद्योगिक वस्तुओं के बारे में विचार नहीं किया जायगा तब तक आप चाहे कितना अन्न के भावों में आर्टिफिशियल मार्केट क्रियेट करें, दिल्ली से आटा तथा गेहूं ला कर वितरण करें, अन्न का भाव कम नहीं हो सकता है। मेरे पास कुछ आंकड़े मौजूद हैं ४८ को बेस ईयर मान कर उनमें आप देखेंगे कि चीनी में अगस्त, १९६३ में १९ प्रतिशत, विजिटेबिल आयल में २२.४ प्रतिशत सूती कपड़े में २७.१ प्रतिशत, जूट के बारे में ५.८ प्रतिशत और दियासलाई में ५८.१ प्रतिशत, सीमेंट में ६५.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये आंकड़े हैं उन चीजों के जो शहरों में और फैक्टरियों में उत्पादित होती हैं, लेकिन उनके भावों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। अगर उन चीजों के आंकड़ों को उसी बेस ईयर के हिसाब से लें जो खेतों में उत्पादित होती हैं, तो गेहूं की कीमत १९४८ में २० प्रतिशत कम, चावल की १६ प्रतिशत कम रही। जौ की वही रही। दाल और तिलहन में वृद्धि हुई और उसका भी कारण यह रहा कि दाल और तिलहन जो है उनको फैक्टरी में स्थान मिलता है। बुलन्दशहर और कानपुर की फैक्टरीज में जाकर इन चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। इसलिये मेरा यही निवेदन है कि जब तक केन्द्रीय और प्रदेशीय सरकार खेत में उत्पन्न अन्न तथा शहरों में उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों में संतुलन स्थापित नहीं करती है तब तक भावों में वृद्धि नहीं रुक सकती है।

मुझे इस बात का दुख है कि विरोधी दल के नेता को सहयोग की भावना को दिखाने के लिये चाहिये था कि पेंशन में जो ५ रुपये की वृद्धि हुई है, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो ५ रुपये की वृद्धि हुई है और क्लास टू सर्विस के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जो खोला गया है, पे-कमेटी की स्थापना का जो एनाउन्समेंट किया गया है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिये विजिलेंस

[श्री कृष्णानन्दराय]

कमेटी की स्थापना की गयी है, इन सब बातों की सराहना करते ताकि सरकार यह समझ पाती कि वह जो अच्छे काम करती है उनमें उसे विरोधी दल का सहयोग प्राप्त होता है। इन शब्दों के साथ में इस बजट की प्रशंसा करता हूं।

श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९६४–६५ का बजट जो पेश हुआ है उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। जीवनोपयोगी वस्तुओं के भावों में वृद्धि, शीत लहरी तथा पाले के कारण रबी की फसल का बरबाद होना, ये ऐसी बातें हैं जिनसे मानव जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है और खाद्य समस्या बड़ी जटिल हो गयी है विशेष कर पूर्वी प्रदेश की जो कि कभी सरप्लस क्षेत्र नहीं रहा है। इस समस्या को हल करने के लिये सरकार सस्ते गल्ले की दूकानें खोलना चाहती है और इसके लिये कुछ सस्ते गल्ले की दुकानें खोली भी गयीं हैं ताकि उन दुकानों पर से लोगों को अन्न मिलना सुलभ हो। आप देखेंगे कि जितनी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गयी हैं उनका ठीक-ठीक उपयोग जनता को नहीं मिल रहा है और इसका कारण यह है कि वितरण प्रणाली में दोष है और अगर वितरण प्रणाली ठीक ढंग से अपनायी जाय और अधिक से अधिक सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायं तो कोई मुश्किल नहीं है कि ओपिन मार्केट में जो गल्ला बिक रहा है उसके भाव न गिरें। लेकिन जिन लोगों के लिये आज गल्ला वितरित किया जा रहा है वह उनको ठीक ठीक मिल नहीं पा रहा है, बल्कि सारा गल्ला चोरबाजारी में चला जा रहा है। कागज में दिखाने के लिये दूकानें खोली गयी हैं, लेकिन वह वास्तव में वहां के लोगों को गल्ला मिल नहीं पा रहा है। इसकी शिकायतें भी जिला अधिकारियों से की गयीं लेकिन आपकी सरकारी मशीनरी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आपने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये एक आयोग बनाने का निर्णय किया है लेकिन इसके साथ ही साथ आपको उन अधिकारियों के कामों की भी देखभाल करनी चाहिये जो उनके जिम्मे आपने सौंपा है। अगर आपने उनकी देखभाल नहीं की तो केवल आयोग बिठा देने से भ्रष्टाचार की समस्या हल नहीं हो सकेगी, जब तक किसी आदमी के विरुद्ध आप सब प्रमाण नहीं पायेंगे तब तक आप कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। आज सरकार की ओर से यह आदेश जारी किया गया है कि हर न्याय पंचायत में सस्ते गल्ले की दूकान खोली जाय। लेकिन इसके बावजूद भी आज सब न्याय पंचायतों में सस्ते गल्ले की दूकानें नहीं खोली गयीं। क्या कारण है? दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं, तीन-चार महीने हो गये लेकिन आज तक दुकानें नहीं खोली गयीं। इसके पीछे कोई रहस्य होगा। क्या रहस्य होगा यह आप स्वयं समझ सकते हैं।

इतना ही नहीं, सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने में, इश्यू गोडाउन से गल्ला ले जाने में बहुत कठिनाई होती है। यही कारण है कि सारा गल्ला चोरबाजारी में चला जाता है। मऊ की पुलिस ने ३० बोरी चावल पकड़ा, रपट लिखाई, सप्लाई आफिस को इत्तला की, दूकान सस्पेंड हुई लेकिन इसके बावजूद भी उस दूकान को फिर गल्ला वितरण करने के लिये दे दिया गया। अगर यही प्रणाली रही तो क्या सस्ते गल्ले की दूकानें खोल देने से खाद्य समस्या हल हो सकती है, इसके अलावा आजमगढ़ जिले में परगनाधीश फूलपुर ने तीन, चार दूकानों का निरीक्षण किया और उनको सस्पेंड किया, लेकिन फिर भी वे चल रही हैं। इसका मतलब है कि अधिकारीगण उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि गल्ला ब्लैक मार्केट में बिके। हमारे खाद्य मन्त्री जब वहां दौरे पर गये थे तो हमने उनसे कहा भी था कि आजमगढ़ जिले में जो सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गयी हैं उनका करीब करीब ७५–८० परसेंट गल्ला ब्लैक-मार्केट में चला जाता है, लेकिन उस कहने का भी कोई परिणाम नहीं निकला। तो आप कम से कम उस मशीनरी को सम्भालें जिसके द्वारा आप सारी योजनायें चलाना चाहते हैं। पुलिस विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग तो भ्रष्टाचार के लिये प्रसिद्ध हैं ही, लेकिन विकास विभाग जिसके बल पर आप देश और प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं, जिसके बल पर आप कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करना चाहते हैं उसमें आप देखें कि आज विकास खंडों में क्या हो रहा है। विकास खंड

भी आज इस बात की होड़ लगाये बैठे हैं कि कौन कितना पैसा कमाता है। २४ रुपये का हल जो आपकी स्वीकृत फर्म है वहां से मंगाया जाता है। उसमें ८ रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। १६ रुपये में किसान को वह हल मिलता है ताकि वह खेतों की अच्छी जुताई कर के अच्छी फसलें तैयार करे। लेकिन वह हल किसी काम का नहीं होता। विकास अधिकारी अच्छा कमीशन लेते हैं, लेकिन वह हल इतना खराब होता है कि किसान उसको १६ रुपये में भी लेने के लिये तैयार नहीं होता। आप किसानों को कहते हैं कि काफी खाद उठाओ, लेकिन उनकी शक्ति नहीं है। जो सीमेंट आप देते हैं उसमें ३–३ रुपये फी बोरी ब्लाक में अधिक लिया जाता है। सामुदायिक विकास मन्त्री यहां मौजूद नहीं हैं। कई बार मैंने प्रश्नों के द्वारा ऐसे कार्यों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य कि उनका ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया। अभी-अभी एक ब्लाक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया। सारे विकास खंड के अधिकारियों ने हस्ताक्षर कराये और उनसे कहा कि वोट दो। जबर्दस्ती उनको बुलाया गया और रात को ब्लाक के क्वार्टरों में बन्द रखा गया और इस तरह से रखा गया जिस तरह से मवेशी को भी नहीं रखा जा सकता है। उनको वहीं खाना दिया गया और वहीं पाखाना-पेशाब भी उनको कराया गया। दूसरे दिन वोट के समय उनको निकाला गया। इस तरह से विकास के द्वारा देश का निर्माण करना चाहें, उन्नति करना चाहें तो मैं समझता हूं कि आपकी योजनायें सफल हो चुकीं और देश का विकास हो चुका।

आज पुलिस की वजह से सारे प्रदेश में अराजकता फैली हुई है। कई ब्लाक प्रमुख मारे गये। हमारे सब ब्लाक प्रमुख पर गोली चली और ब्लाक प्रमुख की एक आंख गायब हो गई लेकिन उनकी जान बच गई और दो आदमी मारे गये। इस तरह से सारे जिले में अराजकता फैली हुई है। थानेदार और पुलिस के सिपाही मनमानी करते रहें लेकिन कोई अधिकारी उनकी शिकायत सुनने के लिये तैयार नहीं है। इसी तरह से आज सरकार के सभी विभागों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कितनी भी अच्छी से अच्छी योजना हो लेकिन यह भ्रष्टाचार की गाड़ी उसको दलदल में फंसा देगी। इसलिये जरूरी है कि भ्रष्टाचार हमारे यहां से दूर हो। इसको दूर करने के लिये मैं कहना चाहूंगा कि जिस अधिकारी के जिम्मे कोई काम हों उसमें आप देखिये कि वह ढ़िलाई क्यों करता है? अगर कोई अधिकारी किसी काम में ढिलाई करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। नहरों के लिये जो जमीन ली गई है उसका मुआवजा किसानों को आज तक नहीं दिया गया। दूसरे यह कि किसान बराबर उस जमीन का लगान दे रहा है। अभी नहर कट जाने की वजह से खरवारी ग्राम में फसल को काफी नुकसान हुआ। हमारे साथी मंगलदेव जी ने सरकार का ध्यान दिलाया कि काफी क्षति होने के कारण यहां के किसानों को मुआवजा मिलना चाहिये। कुछ को मुआवजा मिला और कुछ को नहीं मिला। जब सरकार ने आश्वासन दे दिया था तो सभी को मुआवजा मिलना चाहिये।

प्रदेश में जहां तक निर्माण का कार्य है मैं समझता हूं कि सिंचाई की तरफ ध्यान दिया गया है। हमारे यहां ४, ५ ट्यूबवैल लगे हुये हैं। खाली कागज पर कुंओं का निर्माण दिखाया जाता है। किसान को सामान नहीं मिल पाता है जिससे लघु सिंचाई योजनायें पूरी नहीं हो पातीं। यह सारी दिक्कतें हैं उनकी वजह से निर्माण कार्य में बाधायें पड़ रही हैं।

शिक्षा के स्तर के बारे में यह है कि १० प्रतिशत मुश्किल से शिक्षा हुई है फिर भी बेकारी बढ़ रही है। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिये उम्मीद थी कि वे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा का काम कर पायेंगे, लेकिन तीसरी श्रेणी के मैट्रिक को नहीं लिया जाता है। वे बेकार हैं, उनको कोई उद्योग धंधा नहीं सिखाया जाता है हमारे यहां की शिक्षा प्रणाली में दोष है और लोग नौकरी के लिये मारे-मारे फिरते हैं। ऐसी प्रणाली होनी चाहिये जिससे स्कूल से निकलने पर उसको कोई न कोई काम मिल जाय। शिक्षा प्रणाली के दोष को दूर करना चाहिये।

स्थानीय निकायों में टाउन एरिया सब से छोटी है और टैक्सों से उसका काम चलता है। टैक्स वसूल करने का कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे ठीक ढंग से टैक्स वसूल कर सकें।

[श्री दौलतलाल]

अगर एक फर्म के कई हिस्सेदार हैं और टाउन एरिया ने उन पर टैक्स लगाया है तो वह उस सामूहिक प्रापर्टी से टैक्स वसूल नहीं कर सकती। इस ऐक्ट में इस ढंग से संशोधन होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी फर्म का हिस्सेदार है तो टाउन एरिया को उस प्रापर्टी से टैक्स वसूल करने का हक होना चाहिए। टाउन एरिया क्लर्कों के ट्रांस्फर का भी कोई विधान नहीं है। उसका ट्रांस्फर उसी तरह से होना चाहिए जैसे सरकारी कर्मचारियों का तीन साल में ट्रांस्फर हो जाता है। तीन साल में उसका भी स्थानान्तरण हो जाना चाहिए। परिणाम यह होता है कि वह राजनीति में हिस्सा लेने लगते हैं, और वह भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाता है अभी स्थानीय निकायों में भूमि भवन कर लगाया गया है जब कि टाउन एरिया कमेटी में पहले से प्रापर्टी टैक्स लगता है। जिन भवनों पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है उन पर पहले से टैक्स लगता चला आ रहा है। इस तरह से डबल टैक्सेशन लग रहा है। इसलिए जिन निकायों में पहले से भवनों पर कर लगता चला आ रहा है, उन पर यह टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर सरकारी मशीनरी द्वारा जो टैक्स लगाया गया है वह निकायों के टैक्स से अधिक होता है तो निकायों का टैक्स रद्द कर दें। लेकिन दोनों में एक ही टैक्स लगाए जायं निकाय का हो या सरकार का क्योंकि एक ही चीज पर डबल टैक्स गलत है, अवैधानिक है।

बाबू कृष्णानन्दराय ने कहा कि यह समाजवादी बजट है। मैं इसको समाजवादी बजट मानने के लिए तैयार नहीं हूं। प्रजा समाजवादी पार्टी का सदस्य होने के नाते मैं समाजवाद को मानता हूं। समाजवाद में जो जितना कम पाता है, उसको कम से कम आवश्यकता के अनुसार तो मिलना ही चाहिए। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन बहुत कम हैं। महंगाई की स्थिति सबके लिये समान है। उसमें चाहे अधिक वेतन हो या कम वेतन हो, जो खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ गया है वह सब पर समान ढंग से प्रभाव डालता है। तो क्या कारण है कि जो ऊंची तनख्वाह पाने वाले हैं, उनको ४० रुपये महंगायी का भत्ता दें? हालांकि माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि उनको पहले नहीं मिल रहा था। आज अपने महंगाई के बढ़ते हुए मापदण्ड को देखते हुए ४० रुपये की घोषणा की तथा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का केवल ५ रुपये महंगाई का भत्ता बढ़ाया। उनकी जो ३० रुपये की मांग थी वह बढ़ाना चाहिए था। ४५० से ८५० तक वेतन पाने वाले महंगाई भत्ता न पाते तो कोई अनुचित बात न थी। इसलिए यह बजट समाजवाद की तरफ झलक मात्र भी नहीं है। हो सकता है कि नेता विरोधी दल समाजवाद में विश्वास न करें, लेकिन समाजवाद में जो विश्वास करता है उसे मालूम है कि समाजवाद में जो जितना कम पाता है उसको उतना अधिक मिलना चाहिए और जो जितना अधिक पाता है उसको उतना कम मिलना चाहिए। आर्थिक असमानता अधिक से अधिक १ और १० की होनी चाहिए। भुवनेश्वर में लोकतंत्रीय समाजवाद की घोषणा के बाद कुछ लोगों को इस बात की आशा थी कि १९६४ के बजट में समाजवाद की झलक मिलेगी लेकिन इसमें समाजवाद का संकेतमात्र भी नहीं मिलता। अध्यापक वर्ग की ओर आपने थोड़ा-सा ध्यान दिया है किन्तु वह बढ़ती हुई महंगाई के अनुसार नहीं है। जो आपने अच्छे काम किये हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जैसे आपने भ्रष्टाचार निवारण समिति बना दी। आपने अध्यापकों के लिए तीन महीने की पेंशन कर दी है इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं लेकिन जिस स्तर पर महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से जितनी वेतन महंगाई मिलनी चाहिए थी उतनी आपने नहीं दी। यह महंगाई का भत्ता जितना मिलना चाहिए था, उस स्तर तक आपको सरकार नहीं कर सकी, इसलिए मेरा और हमारी प्रजासोशलिस्ट पार्टी का ऐसा मत है कि जो बजट पेश किया गया है वह समाजवादी बजट नहीं है।

*श्री महेशसिंह (जिला हरदोई)—

उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९६४–६५ के आय-व्ययक के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैंने नेता विरोधी दल का भाषण बड़े ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने बहुत-सी कठिनाइयों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का जिक्र किया और यह बताया कि किस तरह से जो योजनाबद्ध हम विकास करना चाहते हैं उसमें कोई सफलता सरकार को या प्रदेश को नहीं मिली है। मैं आशा करता था कि इसका कोई दूसरा आलटरनेटिव तरीका भी वह बतायेंगे कि किस तरह से अपने प्रदेश का विकास हम कर सकते हैं। लेकिन विरोधी दल के सदस्यों से मेरा ऐसा आभास रहा है कि वह कभी भी यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं रखना चाहते। अक्सर ऐसा होता है कि अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो ही वह बराबर चार साल तक दुहराते रहते हैं। किसी चीज को तह में जाना नहीं चाहते। मैं दो-तीन मूलभूत समस्याओं को जिनका जिक्र नेता विरोधी दल ने किया लेता हूं। यह बात सही है कि कीमतें बराबर बढ़ी हैं और आगे भी उम्मीद नहीं है कि कोई घटती उसमें हो, इसका उन्होंने जिक्र किया। यह भी जिक्र उन्होंने किया कि वित्त मंत्री महोदय ने इस ओर अपनी कठिनाई बताई कि इस विषय में वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब इसका कोई तरीका वह बताते कि किस तरह से इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन वह उन्होंने नहीं बताया क्योंकि क्योंकि अगर वह कोई विचार रखते तो खुद मुश्किल में पड़ जाते। तरीके दो ही हो सकते हैं। या तो हम उस पुराने खयाल पर चले जायं और फ्री मार्केट कर दें जो कि मैं समझता हूं कि किसी भी देश के लिए, ब्रिटेन, अमेरीका तक के लिए सम्भव नहीं है। दूसरा तरीका कीमतों पर नियंत्रण करने का जो है वह तभी सम्भव हो सकता है जब कि हम जो उपभोक्ता वस्तुयें हैं जिनमें खाद्यान्न भी शामिल है, उनके उत्पादन, वितरण और एक्सचेंज में कम से कम ७५ प्रतिशत का नियंत्रण करें (कंट्रोल करें)। मैं समझता हूं यहां पर समाजवाद का नारा भरने वाले बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कंट्रोल के नाम से खुश होते हैं, लेकिन यह शायद जरूरी हो जाय।

अब खाद्यान्नों की एक समस्या और है। अगर हम कंजम्पशन का इंडेक्स देखें तो प्रति कुटुम्ब उसमें विशेषकर मध्यम वर्ग के लोगों का करीब ६० प्रतिशत हिस्सा है। अगर हमें योजना को बढ़ाना है तो खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ने न पायें, यह हमें देखना चाहिए लेकिन इसका दूसरा मतलब यह होता है कि खाद्यान्नों को पैदा करने वाले जो किसान हैं उनको फिर हमें एक परपेचुअल गरीबी में रखना पड़ेगा। और अगर गरीबी में नहीं रखना चाहते हैं तो वहां भी जो हमारा उत्पादन है उस पर भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब यह हुआ कि जो खेत हैं उन पर भी समाजीकरण करना हमें एक तरह से जरूरी हो जायगा। मैं समझता हूं कि जो हमारे समाजवादी भाई और कम्युनिस्ट भाई हैं उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ५० प्रतिशत राष्ट्रीय आय खेती से होती है। लेकिन इस राष्ट्रीय आय का जो या जो हमारा खेती का उत्पादन है उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। खेती लोग करते हैं और उसकी कीमतें घटती बढ़ती हैं। तो हम यह समझते हैं कि उनका जो उत्पादन है और उनके उत्पादन के जो साधन हैं उन पर हम अधिक नियंत्रण न कर सकें तो आगे और भी दिक्कतें होंगी। श्री भानुप्रतापसिंह जी ने यह बात पिछली दफे माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर कही थी कि जो खेतों का इधर फ्राग्मेन्टेशन हुआ है उससे स्थिति और भी विषम हुई है। श्रीमन्, आजकल हालत यह हो गई है कि हमारे गांवों में करीब-करीब २२ फीसदी खेतिहर मजदूर हैं और २२ फीसदी ऐसे लोग हैं जिनके पास एक एकड़ के लगभग खेत हैं। इस तरह से करीब-करीब ४५,४६ फीसदी ऐसे हो जाते हैं कि जिनके पास अनइकोनामिक होल्डिंग्स है। उनको कैसे सुधारा जा सकता है यह सवाल है। मैं समझता हूं उनको सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन तरीका जैसा उन्होंने बताया उसके उलटा है। यह जरूरी है कि अनइकोनामिक होल्डिंग्स को इकजाई किया जाय, चाहे वह राष्ट्रीयकरण करके या सहकारिता के जरिये से हो। यह बात जरूर है कि सहकारिता में दिक्कत है। मैं समझता हूं वह जमाना आ जायगा जब कि हमको यह करना पड़ेगा कि हम अपनी सारी खेती का राष्ट्रीयकरण कर दें ताकि जो हमारी राष्ट्रीय आय का सब से बड़ा साधन है उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सके। जब तक एकजाई ज्वाइन्ट फार्मिंग के रूप में नहीं होगी तब तक मैं समझता हूं यह पूरा मसला हल नहीं हो सकेगा। सहकारिता के लिये कुछ प्रयास किया गया है। लगभग ५० करोड़ रुपया तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर हर साल उनको कर्जे के रूप में दिया जाता है, लेकिन उससे भी कोई खास फायदा दिखाई नहीं देता क्योंकि अनइकोनामिक होल्डिंग्स का मसला ऐसा है कि उसके लिये आप कुछ भी करें वह भी ऐसा ही मसला है जैसे गरीबी

[श्री महेशसिंह]

का मसला होता है कि उस जाल को तोड़ नहीं पाते हैं। बहुत से धन को हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यदि उसको इस्तेमाल भी किया जाय तो उसका रिटर्न उतना नहीं मिल पाता है जिससे और आगे तरक्की कर सकें।

मैं मिसाल के तौर पर बतलाऊं। मान लीजिये कि एक एकड़ वाला किसान है। वह एक जोड़ी बैल रखना चाहता है। एक जोड़ी बैल ३००–४०० रुपये से कम में नहीं मिलती है। जो बैलों की जोड़ी होगी उसको खाने के लिये चारा भी चाहिये। बैल आदमी से दुगुना खाता है। इस तरह से यह मसला कठिन हो जाता है। इस हालत में कोई भी छोटा किसान एक जोड़ी बैल नहीं रख सकता। यह जो हमारा पशुधन का मामला है, मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस ओर प्लानिंग कमीशन का भी ध्यान नहीं गया है कि किस तरह से इसकी उन्नति की जाय। पशुधन सारी दुनियां का एक बटा चार हमारे भारतवर्ष में है और सारे भारत का एक बटा पांच हमारे प्रदेश में है। मतलब यह है कि करीब-करीब जितनी हमारी आबादी है उसके आधे करीब-करीब ४ करोड़ पशु यहां पर हैं। जहां पर ४ करोड़ पशुधन हों वहां पर भी यह खाद्यान्न की समस्या बनी हुई है। इसका कारण यह है कि यहां पर पशुधन से यह सहारा मिलने के बजाय उनको यहां पर खिलाना पड़ता है चाहे वह किसी काम के हों या न हों। यह एक कटु सत्य है कि इस की समस्या को किसी तरह से सुधारना होगा। हमारे यहां ४ करोड़ पशुओं की संख्या होते हुये भी मैं देखता हूं उनका उपयोग कम है। हमारे यहां दूध की भी कमी है। दूसरे यह कि हमारे यहां ५० फीसदी गाय-भैंस ऐसी हैं जो दूधनहीं देती हैं। ऐसे ही बैलों में भी हैं। उनमें भी ५० फीसदी बैल ऐसे हैं जो बेकार हैं और बूढ़े हैं। वे खेती का काम करने या बोझ ढोने या हल में काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह से इनकी संख्या भी बहुत बड़ी हो जाती है। इसका खाद्यान्न पर भी असर पड़ता है। यह समस्या किस प्रकार से हल हो सकती है इस पर सरकार को सोचना चाहिये। यह ऐसे काम हैं जो छोटी छोटी योजनाओं से हल नहीं हो सकते हैं। १०, २० गोसदन खोलने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। मैं यह समझता हूं वह समय आने वाला है कि जो जानवर आदमियों के लिये आज खाद्यान्न पैदा करने में मदद करता है वही जानवर पैदा किये हुये सारे खाद्यान्न को खा जायगा और फिर भी उनका पेट नहीं भरेगा और हालत और भी खराब हो जायगी।

इसी सिलसिले में प्रदेश में कुछ और भी पोटेन्शियल है जिनका इस प्रदेश के बाहर बहुत चर्चा है। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि कभी मैं सेन्ट्रल फूड ऐडवाजरी कमेटी के सिलसिले में बम्बई गया था। वहां पर इस बात का चर्चा था कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से गन्ने का विकास हुआ है, शुगर इंडस्ट्री का विकास हुआ है, उतना ही कम से कम बड़े पैमाने पर फल संरक्षण का भी विकास हो सकता है। आप ताज्जुब करेंगे श्रीमन् कि यहां पर सारे भारत का ६० फीसदी आम होता है, ६० फीसदी से अधिक अमरूद होता है और करीब ७० फीसदी मटर पैदा होता है। आज आप जानते हैं कि फ्रूट प्रिजर्वेशन में मटर की बड़ी मांग है और खुशी की बात है कि ८० फीसदी उस मांग को हम इस प्रदेश से पूरा करते हैं, लेकिन हम उसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम इस ओर अधिक ध्यान दें और शुगर केन की तरह से ही उनकी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायें तो अधिक फायदा हो सकता है। इस सिलसिले में हम एक नयी इंडस्ट्री इस प्रदेश में खोल सकते हैं और हमारा जो मार्केटिंग सरप्लस है सब्जी तथा फलों में, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। इससे करीब दो करोड़ की हमारी आमदनी बढ़ सकती है। मैं बतला दूं कि इस समय प्रदेश में कई फ्रूट प्रिजर्वेशन फैक्टरीज लगने वाली हैं, लेकिन हम उसमें और भी तरक्की कर सकते हैं और केन सेस जैसा कुछ लगा कर इसको बढ़ा सकते हैं।

अभी इंटेंसिव कल्टीवेशन की बात आयी और उसके लिये नेता विरोधी दल ने कहा, लेकिन मैं समझता हूं कि पैकेज प्रोग्राम जो अलीगढ़ में चल रहा है उसकी स्टाक स्टडी के लिये हम लोग स्टीमेट कमेटी की तरफ से गये थे। जो कुछ हमने वहां देखा उससे हमें कोई खास संतोष

नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि वह सारा काम दिखावटी करना चाहते हैं। कोई ठोस काम करने में व सफल नहीं हुए। ऐसी उम्मीद नहीं है कि जो एक्सपेरीमेंट हम वहां कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिल सकेगी। वहां पर वाटर लागिंग की समस्या है। उसके लिये डाक्टर नैयर ने एक भूमि सेना का सुझाव दिया था और मैं समझता हूं कि हमारे लिये वह मानने लायक बात है। उस प्रोग्राम में हम इसका कोई समाधान निकाल सकते थे। जिले के लेबिल पर तमाम अफसर उसमें लगा दिये गये हैं, लेकिन काम इतना नहीं बढ़ा जितने कि अफसर वहां बढ़ गये हैं। यह ठीक है कि फोर्ड फाउन्डेशन के जरिये वहां बहुत-सी चीजें पहुंच गयी हैं और धन बहुत लगा है, लेकिन कोई खास नतीजा दिखायी नहीं दे रहा है और मैं समझता हूं कि इस स्कीम के बारे में हमें और जानकारी करनी चाहिये और यदि उसे चलाना है तो ऐसा कोई अधिकारी जो उसकी पूरी जानकारी रखता हो और योग्य हो उसके सुपुर्द वह काम करना चाहिये। आज जिलाधीश उसके प्रधान होते हैं, यदि उनको खेती में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है तो वे उसमें कोई खास काम नहीं करा सकते। वहां के मिस्टर गोयल को खेती में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। इस तरह से फर्जी काम करने से कुछ खास काम बनने वाला नहीं है।

इसके साथ में कोआपरेटिव मूवमेंट की बात भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि कोआपरेटिव मूवमेंट उत्तर प्रदेश में कई मानों में आगे बढ़ा है। जो हमारा रुपया था उसकी वसूली बहुत अच्छी रही और सर्विस कोआपरेटिव का काम भी आगे बढ़ा है। महाराष्ट्र गुजरात और मद्रास को छोड़कर हमरा प्रान्त सब से अच्छा रहा है। कोआपरेटिव की बदनामी इसलिये होती है कि हम सरकार का काम करना चाहते हैं। जहां बहुत गरीबी हो वहां पर उसके सुधार की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हालत इतनी खराब है कि किसानों की अगर तीन फसलें होती हैं तो एक फसल मान लो मारी जाती है तो वह कभी पूरा नहीं कर पाते हैं और इनडेटिडनेस बढ़ती जाती है, छुटकारा नहीं पाते। इसके लिये सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सहकारिता को किसानों के विकास के लिए फैला देना चाहिए और जो कमजोर तत्व हैं समाज के उनको अलग से सहायता दें जिससे वह शुरू की हालत पर काबू पा सकें और मर न जायं। ग्राम स्तर पर जितनी समितियां बनीं उनकी हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्वालिफिकेशन "डी" है। तो टेक-आफ स्टेज तक उनकी सहायता करनी आवश्यक है।

पंडित नेहरू ने भी कहा था कि कुछ स्कीम ऐसी भी चलें जिससे किसानों को तुरन्त लाभ हो। क्योंकि बड़ी-बड़ी योजनाओं का लाभ देर में होता है। जितनी पूंजी उनमें लगी है १० फीसदी तक उनमें रिटर्न नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यक है कि उद्योग-धंधे लगाये जायं जिससे बेरोजगारी पर काबू पा सकें। नेता विरोधी दल ने कहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। देहातों में ऐसा होता है कि जब काम मिला तो कर लिया और नहीं तो खाली बैठे हैं। तो उनका फिगर रिलायेबिल नहीं है। रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं, लेकिन आबादी भी बढ़ रही है।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोई भी गवर्नमेंट का स्पोक्समैन नहीं बैठा है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बहुत बेजा बात है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

वह थूकने गये हैं। लीजिये वह आ गये।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, किसी न किसी साहब को गवर्नमेंट के रहना चाहिए।

श्री महेशसिंह—

श्रीमन्, बजट में दो एक और खास बातें हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन है या स्वायल कंजरवेशन के सिलसिले में सरकार द्वारा किया गया काम। ये ऐसे काम हैं जिनमें हम और प्रदेशों से आगे हैं। इसके लिये हमें सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन इसमें जो एक रुपया कंट्रीब्यूट करने वाली बात रखी गयी है उसके बजाय अगर सरकार यह कर दे कि संडे आफ रहे तो ज्यादा उचित होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि सरकारी कर्मचारी इतवार को काम नहीं करते थे। लेकिन अब इतवार को भी काम करने की प्रथा चल गई है। मैं समझता हूं कि संडे आफ मिलना चाहिये, इससे वे शेष ६ दिनों में ही उतना काम कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मुझे इस बजट भाषण की परिभाषा के सिलसिले में कहना है। इसकी भाषा सामन्ती है। बजट भाषण को देखने से प्रतीत होता है कि केवल क्रिया और कारक को छोड़ कर सामन्ती शब्दों का ही प्रयोग हुआ है जो जन-भाषा के योग्य नहीं है, जो उत्तर प्रदेश की जनता की भाषा है उसके शब्द नहीं हैं। हिन्दू राजाओं के समय में राजा और पुरोहित की जो भाषा थी, उस भाषा के शब्दों का प्रयोग करके जनता को धपले में डालने की कोशिश की गयी है।

दूसरा सवाल साहित्य के वितरण का है। बजट साहित्य का वितरण इस ढंग से हुआ है कि वह हर एक की समझ में नहीं आता, किसी पुराने मेम्बर से या किसी जानकार मेम्बर से यह पूछना पड़ता है कि उसमें कौन बात कहां लिखी है। अगर उसका वितरण इस ढंग से हुआ होता कि प्रशासन के खर्चे के सम्बन्ध में एक अलग पुस्तक होती, लोक कल्याणकारी कामों तथा खर्चे की अलग किताब होती, तथा हर एक की अलग-अलग किताब होती, तो लोगों की समझ में बजट की बातें अच्छी तरह से आ जातीं। (व्यवधान) पंडित जी इशारे से कहते हैं कि मेरे दिमाग में गड़बड़ी है। मैं कहता हूं कि जिन्होंने इसको बनाया है उनके पुरखे भी मेरे जैसे दिमाग की गड़बड़ी ही बताते आए हैं।

जहां तक इस बजट को समाजवादी बजट कहने का सवाल है, माननीय कमलापति जी ने स्वयं अपने भाषण में यह कहा है—". . .मैं जानता हूं कि जो दावा हम कर रहे हैं उसे चुनौती दी जायगी और बजट पर टीका करते हुये कहा जायगा कि यह समाजवादीबजट नहीं है"। अन्त में कहा है—"मेरा यह दावा नहीं है कि आदरणीय सदन के सम्मुख जो बजट इस सरकार की ओर से मैंने प्रस्तुत किया है वह समाजवादी बजट है। पर नम्रतापूर्वक हम यह निवेदन तो कर ही सकते हैं इस बजट में हमारी गति का जो संकेत मिलता है वह इस संकल्प की ओर ही उन्मुख है जिसे राष्ट्र ने व्यक्त किया है। हम इतना और निवेदन करना चाहते हैं कि समाजवाद और उसकी व्यवस्था को लाने के लिये योजनाबद्ध कोई एक राज्य अपनी परिसीमित परिधि में कुछ विशेष कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकता। उसके सफल सम्पादन के लिये सार्वदेशिक केन्द्रीय नीति का संचालन आवश्यक है. ." तो सवाल है उस दिशा की ओर मुड़ने का? मेरा कहना है कि सरकार ने उस ओर मुड़ने की कोशिश ही नहीं की है। जैसा कि बजट भाषण में श्रीमन्, जिन्दगी की रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के लिये जहां महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए, वहां ऐशो आराम की चीजों के लिये महंगाई भत्ता देने की व्यवस्था है। देखें न, एक तरफ ५ रुपया बढ़ाया गया है और दूसरी तरफ ४५० से ८५० रुपये पाने वालों को ४० रुपये दिये गये हैं, ऐशोआराम की चीजों को मोहइया करने के लिये। फिर यह सरकार कहती है कि हम समाजवाद की ओर कदम दम बढ़ा रहे हैं। कितना मजाक है।

जहां तक सार्वदेशिक केन्द्रीय नीति का सवाल है, कांग्रेस पार्टी अपने अधिवेशन में समाजवाद के सम्बन्ध में एक फैसला करती है। जिस पार्टी की सरकार केन्द्र में है, उसी पार्टी की सरकार सूबे में है। इसलिये आप अपने सहयोगियों से बात करके समाजवादी बजट जैसा कहते हैं ला सकते थे। न लाने में आपकी ही नाकाबलियत है क्योंकि उनसे बातें करके लाते तो समाजवादी योजना की व्यवस्था आप कर सकते थे। यहां पर रोने से काम नहीं चल सकता। यह आपको स्वयं करना चाहिये था। जहां तक समाजवाद की व्यवस्था का सवाल है हमें समाज के किसी न किसी कोने को पकड़ना होगा। समाजवाद के लिये चाहे पहले बच्चों का, या बूढ़ों का कोना पकड़ना चाहिये। बच्चों की ओर से देखा जाय या बूढ़ों की ओर से देखा जाय, इस बजट में हमें कोई प्रगति इन छोटों के लिये दिखायी नहीं देती है। इस बजट में बूढ़ों की पेंशन के नाम पर कुछ व्यवस्था अवश्य की गयी है, लेकिन वह भी लावारिस बूढ़ों को। अगर उसका भांजा भी जिन्दा होगा तो उसको पेंशन नहीं दी जायगी। वित्त मंत्री जी तो पूर्व के रहने वाले हैं, लेकिन पश्चिम में भी यह बात है कि वहां पर बूढ़े ही सबसे अधिक दुखी हैं, किसी बूढ़े को घरों में खाना नहीं मिल रहा है, न बेटा दे रहा है न पतोहू दे रही है। इसलिये और भी कि सूबे की हालत दूसरे सूबों से पिछड़ी हुई है। कृष्णानन्द राय जी ने खुद कहा कि आमदनी में हमारा सूबा पिछड़ रहा है। जब एक खेत का मजदूर मामूली-सी मजदूरी लेकर घर आता है तो स्वयं बीबी और बच्चों को खिलाता है लेकिन बूढ़े और बुढ़िया को उपवास ही करना पड़ता है। हर गांव में १०–१५ बुड्ढे रोते हुये मिलते हैं कि आज हमारे बेटे, पतोहू ने खाना नहीं दिया। जब ऐसी बात की तरफ भी इस बजट में ध्यान नहीं दिया गया तो किस प्रकार से इसके द्वारा समाजवाद लाया जा सकता है ?

अब बच्चों पर आ जाइये। इसी उत्तर प्रदेश में दो प्रकार की प्राइमरी पाठशालायें हैं। एक वह जिन में मंत्री जी, नेताओं, बड़े सेठों और आफिसरों के बच्चे पढ़ने को जाते हैं और दूसरी म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पाठशालायें हैं जिनमें बच्चे अपने घर से बोरी लेकर पढ़ने को जाते हैं और मंत्री जी समाजवाद की बातें करते हैं। मंत्री जी के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने के लिये जाते हैं उसमें भंगी का लड़का पढ़ने के लिये नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी हैसियत ही नहीं है। हैसियत के नाम पर उसके आगे उन स्कूलों में जाने से रोका जाता है और कहते हैं कि समाजवादी बजट है। उस दिशा की ओर भी कदम नहीं है। यह तो समाजवाद पर पर्दा डालने वाला बजट है। समाज का कोई कोना पकड़कर समाजवाद की ओर जाया जावेगा जिसका पूर्णतया इस बजट में अभाव है।

मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन पर कुछ घड़ियाली आंसू बहाये हैं। "उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन हम सब के लिये लज्जाजनक चीज है। हम उसको जल्द से जल्द दूर करने का भरसक प्रयत्न करेंगे।" १६ वर्ष हो गये भरसक प्रयत्न करते हुये और कुछ भी प्रयत्न नहीं हुआ। अन्त में माननीय कृष्णानन्द राय जी सरीखे लोगों ने भी जब सब ओर से लातें मारीं तब एक आयोग आया और उस आयोग ने भी उसी दिशा में प्रयत्न किया जिसमें वर्तमान योजना कर रही थी। उस आयोग की रपट आ जाने पर भी पूर्वी जिलों का विकास न होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश दूसरे सूबों के मुकाबिले में ज्यादा पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के नगर गांव और नगरों के मुकाबिले पिछड़ते जा रहे हैं तथा दूसरे जिलों के मुकाबिले में पूर्व के जिले पिछड़े हुये हैं और उसका कारण केवल योजना की गलत दिशा है। पूर्वी जिले सौत के पुत्र की तरह उपेक्षा के कारण नहीं पिछड़ रहे हैं जैसा कि श्री कृष्णानन्द राय और दूसरे साथियों ने कहा। उसका कारण योजना ही है, इसकी दिशा गलत है। जिस दिशा की ओर योजना जा रही है वह विकसित को विकसित करने की है, पचासों लाख अमीरों को अमीर बनाने की है। सारा पैसा टैक्स के जरिये वसूल करके आज उनको अमेरिका की हैसियत पर लाया जा रहा है। अमेरिका भी ऐसा पेड़ नहीं है जिसकी

[श्री चन्द्रबलीसिंह]

बाढ़ रुक गयी है। इसलिये अपनी पंचवर्षीय योजना का सारा उगाहा हुआ पैसा उन्हीं की हैसियत व रहन-सहन को बढ़ाने में खर्च हो रहा है, जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश दूसरे सूबों के मुकाबिले में पिछड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के गांव नगरों से पिछड़े हुये हैं, चाहे पूरब के गांव हों या पश्चिम के गांव हों, पूर्वी जिले पश्चिमी जिलों के मुकाबिले में पिछड़े हुये हैं और यह परिस्थिति है योजना के कारण। इसलिये जरूरी है कि उत्तर प्रदेश और पूर्वी जिलों को अगर विकसित करना है तो उनको विशेष मौका देना पड़ेगा।

आज आप देखते हैं कि एक तरफ सीमेंट की सड़कें हैं और दूसरी तरफ गांवों में हाब की सड़कें हैं। बरसात के मौसम में किसी गांव में भी आप चले जायं, नाक देना मुश्किल हो जायगा। जूते पहन कर आप गांवों में नहीं जा सकते और वह भी जब तक कि धोती और पतलून को ऊपर सरका कर आप किसी गांव में नहीं जाते। जहां तारकोल की सड़कें हैं उनको सीमेंट का बनाया जा रहा है और हाब (कीचड़) की सड़कों को उसी हालत में छोड़ दिया गया है। उपजाऊ जमीन चार बूंद पानी गिरे और ऊसर में भी चार बूंद पानी गिरे तो उसका नतीजा होगा कि फसल उस पानी से ही अच्छी हो जावेगी, लेकिन ऊसर में उसका कोई असर नहीं होता। इसलिये माननीय कृष्णानन्द राय जी अपनी तरफ से कांग्रेसी योजना को मानते हुए चाहे कितना भी कहते रहें, जब तक योजना की दिशा की तब्दीली कराने की कोशिश नहीं करते, तब तक पूर्वी जिले पिछड़े रहेंगे, पूर्वी जिले जो बाढ़ के एरिया में आते हैं, जहां लगातार बाढ़ आती रहती है वे पिछड़े ही रहेंगे। और भी देखिये पूरे बजट को पढ़ने के बाद भी बाढ़ रोकने के सम्बन्ध में कोई चीज मुझे देखने को नहीं मिली। फिर आप भी पूर्वी जिलों का रोना रोते हैं।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

क्या पश्चिमी जिले बड़े मालदार हैं?

श्री चन्द्रबलीसिंह—

आपके नगर आगे बढ़ रहे हैं? देवरिया नगर को ही आप देखें। जिसने आज से ३० वर्ष पहले देवरिया देखा हो वह अगर आज वहां जाय तो देवरिया को पहचान नहीं सकता है। उसको उसी प्रकार से भ्रम हो जायेगा जैसे सुदामा को अपनी झोपड़ी की जगह महल को देखकर हुआ था।

आज शहर बढ़ रहे हैं लेकिन गांव पिछड़ रहे हैं और उसका कारण यह है कि योजना गलत है, उसकी दिशा गलत है। अमीरों को अमीर, आगे बढ़े हुये इलाकों को आगे बढ़ा। तथा पिछड़े इलाकों को पिछाड़ने तथा पिछड़ी जातियों को पीछे रखने की योजना है। जब तक योजना की दिशा को नहीं बदलवा पाते, तब तक हमारा और आपका कोई लाभ नहीं होगा।

(इस समय ४ बज कर २९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए।)

जहां तक बढ़ते हुये दामों का सम्बन्ध है, एक तरफ तो गल्ले एवं जीवन के काम में आने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हालत यह है कि बढ़ते हुये दामों को रोकने के लिये किसी योजनापूर्ण तरीके की कोई योजना नहीं है। एक योजना ऐसी है भी तो ऐसा लगता है कि चूंकि सोशलिस्ट पार्टी ने उसे दी है, इसलिये उसे सरकार कैसे माने? आप जानते हैं कि किसान अपना सारा कच्चा माल और गल्ला चैत्र, कुआर के महीने में बेंच देता है। क्योंकि इस समय उसके ऊपर तीन मार पड़ती है—एक तो सरकार की मालगुजारी के लिए, दूसरी मार साहूकार की आती है कर्ज के लिये और तीसरी मार आती है रिश्तेदारों की न्योते के लिये। इस तरह से किसान अपना गल्ला तो मिट्टी के दाम पर बेंच देता है और मिल व कारखाने का

माल उसे सोने के दाम पर खरीदना पड़ता है । इसलिये जरूरत है कि गल्ले के दाम चैत में ही तय हो जायं कि इस पर लागत कितनी पड़ती है और साल भर गुजर के लिये उसे कितना और चाहिये। दोनों जरूरतें मिला कर एक सेर गल्ले का दाम तय हो और दूसरी फसल तक एक आना सेर से अधिक महंगा उसमें न हो सकें। इसके लिये व्यापारी तैयार हैं, लेकिन लूट में हिस्सा लेने वाले मंत्री और आफिसर लोग तैयार नहीं हैं। इसीलिये कोई योजना नहीं चलती। दूसरी ओर जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं जैसे खाना है कपड़ा है सीमेंट, साइकिल, साबुन, दियासलाई , मिट्टी का तेल आदि उनके दाम भी लागत के ड्योढ़े से अधिक न होने पायें । हां, जो ऐशो इशरत की सामग्री है जैसे क्रीम, लिपस्टिक, रेशमी कपड़े और सिग्रेट, उनके दाम चाहे २० गुना या ३० गुना कितना भी बढ़ें उसकी हमें परवाह नहीं है क्योंकि उनका प्रयोग लम्बा वेतन पाने वाले ही करते हैं। योजना वद्ध कल्याणकारी दृष्टिकोण लेकर यह कदम रखने से भावों की लूट बन्द होगी। केवल कहने से यह नहीं होगा और न दूसरों का मुंह बन्द करने से ही काई काम होगा।

बाढ़ का जहां पक प्रश्न है हमारे प्रदेश में करीब एक करोड़ एकड़ भूमि पर हर साल बाढ़ आती है, लेकिन उस को रोकने के लिये १६ वर्ष में कोई उपाय नहीं हुआ है। इनकी योजना तो विकसित को और विकसित करने की है । देखिये न लखनऊ में बाढ़ आई तो हवाई जहाज से भात गिराया गया, लेकिन अगर वही बाढ़ देवरिया या बनारस में आती है तो ४ सेर चना लेकर कानूनगो जायगा और कहेगा कि यह चार आदमियों को देने के लिये एक एक सेर चना है। सभापति जिसको चाहे बता दें उसी को दे दिया जाय और वह ४ बार अपनी गर्दन इधर उधर मोड़ने के बाद बरतन मलने वाली, गोबर पाथने वाली को ही बता देता है। क्या यही मुट्ठी भर चना देने से बाढ़ ग्रस्तों को राहत मिल सकती है ? कोई योजना बाढ़ रोकने की या बाढ़ग्रस्तों की सहायता की नहीं है जब कि हर साल नोटिस दे कर बाढ़ आती है, ठीक समय पर बाढ़ आती है। कोई अनजना देवी प्रकोप भी बाढ़ नहीं रही। फिर भी कोई इन्तजाम नहीं है। हम बाढ़ के क्षेत्र के रहने वाले हैं, पहले बाढ़ नहीं आती थी वर्ना हमारे पुरखे राप्ती के किनारे नहीं बसते, वह तो हमारे उम्र से १५–२० साल से ही आ रही है जब से कि तमाम बांध, सड़कें, रेलवे लाइन और नहरें वगैरह अदूरदर्शिता से बना दी गई हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि बाढ़ आती है, पानी रुकता है। बाढ़ को रोकने का कोई उपाय सरकार के पास नहीं है । १६ साल में इस गम्भीर प्रश्न पर कभी जिम्मेदारी से विचार नहीं किया गया है। बाढ़ दैवी नहीं है, मनुष्य कृत प्रकोप है । (समय समाप्त)

श्री अधिष्ठाता—

श्री मूल चन्द्र शास्त्री. . . . .

श्री चन्द्रबलीसिंह—

अभी एक दो मिनट और हमें दे दें। कुल मिला कर यह बजट पिछड़ों और बिछड़े इलाके को ढपोरशंखी वादे करता है और अगले इलाकों को पद्मशंखीकर्म की गारंटी देता है।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय अब समाप्त हो गया , आप को मैंने निश्चित समय से अधिक ही दे दिया है। अब मैंने भी श्री मूल चन्द्र शास्त्री को बुला लिया है।

श्री मूलचन्द्र शास्त्री (जिला मेरठ)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज माननीय वित्तमंत्री जी द्वारा जो बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है उस पर हम सदस्य बहस कर रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं है कि जो भी माननीय सदस्य इस बजट भाषण को ध्यान से पढ़ेंगे वे एक ही परिणाम पर पहुंचेंगे कि वह यह है

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

कि विरोधी दलों के माननीय सदस्य जिन बातों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया करते थे बजट में करीब करीब उन सभी बातों का समावेश हुआ है। सब से पहले इस बजट में इस बात का प्रयत्न किया गया है कि जिन लोगों को वेतन कम मिलता है और जिनका मंहगाई भत्ता कम था उनके लिये ५ रुपया मासिक वृद्धि की गई है। उनके अलावा जिनको पेन्शन मिलती थी उनको भी शिकायत थी कि पुराने समय की पेन्शन तय की हुई है और महंगाई बढ़ रही है। सरकार ने उन की कठिनाई को भी ध्यान से रख कर ५ रुपया मासिक वृद्धि दी है। इसी तरह वृद्धावस्था पेंशन में भी वृद्धि की गई है। परन्तु इसके अतिरिक्त जो राजनैतिक पीड़ित हैं यदि उनको पेंशन भी बढ़ा दी गई होती तो उन को भी राहत होती। सरकार कर्मचारी चाहे स्थायी हों या अस्थायी उन के लिये सरकार ने प्रबन्ध किया है कि ३ साल सेवा के बाद यदि दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस को ६ मास का वेतन ग्रेचुटी के रूप में दिया जायगा। अब तक ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया है। मैं समझता हूं यह अपने ढंग का अनोखा सुझाव है और हम कह सकते हैं कि माननीय वित्त मंत्री ने इस बात का ध्यान रखा है कि सब तरह के व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार से राहत पहुंचायी जाय। इसमें सन्देह नहीं कि बजट में करीब-करीब साढ़े ११ करोड़ का घाटा है और उसकी पूर्ति के लिये वे ही उपाय अपनाये गये हैं जो समय समय पर विरोधी सदस्य सुझाते रहे हैं। सब से पहले प्रयत्न किया गया है कि जो हमारी आमदनी है उसमें बचत की जायगी, जो खर्चा जिन मदों में बढ़ रहा है उस को कम कर के किसी तरह से बचत की जायगी और घाटे को पूरा किया जायगा। दूसरी बात यह है कि सरकार चाहती है जहां कहीं भी एक पैसा सरकार बचा सकती है उस को बचायेगी तथा साथ हाथ जिन मिल मालिकों या धनी लोगों पर सरकार का टैक्स बकाया है उस को वसूल किया जायगा सख्ती के साथ। मैं समझता हूं विरोधी सदस्य समय-समय पर इस बात को दोहराते रहे हैं और वित्त मन्त्री ने उस सुझाव को मान लिया है। मुझे पूरी आशा है कि ये दो ऐसे उपाय हैं जिन की वजह से साढ़े ११ करोड़ रुपये का घाटा आवश्य पूरा हो जायगा। यदि नहीं हुआ तब नये टैक्सों की बात उठती है। मेरा विचार है कि नये टैक्स लगाने की सम्भवतः आवश्यकता न हो।

एक बात और है जिसके ऊपर जब से कांग्रेस का भुवनेश्वर का अधिवेशन हुआ है बड़ी चर्चा चलती है और वह है समाजवाद। इसमें सन्देह नहीं कि भारत की ९० फीसदी जनता चाहती है कि देश में जल्द से जल्द समाजवाद आये। लेकिन समाजवाद आने के दो ही ढंग हैं। एक साम्यवादी तरीके से जिसमें जितने मिल मालिक हैं या पैसे वाले हैं उन पर सरकार का कब्जा हो और सरकार उन साधनों को अपने हाथ में ले ले। दूसरा ढंग यह है कि हम साम्राज्यवादी उपायों को न अपनायें जैसा कांग्रेस सरकार ने निश्चय किया है उस तरीके से प्रजातांत्रिक ढंग का समाजवाद लायें जिसके लिये काफी प्रयत्न करने पड़ते हैं और मैं समझता हूं जब तक ७५ फीसदी जनता इस बात के लिये तैयार न हो ईमानदारी से उस समाजवाद को लाने के लिये प्रयत्नशील न हो तब तक वह समाजवाद लाना मेरे विचार में आसान काम नहीं है। जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है वह समय समय पर इस बात को दोहराती रही है, उसके लिये कदम उठाती रही है और जो सम्भव उपाय हो सकते थे उन को करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अभी एक माननीय सदस्य ने पढ़ा कि स्वयं वित्त मंत्री मानते हैं कि वह जल्दी समाजवाद नहीं ला सकते हैं। यह हिम्मत की बात होती है कि वह जिस काम को वह जल्दी नहीं कर सकते, उस को अपनी स्पष्टोक्ति से मानते हैं। यद्यपि अभी यह बात हमारे लिये सम्भव नहीं है, लेकिन उसके लिये वे प्रयत्न कर रहे हैं यह उनके भाषण से प्रकट होता है। वह चाहते हैं जल्द से जल्द समाजवाद लाया जाय।

भ्रष्टाचार की बात अक्सर कही जाती है। इसमें सन्देह नहीं कि भ्रष्टाचार जितना है उससे ज्यादा उसका प्रचार हो गया है और अब सब जगह सही या गलत हर काम में हमें ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार ही व्याप्त है। यह बात अपनी जगह सही है कि जिस बात को दिन

रात कहा जाय, चाहे सही हो या गलत हो, वह बात फिर प्रत्येक के मुंह से निकलने लगती है और इसीलिये आज सब के मुंह से भ्रष्टाचार की बात कही जाती है मैं समझता हूं कि चाहे उतना भ्रष्टाचार हो या न हो, लेकिन सरकार के लिये यह चिन्ता का विषय अवश्य है। एक पुरानी कहावत है कि "बद अच्छा, बदनाम बुरा।" चाहे इतना भ्रष्टाचार न हो, लेकिन चूंकि यह बात जन-जन के मुंह पर आ गयी है इसलिये हमें इस ओर प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। सरकार इस कार्य के लिये विजिलेन्स कमीशन बनाने जा रही है। लेकिन मैं भी श्रीमन् आप के माध्यम से एक दो सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक काम जो ५ या १० दिन में हो जाना चाहिए उस में ६-६ महीने लग जाते हैं। जिसका काम होता है वह कोशिश करता है कि जहां कहीं कुछ देकर अगर काम हो सके तो करवा लिया जाय। मेरे एक जानने वाले व्यक्ति हैं। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी बड़ी शिकायत है कि तुम बड़ी रिश्वत देते हो तो उन्होंने कहा कि मैं तो किसी को एक पैसा भी रिश्वत नहीं देता। शिकायत इसलिये है कि मैं तो कमीशन दिया करता हूं। कोई अगर मेरा १००० का काम करता है तो उसे मैं १०० रु० कमीशन देता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि मैंने ९०० रुपये तो कमाये। एक चीज मैं और निवेदन करूं। एक बार एक चीज का आर्डर अक्तूबर के माह में हो गया। मैंने जनवरी में जब जानने की कोशिश की तो मुझे बताया गया कि मिनिस्टर साहब के आर्डर्स तो हो गये थे, लेकिन किसी तरह से वह आर्डर कागजों में दब गया। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातों पर सख्त कदम उठाये जायें चाहे वह ग़लती से हो या भूल से हो गया है। अधिकारी का भी कर्त्तव्य है कि वह यह देखें कि इस प्रकार से क्यों देरी होती है। मुझे याद है कि चेयरमैनी के वक्त में अध्यापकों के ट्रान्सफर किया करता था। मैं बड़े आश्चर्य में था कि मैं तो वक्त पर काम करता हूं लेकिन नीचे कार्यालय में देर क्यों होती है। जब मुझे शिकायत मिली तो मैंने लिख कर आर्डर कर दिया कि अगर मेरे आर्डर्स का पालन ४ दिन में नहीं होगा तो मैं सम्बन्धित क्लर्क को बर्खास्त कर दूंगा। उस के बाद अच्छे परिणाम निकले। मैं यह तो नहीं कह सकता कि उससे भ्रष्चाचार बिल्कुल दूर हो गया हो, लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि उससे कमी जरूर आई।

अतः मैं, श्रीमन्, आप के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की ऐसी बहुत सी बातें हैं। मुझे याद है कि एक असिस्टेन्ट इन्जीनियर करीब ६ साल तक मुअत्तल रहे। उन्हें ६ साल तक उनके वेतन का १/३ या १/२ सरकार देती रही और शीघ्र से शीघ्र फैसला न हो सका। इस तरह के कामों से भ्रष्टाचार कम नहीं होता है। मैं केवल सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी अभी एक चीज हुई और उसके होने पर मैंने जब सम्बन्धित अधिकारी से पूछा तो मुझे बताया गया कि ये क्लर्क गलती करते हैं। कभी-कभी बहुत ज्यादा काग़जों पर रख कर ऐसे काग़जों पर दस्तख़त करा लेते हैं। मैंने यह कहा कि क्रशिन्ग के लिये जब आप लाइसेन्स नहीं दे रहे थे तो यह लाइसेन्स कैसे दिया गया। मैं समझता हूं कि इस तरफ ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिये कि इस प्रकार की गल्तियां भविष्य में न हों। अगर एक नियम बन गया है कि लाइसेंस नहीं दिया जायगा तो उसके विरोध में अगर किसी को लाइसेन्स दिया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी को पूरी पूरी सजा दी जानी चाहिये। भ्रष्टाचार में तो जरूर कुछ न कुछ कमी अवश्य आयेगी। अधिकारी भी यह समझेंगे कि हमारी भूल से कोई देर हुई है तो हमने चाहे बेईमानी की हो या न की हो सजा जरूर मिलेगी।

जहां तक सरकार के वकार का सम्बन्ध है सरकार का वकार या प्रभाव धीरे-धीरे कम होता जा रहा है और जो बदमाश लोग इधर उधर मिल कर रिश्वत दे कर अपनी पोजीशन बना लेते हैं वे लोग ऐसे गलत काम करा रहे हैं। मेरी राय में स्थिति शोचनीय है। पुलिस जितनी प्रदेश में आज है अगर उसकी चार गुनी कर दी जाय और सरकार का वकार न हो तो प्रबन्ध हो नहीं सकता लेकिन अगर वकार है तो पुलिस आधी कर दी जाय तो भी प्रबन्ध हो सकेगा। सरकार का एक सम्मान व आदर होता है जिससे सारी हुकूमत चलती है। हमारी तरफ से कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिनसे सरकार का वकार कम होता जा रहा है और

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

उसके लिये हम राजनीतिक पार्टियां भी जिम्मेदार हैं। खुल्लमखुल्ला हम नारे लगाते हैं, बड़े से बड़े अधिकारी की नुक्ताचीनी करते हैं, किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ बुरी से बुरी भाषा का प्रयोग करते हैं और प्रत्येक आदमी को जिसे कि हम जानते हैं भी नहीं बदनाम करते हैं उसका नतीजा यह होता है पब्लिक में यह प्रचार होता है यदि जवाहर लाल बेईमान हैं, और सारी दुनिया बेईमान हैं तो फिर ईमानदार कौन है? अगर किसी की नुक्ताचीनी करनी है तो बड़ी संयत भाषा में तथा मंझी हुई भाषा में होनी चाहिये। जो उचित हो, ठीक हो उसे ही कहना चाहिये। जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके सामान्य वादविवाद पर दो चार सुझाव प्रस्तुत करने थे उनको मैंने प्रस्तुत किया है। माननीय वित्त मंत्री ने परिश्रम करके और सब बातों को ध्यान में रख कर, विशेष कर जो अपोजीशन बेंचेज की तरफ से नुक्ताचीनी हुआ करती थी, उस के एक एक सुझाव पर ध्यान दे कर और अपने बजट भाषण में उनका समावेश किया है, उसके लिये मैं उनकी सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि वह इस तरफ अपने कदम बढ़ायेंगे ताकि हमारे सूबे की जो बेकारी, पिछड़ापन तथा गरीबी है उसे जल्द से जल्द दूर किया जा सके।

श्री चन्द्रबलीसिंह --

व्यवस्था का प्रश्न है। आपके पास कोई हिसाब है कि किस सदस्य ने किस मिनट से शुरू किया। आपने हमको २० मिनट नहीं दिया।

श्री अधिष्ठाता--

एक माननीय सदस्य को मैं १५ मिनट दे रहा हूं।

श्री चन्द्रबलीसिंह --

उपाध्यक्ष महोदय ने २० मिनट दिये हैं।

श्री अधिष्ठाता --

आपको २० मिनट दिये थे।

श्री चन्द्रबलीसिंह --

दूसरे सदस्यों को कितना समय आप दे रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता --

आप कृपा करके बैठें। यह आप का काम नहीं है। हर माननीय सदस्य को १५ मिनट का समय दिया जा रहा है। अगर मैं देखता हूं कि कोई माननीय सदस्य किसी अच्छे प्वाइंट पर भाषण कर रहे हैं और वह समाप्त नहीं हुआ है, तो मैं उनको २० मिनट दे देता हूं।

श्री चन्द्रबलीसिंह --

२० मिनट की व्यवस्था थी। आप व्यवस्था मंगा कर देख लें। १५ मिनट आप इस समय कह रहे हैं जब मैंने सवाल उठाया।

श्री अधिष्ठाता--

मेरे पास सूची है। जो समय निर्धारित हुआ है उसके अनुसार हर माननीय सदस्य को १५ मिनट और जो नेता दलों के हैं उनको ३० मिनट और नेता विरोधी दल के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है, इसके अनुसार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई) --

श्री चन्द्रबलीसिंह २३ मिनट बोले हैं। मैंने घड़ी देखा थी।

श्री चन्द्रबलीसिंह ––

उपाध्यक्ष महोदय की २० मिनट की व्यवस्था है। मेरे सवाल उठाने पर आपने १५ मिनट बतलाया है। आप कार्यवाही निकाल कर देख लें।

श्री अधिष्ठाता––

उसे देख लिया जायगा, लेकिन शास्त्री जी अगर और समय के लिये अनुरोध करते तो उनको समय दे दिया जाता।

श्री हरीशकुमार गंगवार ––

चन्द्रबली सिंह जी की बात में कुछ वजन है। मुझे भी ऐसा ही मालूम हुआ था।

श्री अधिष्ठाता––

मैंने कहा तो कि मैं उसे देखे ले रहा हूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) ––

श्रीमन्, आप मुझे आधा घंटा देंगे, मैंने शुरू में ही कहा है। माननीय वित्त मन्त्री जी ने इस सदन में १९६४–६५ का जो बजट पेश किया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद तो दे सकता हूं, लेकिन इस बजट का स्वागत नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद भी इसलिये दे सकता हूं कि उन्होंने जिस साहस के साथ डि फैक्टो और डि जूरे चीफ मिनिस्टर से सरकारी कर्मचारियों और अध्यापकों के लिये जो संघर्ष किया और जिस साहस के साथ उनको डी० ए० दिलाया और एक स्टेज पर, मैंने सुना है, उनको यह भी कहना पड़ा कि अगर इन गरीब कर्मचारियों और अध्यापकों के डी० ए० में वृद्धि नहीं करते तो आप दूसरा फाइनेन्स मिनिस्टर ढूंढ लें, उसके लिये मैं और इस आदरणीय सदन के सदस्य और सारे सरकारी कर्मचारी और अध्यापकगण आभारी हैं।

श्रीमन्, मैं उनको बधाई तो देता हूं, लेकिन स्वागत इसलिये नहीं करता इस बजट का कि माननीय वित्त मन्त्री जी इस सदन में लगातार कई वर्षों से यह कहते चले आ रहे हैं, बड़ी-बड़ी घोषणायें करते चले आ रहे हैं और आश्वासन देते आ रहे हैं कि हम इफेक्टिव एकोनामी करेंगे प्रशासन के खर्च में, स्टैंडिंग ड्यूज और एरियर्स को वसूल करेंगे। १८ करोड़ और ५३ लाख के करीब स्टैंडिंग ड्यूज अब भी हैं। माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा था कि उनको बड़ी सख्ती से वसूल करेंगे। यहीं नहीं, इसी सदन में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री चन्द्रभानु गुप्त ने एक तारीख नियत की थी कि इस तारीख तक अगर हमने इन कैपिटलिस्टों से ड्यूज वसूल नहीं किये तो बड़े सख्त कदम उठायेंगे, हम क्लोज और बैलेंसिंग बजट पेश करने की कोशिश करेंगे। क्लोज और बैलेंसिंग बजट के माने हैं कि जहां तक मुमकिन हो हमारे एस्टीमेंट्स खर्च के नजदीक हों। माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह भी कहा कि हम विन्डो ड्रेसिंग नहीं करेंगे बल्कि एक रियल सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी का बजट पेश करेंगे। लेकिन उन्होंने स्वयं अपने भाषण में यह स्वीकार कर लिया कि यह वैसा बजट नहीं है, लेकिन उधर वह सतत् प्रयत्न करना चाहते हैं। यह सही है कि उन्होंने यह भी कहा कि हम फ्रीजिंग आफ मनी नहीं होने देंगे। लेकिन डेफिसिट बजेटिंग करना इस सरकार की एक हैबिट पड़ गयी है और अगर आप आडिट रिपोर्ट देखें तो १९५७–५८ से ले कर १९६२–६३ तक के फीगर्स यह बताते हैं कि हमेशा डेफिसिट बजट पेश किया गया, लेकिन हमेशा सरप्लस बजट साबित हुआ, जिसके आंकड़े निम्न प्रकार हैं :––

१९५७–५८ में ११.६७ करोड़ का घाटा दिखाया गया।
१९५८–५९ में ४.५४ ,, ,,
१९५९–६० में १.८६ ,, ,,
१९६०–६१ में २.३३ ,, ,,
१९६१–६२ में ८.५० ,, ,,

प्रतिवर्ष यह डेफिसिट के आंकड़े सरप्लस में बदल गये।

[श्री नेकराम शर्मा]

१ करोड़ से लेकर ६ करोड़ तक का डेफिसेट बजट सरप्लस बजट में टर्न हुआ। हमेशा डेफिसिट बजट पेश करते हैं, क्यों ? यह आप स्वयं जानते हैं और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि 'टु पेव दि वे फार टैक्सेशन।' हमको इतने रुपये की जरूरत है इसलिये तुम टैक्स दो। आप जानते हैं कि गरीब और तड़पती जनता अधिक कर नहीं दे सकती है। न उनको भोजन मिलता है और न कपड़ा मिलता है। दो पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद भी उनकी हालत ऐसी नहीं हुई कि आप उन पर अधिक टैक्स लगा सकें।

माननीय वित्त मन्त्री ने इसी सदन में कहा कि हम प्रशासन में इतना एकोनामी करेंगे। कितने डिपार्टमेंट्स आपने मर्ज किये ? आपने क्या किया १५, २० करोड़ का प्लान कट कर दिया।

श्रीमन्, आप देखें कि जो यह बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है यह अच्छे बर्जटिंग की कसौटी पर उतरता है या नहीं ? श्रीमन्, नहीं उतरता है। अच्छे बजट का सब से पहला सिद्धान्त यह है कि क्लोज ऐन्ड बैलेन्सिंग बर्जटिंग होना चाहिये। इसके अलावा फ्रीजिंग आफ मनी तथा क्रिमिनल वेस्ट आफ मनी नहीं होना चाहिये। लेकिन श्रीमन्, गरीबों का रुपया किस तह से बहाया गया और लाखों रुपया खर्च करने के बाद गवर्नमेंट को काम बन्द करने पड़े। मैं आपको उदाहरण दूंगा चौथा सिद्धान्त यह है कि फाइनेंस के ऊपर पार्लियामेंट का कन्ट्रोल होना चाहिये। पहिले फाइनेन्स कमेटी होती थी। जो बजट सदन में प्रस्तुत होता था उसको वह एक्जामिन करती थी इसके बाद सदन में बजट प्रस्तुत होता था। लेकिन नौकरशाही मनोवृत्ति के कारण और मन्त्रिओं का प्रभाव न होने के कारण वह फाइनेंस कमेटी अब तोड़ दी गई है। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस डैमोक्रैटिक सैट अप में लेजिस्लेचर सुप्रीम हो तो आप इस कमेटी को फिर से रिवाइज करें।

श्रीमन्, क्लोज बर्जटिंग की हालत यह है कि आडिट रिपोर्ट है कि १५ सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स सदन में फरवरी में ली गई और मूल बजट पेश हो गया उस समय ली गई। कुल ग्रान्ट्स २७८ करोड़ २६ लाख की हुई और खर्चा २४० करोड़ के करीब हुआ और सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स १९ करोड़ के करीब ली गई और ३७ करोड़ के करीब रुपया बच गया। एक तरफ तो आपने सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स लीं और मूल बजट में जो ओरिजनल ग्रान्ट्स थीं उनको भी नहीं खर्च कर पाये। पांच केसेज ऐसे हैं कि ३१ मार्च, १९६२ से पहले बजट प्रस्तुत हो जाने के बाद उसमें सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स ली गई। लेकिन उसको खर्च नहीं कर पाये तो क्या यह आपका फ्रीजिंग आफ मनी नहीं है ? एक विभाग जो खर्च कर सकता है उससे दूसरा विभाग ले ले और वह खर्च न कर पाये तो इसी को फ्रीजिंग आफ मनी कहते हैं। किसी विभाग में ७२ प्रतिशत सेविंग हुई, किसी में ४० प्रतिशत हुई और किसी में ३० प्रतिशत हुई और फिर भी रुपया सप्लीमेंटरी से लिया गया। इससे सरकार का निकम्मापन ज्ञात होता है और नतीजा यह हुआ कि किसानों पर तथा गरीब जनता पर टैक्स लगाना पड़ा।

श्रीमन्, इस प्रदेश की उन्नति में एग्रीकल्चर, इन्डस्ट्रीज वगैरह विभाग मुख्य पार्ट प्ले करते हैं। एग्रीकल्चर विभाग में २ करोड़ ६० लाख रुपया खर्च नहीं कर पाये और इन्डस्ट्रीज में ५ करोड़ करीब खर्च नहीं कर सके। श्रीमन्, इतना ही नहीं ६४ करोड़ ७८ लाख का कैपिटल एक्सपेंडीचर स्वीकार कराया गया और खर्चा हुआ करीब ३९ करोड़ ३० लाख का और बचा २५ करोड़ ४८ लाख के करीब। श्रीमन् कैपिटल एक्सपेंडीचर वह होता है जो कर्जा लेकर खर्च करते हैं और रेवेन्यू रिसीट से एक परसेंट इंट्रेस्ट देना पड़ता है और साढ़े तेरह करोड़ सूद में दिया। इससे बड़ा निकम्मापन सरकार का दूसरा नहीं हो सकता है।

पिछले साल प्रदेश का ५५० करोड़ का कर्जा था। इस वर्ष ५५६ करोड़ का कर्जा है। अगले साल ६२० करोड़ का कर्जा हो जायगा। दो सालों में ११० करोड़ का कर्जा बढ़ा।

जितने भी एसेट्स हैं, ट्यूबवेल, इर्रीगेशन में, सब में लासेज हैं। कैपिटल एक्सपेंडीचर से खर्चा होता है ऐसेट्स क्रिएट करने के लिये, लेकिन एसेट्स लासेज में रन कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडीचर पर कर्जा ले कर करोड़ों रुपया इंटरेस्ट देना है। यह है बजट। यह सरकार टैक्स लेकर क्रिमिनल वेस्ट करती है। ४६४ केसेज एम्बेजिलमेंट के हैं जो आज तक पेंडिंग है। २ करोड़ २७ लाख रुपया बरबाद हो गया जिसको अवायड किया जा सकता था। १ करोड़ ९५ लाख की मशीनरी खरीद ली गयी जो बक्शी के तालाब पर पड़ी है। उसके आज तक बक्से नहीं खुले। दो करोड़ के करीब लास हो गया।

इर्रीगेशन के बजट को लीजिये। सरकार ने एक प्राजेक्ट, चितौरगढ़ रिजरवायर प्रोजक्ट बनाया। १ करोड़ ५ लाख का एस्टीमेट था। उन्होंने कहा कि २२ हजार ९०९ एकड़ भूमि सिंचित करेगा। २.०२ परसेंट का रिटर्न देगा लागत पूंजी पर। १९६२ में वह रिवाइज हुआ और वह १.९८ करोड़ का हो गया। कहा गया कि १९१९५ एकड़ की सिंचाई होगी और रिटर्न १ परसेंट होगा। १.०३ लाख रुपये का क्रिमिनल वेस्ट हुआ। तकिया प्राजेक्ट का तखमीना देते हैं १९६१ में २६.०४ लाख का।

श्री चन्द्रबलीसिंह ––

पन्द्रह मिनट हो गये।

श्री अधिष्ठाता ––

यह आप का काम नहीं है। यह गलत बात है। आप बैठिये।

श्री नेकराम शर्मा ––

मैं लीडर की हैसियत से बोल रहा हूं। आध घंटा मिलना चाहिये।

तकिया प्राजेक्ट के लिये कहा गया कि ४,५४७ एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और १.८ प्रतिशत पूंजी पर रिटर्न होगा। दूसरा तखमीना ४७.५८ लाख का बना। १९६१ में कार्य शुरू हुआ और १९६२ में, जुलाई में, अनएकोनामिक प्रोजेक्ट कह कर बन्द कर दिया गया। इसी तरह से ९ प्राजेक्ट हैं में न तो फिजिकल और न ही फाइनेंशल टार्गेट पूरे हो सके। तकिया प्रोजेक्ट में १.७६लाख रुपया बरबाद हुआ। नवलगढ़ प्राजेक्ट में ६२२६४ रुपया बरबाद हुआ। इसका तखमीना २१.७४ लाख का था। कहा गया कि १.५८ परसेंट का रिटर्न होगा और ३४६० एकड़ भूमि सिंचित होगी १९६१–६२ में कार्य शुरू हुआ और जून, १९६२ में बन्द हो गया। चितियारिजर्वायर प्राजेक्ट का एस्टीमेट था २०.३१ लाख रुपये का। आशा थी कि ३३३५ एकड़ की सिंचाई होगी और रिटर्न १.६८ परसेंट का होगा। रिवाइज्ड एस्टीमेट ४०.०४ लाख का हुआ और रिटर्न .८ परसेंटट का। १९६२ में अनइकोनामिक होने के कारण बन्द कर दिया गया और १ लाख ३९ हजार ३६ रुपया का क्रिमिनल वेस्ट हुआ। इस तरह से ९ प्राजेक्ट हैं उनमें ६ प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं कि जिनके वर्किंग एक्सपेंसेज रेवेन्यू कलेक्शंस को भी एक्सीड कर गये। एस्टीमेटेड रेवेन्यू प्रति वर्ष १५.४४ लाख था। उसमें ९.१७ लाख का डेफिसिट रहा। सिर्फ इरीगेशन प्रोजेक्ट में इतना गोलमाल हुआ कि जिसका नमूना कहीं और नहीं मिलेगा। इस पर यह सरकार कहती है कि टैक्स दो। सरकार के मिनिस्टर्स जाते हैं, अपने लिये अड़सठ अड़सठ गेट बनवाते हैं। पायनियर ने एडीटोरियल लिखा कि इमर्जेंसी में ७५ गेट बनवाये गये डि फैक्टों चीफ मिनिस्टर के लिये। यह वेस्ट नहीं तो और क्या है? सुचेता कृपलानी जी पार्लियामेंट में जब बजट पर बोली थीं अपोजीशन की तरफ से तो कहा था कि वह बजट बे सूद है जिसमें जनता की मिजरी और सफरिंग्स को सरकारी नीतियों में निहित न किया गया हो वह कहती हैं––

"The people must feel that their miseries and sufferings must find place in the policies of Govt."

बेरोजगारी के सम्बन्ध में श्रीमती सुचेता कृपालानी जी ने संसद में कहा था––

"The most demoralizing and frustrating problem for the people is the problem of unemployment, what light has been thrown on this problem in the budget ?"

[श्री नेकराम शर्मा]

श्रीमन्, न तो श्री राज्यपाल के संबोधन में और न बजट भाषण में बेरोजगारी दूर करने की बात कही गयी। श्रीमन्, वही बात मैं माननीय वित मंत्री जी के बजट के लिए कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री के बजट ने कोई भी लाइट थ्रो नहीं किया। बेरोजगारी और जनता का दुख निवारण के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल ने कहा कि कोई अचीवमेंट नहीं हुआ। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में पूज्य पंत जी सफल नहीं हुए, आदरणीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द सफल नहीं हुए, गुप्ता जी बुरी तरह असफल हुए, उसको माननीय सुचेता जी, आप नहीं चला सकतीं। मां की पुकार के नारे आपने लगवाये। लेकिन मैं नहीं मानता कि उन्होंने अचीवमेंट नहीं किये। उन्होंने बहुत बड़े अचीवमेंन्ट किये। पहला अचीवमेंट तो यह किया कि स्टेट की हालत अकाल के कीसी हो गई, फेमिन के वर्ज पर है स्टेट। आज जो फूड रायट्स हो रहे हैं वह डाक्टर सम्पूर्णानन्द और पूज्य पंत जी के जमाने में कभी नहीं हुए, लेकिन आज हो रहे हैं। सुचेता कृपालानी जी के समय में स्टेट अकाल की सीमा पर पहुंच रहा है, जिसकी कि कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। थोड़े समय में आप देखेंगे कि प्रदेश के शहर शहर और गांव गांव में इस तरह के रायट्स होंगे। दूसरा अचीवमेंट उन्होंने किया अनुशासनहीनता। क्या किसी सरकारी कर्मचारी में ऐसी हिम्मत कभी हो सकती थी? मिस्टर सरकार, सेल्स टैक्स कमिश्नर को ट्रांसफर किया गया। मिस्टर मेहरोत्रा से कहा गया चार्ज लेने जाओ। वह गये तो कहा कि चार्ज नहीं देंगे। ट्रांसफर स्टे हो गया। श्रीपत जी ने कितनी मुश्किल से चार्ज छोड़ा, आप सबको मालूम है। कितनी देर में चार्ज उन्होंने दिया?

दूसरा काम आपने किया पैट्रनेज बांटना शुरू किया। किसी का ट्रांसफर, किसी का प्रोमोशन, किसी को परमिट। मैं पूछना चाहता हूं कि तीन तीन साल से, पांच पांच साल से जिनकी अप्लीकेशंस पेंडिग थी उनको फिएट कार न देकर किसको दी गई? सुना है कृपालानी जी को दी गई और गुप्ता जी को दी गई। ईश्वर करे यह गलत हो। लेकिन अगर सही है तो यह बड़ी खतरनाक बात है। आचार्य जे० बी० कृपालानी जी ने संसद में कहा था कि "गवर्न आर गेट आउट।" मैं भी उसी को दोहराता हूं कि तुम शासन नहीं कर सकतीं लिहाजा यू गवर्न आर गेट आउट फ्राम यू० पी०। यू डोन्ट बिलांग टु यू० पी०। यू हैव नो राइट टु स्टे इन यू० पी० (You govern or get out from U.P. You dont belong to U. P. You have no right to stay in U.P.)

श्रीमन्, मैं क्या बताऊं? भुवनेश्वर में हिस्टारिक रिजोल्यूशन पास हुआ सोशलिज्म के ऊपर। आज तक मुख्य मंत्री उसके पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोलीं। श्रीमन्, वह बिलांग करती हैं रिऐक्शनरी फोर्सेज को। वह हराकर आयी हैं नेहरू जी के विंग को, जिस विचारधारा को नेहरू जी रिप्रिजेंट करते हैं उसको हराकर के रिऐक्शनरी ग्रुप से जीतकर आयी हैं। इसलिये मां की पुकार के नारे लगवाये। तो जिनका लिंक रीऐक्शनरीज से हो, जो समाजवाद के पक्ष में एक शब्द न बोली हों, गवर्नर के अभिभाषण में जिस समाजवाद का संकेत न हो, बजट भाषण में जिसका संकेत न हो, उनके मुख्य मंत्रित्व काल में क्या हो सकता है? यथा राजा तथा प्रजा। जिस तरह की विचारधारा की हमारी मुख्य मंत्राणी हैं उसी विचारधारा के यहां के मंत्री होंगे।

श्रीमन् कृपालानी जी ने घोषणा की कि टेलेंटेड परसन्स की मिनिस्ट्री रखेंगी, लेकिन जो ५ आदमी सर्वप्रथम उन्होंने रखे क्या वे टेलेन्टेड हैं? उन लोगों को जिस तरह से श्रोथ दिलाई गई यह भी एक कहानी है जिसको सब माननीय सदस्य जानते हैं। अभी एक विजिलेन्स कमीशन के बनाने की घोषणा हुई है। उसका फंक्शन क्या होगा? उसका फंक्शन यह होगा कि वह सरकारी कर्मचारियों के मामले की इन्क्वायरी करेगा। मेरी मांग है कि जितने पोलिटिकल वर्कर हैं उन सब के मामलों को उस विजिलेन्स कमेटी के सामने भेजा जाय। उस कमेटी को यह अधिकार होना चाहिये कि वह सब उन मामलों की जांच कर सके। मेरी मांग है कि यह जो ट्रान्सपोर्ट विभाग के ऊपर चार्ज है कि वहां से परमिट बांटे गये वह मामला भी उस कमेटी के सामने जाना चाहिये। जितने यहां पर एम० एल० ए० हैं जिनको परमिट दिये गये हैं, जिनके कोल्ड डिपोज चल रहे हैं उन सारे केसेज को उस कमेटी के सामने जाना चाहिये। यही कारण है कि ट्रान्सपोर्ट को यह सरकार नेशनलाइज नहीं करना चाहती है और फौरन

लीकर को आक्शन नहीं कराती है। मेरी मांग है कि फौरन लीकर का आक्शन कीजिये। मेरी मांग है कि शुगर इंडस्ट्री को नैशनलाइज कीजिये, मेरी मांग है कि नौकरशाही पर कंट्रोल कीजिये जिस पर इतना अधिक खर्चा पड़ रहा है जिससे प्रदेश तबाह हो रहा है। बजट का ५० फीसदी हिस्सा इस नौकरशाही पर खर्च होता है। अगर डा० बलजीतसिंह की उस रिपोर्ट को देखा जाय, जो उन्होंने प्रेजन्ट की है उत्तर प्रदेश के बारे में, तो मालूम होगा कि अगर हमारे देश में १७ प्रदेश होते तो १७ वें नम्बर पर हमारा प्रदेश होता। यह इस प्रदेश की हालत है। यह हालत अब और भी खराब होती जा रही है। वह इस कारण से कि हमारी जो मुख्य मंत्री हैं उनका विश्वास सोशलिज्म के अन्दर नहीं है। उनका इस प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जिस तरह से वह यहां के शासन के साथ खिलवाड़ करती है, जिस तरह से वह पैट्रोनेज को डिस्ट्रिब्यूट करती है, जिस तरह से वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डे टु डे के एडमिनिस्ट्रेशन में इन्टरफियर करती हैं उससे प्रदेश का शासन चल नहीं सकता। यह उनके एडमिनिस्ट्रेशन करने का ही परिणाम है कि आज जनता भूखों मरने वाली है। यह केवल इस वजह से है कि उनका वे आफ थिंकिंग सोशलिज्म की तरफ नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर को चार्ज करता हूं कि वह टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कम करने में फेल हुई है, वे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल करने में फेल हुई है, वह सोशलिज्म के आधार पर प्राइस कम करने में फेल हुई हैं। आज भी प्रदेश के अ दर टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है। जो ४० रुपया उन्होंने बढ़ाया है वह ऊंची तनख्वाह वालों के लिये बढ़ाया है जो थोड़ी तनख्वाह वाले लोग हैं उनका तो केवल ५ रुपया ही बढ़ाया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो आप करोड़ों रुपया स्पेशल पे अफसरों को देते हैं उसको बन्द कीजिये और उस रुपये को बचाकर इन छोटे कर्मचारियों को और बढ़ाइये। आपके यहां बड़ा भारी टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है। उनके स्पेशल पे को बन्द करके इन १०० रुपया पाने वाले कर्मचारियों को और दीजिये। अगर मुख्य मंत्री जी इस ड्रास्टिक ऐक्शन को नहीं लेगी तो शासन चल नहीं सकता है। इससे तो यही अच्छा है कि आप इससे अलग हो जायं और उनको इस स्थान पर आने दें जो समाजवाद में विश्वास करते हैं। आप जिस में विश्वास करतीं हों उनके साथ जायं। यहां रहते हुए भी उनकी दशा बड़ी कठिनाई की हो रही है। कभी किसी का आदेश आता है तो कभी किसी का आदेश पालन करना होता है। इसी वजह से उनके कहने में अन्तर रहता है यहां कुछ कहती है, पार्लियामेन्ट के अन्दर कुछ कहती है और जनता में जाकर दूसरी बात कहती है। उनकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है।

मैं अपने जिले की बात बतलाऊं कि हमारे एक मिनिस्टर साहब गये। उनके भाषण को सुनने के लिये १७ ब्लाकों में १७ बसेज भेजी गई और उनको किराये पर लेकर आदमी सभा के लिये लाये गये। १७ बसों को १ रुपया फी किलो मीटर के हिसाब से किराया दिया गया ताकि १७ ब्लाकों के लोग अलीगढ़ भाषण सुनने के लिये आ सकें। यह सरकार की पापुलरिटी की हालत है। आज हालत यह हो गई है कि जनता का विश्वास इस सरकार में नहीं रह गया है। अभी हमारे एक भाई ने बतलाया कि इधर जो एलेक्शन हुए हैं उनसे यह बात साबित हो गई है कि जनता के अन्दर सरकार के प्रति विश्वास नहीं रह गया है। लिहाजा मेरी मांग है कि उनको यहां पर रहने का कोई राइट नहीं है। केवल इतना राइट रह गया है कि जिनको सोशलिज्म के अन्दर विश्वास हो उनको यहां पर बैठा कर आप जनता में अपने सोशलिज्म का प्रचार करें। अब स्थिति ऐसी आ गई है जिसे सुधारने की जरूरत है। जितने भी शासन सिस्टम हैं उनके अन्दर हमने इबिल जानकर डेमोक्रेसी को अपने देश के लिये अपनाया था, किन्तु जिस प्रकार से आज डेमोक्रेसी हमारे प्रदेश के अन्दर चलाई जा रही है अगर इसी प्रकार इस डेमोक्रेसी का सिलसिला चलता रहा तो जनता का विश्वास इस डेमोक्रेसी से उठ जायगा और जनता को इस डेमोक्रेसी से नफरत हो जायगी और उसका नतीजा श्रीमन् फासिज्म होगा या कम्युनिज्म होगा। मैं समझता हूं कि फासिज्म तो यहां आने वाला नहीं, कम्युनिज्म हो आयेगा और वही हमारे सारे प्राबलम्स का एक मात्र हल है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हम लोग समाजवाद की तरफ बढ़ें ....

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री नेकराम जी किस पार्टी के नेता हैं यह हमें बतला दिया जाय ?

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

आपने उनको आधे घंटे का समय दिया है। या तो आप पूर्व व्यवस्था के अनुसार काम करिये अथवा किस नियम के अनुसार आप उनको आध घंटे का समय दे रहे हैं यह बतला दीजिये ?

श्री अधिष्ठाता--

जो सदन के स्वतंत्र सदस्य हैं उन्होंने अपना एक दल बनाया है और भगवान सहाय जी उसके नेता हैं। नेकराम जी उसके उपनेता है। तो अगर वह खड़े होकर यह कहते हैं कि मैं नेता की हैसियत से बोल रहा हूं तो मुझे उन पर यकीन करना होगा और उनकी बात मान कर ही मैं उनको आधे घंटे का समय दे रहा हूं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

तो भगवान सहाय जी तो फिर नेता की हैसियत से नहीं बोलेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

जी नहीं ।

श्री नेकराम शर्मा--

जो समय मेरा नष्ट किया गया है वह मुझे आप कृपया दे दें। श्री चन्द्रबलीसिंह जी को ....

श्री अधिष्ठाता--

आप चन्द्रबली जी पर कोई आक्षेप न करें। अपनी बात जारी रखें ।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

नेकराम जी ने अपनी स्पीच का जो रवैया शुरू किया उसमें बजट पर तो जो कुछ कहा सो कहा ही, लेकिन मुख्य मंत्री जी पर जो व्यूज उनके हैं वह मैं समझता हूं मुनासिब नहीं हैं और मैं समझता हूं कि इस तरह की बातों से व्यर्थ की कटुता बढ़ती है, लाभ कुछ नहीं होता। अगर बजट सोशलिस्टिक नहीं है तो नहीं ह, आप उसकी टीका-टिप्पणी करें, लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप मैं समझता हूं कि सदन की मर्यादा और गौरव के विरुद्ध है ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं समझता हूं कि नेकराम जी आप के सुझाव को ध्यान में रखते हुए अपनी स्पीच जारी रखेंगे ।

श्री नेकराम शर्मा--

मुझे दुख है कि श्री चन्द्रबली जी को अगर कोई ....

श्री चन्द्रबलीसिंह--

आप हमारे अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं....

श्री अधिष्ठाता––

आप बैठें ।

श्री नेकराम शर्मा––

जहां तक वित्त मंत्री जी का सवाल हैं, अगर मैंने सही बात कही है तो उसको उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिये । यह स्टेट खाली वित्त मंत्री जी का नहीं है, यह प्रदेश यहां के बैठने वाले सारे सदस्यों का है और प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार चल रही है वह इस प्रदेश को बर्बाद करने वाली है । यह सरकार कमलापति जी की सरकार नहीं कही जाती । यह सुचेता जी की सरकार कही जाती है, गुप्त जी मुख्य मंत्री थे तो उनकी सरकार कही जाती थी, सम्पूर्णानन्द जी मुख्य मंत्री थे तो उनकी सरकार कही जाती थी । तो जो मुख्य मंत्री होता है उसके प्रति जो हमारी बातें हैं वे सही है । अगर गलत हों तो मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन जो चार्ज मैं लगा रहा हूं वे बिलकुल सही हैं और अपनी जगह पर बिलकुल ठीक हैं ।

श्रीमन्, जैसा वित्त मंत्री महोदय ने कहा, बजट पर तो बोलना ही है । हमारी दिक्कत यह है कि समय कम है। मैं कह रहा था कि एग्रीकल्चर पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ उसमें हम एलाटेड फन्ड का ७२.२ परसेंट खर्च ही नहीं कर पाये । ९०२.३२ लाख रुपया हमने दिया था ।

(व्यवधान)

श्रीमन्, मुझे १०, १५ मिनट का समय और दे दें ।

श्री अधिष्ठाता––

नहीं, समय कम है । आप इस बात का ध्यान रखें कि आप का जब केवल डेढ़ मिनट बाकी है । इसी में आप समाप्त करें ।

श्री नेकराम शर्मा––

श्रीमन्, समय बहुत कम है इसलिये मैं श्री बलजीत सिंह जी की रिपोर्ट उनको पढ़ने के लिये दिये दे रहा हूं । वे इसमें देख सकते हैं । सेविंग देखिये कि इंडस्ट्रीज पर ७२ परसेंट सेविंग है । टोटल ग्रांट ९०२.३२ लाख और खर्च किया है २५०.८५ लाख ऐग्रिकल्चरल स्कीम्स पर प्रोवाइडेड था १२१०.३७ लाख और खर्चा हुआ ७४२.५४ लाख, इस तरह से ३८ परसेंट की सेविंग है । तो डेवलपमेन्ट कैसे होगा ऐग्रिकल्चर में ? स्टेट ट्रेडिंग की स्कीम्स थीं उसमें ६० परसेंट खर्चा नहीं कर पाये जिसको आप सोशलिज्म कहते हैं । उसमें १८५९.५१ लाख प्रोवाइडेड था और खर्च हुआ कुल ७२६.६१ लाख । जो इम्प्रूवमेन्ट आफ कम्युनिकेशस की स्कीम थी उसमें प्रोवाइडेड था ६७.०५ लाख और खर्च हुआ ३९.५२ लाख यानी ४१ परसेंट खर्च नहीं कर पाये जो कि कैपिटल एक्सपेंडीचर था । तो जितना हमारा बजट बढ़ता गया, उतने ही खर्चे बढ़ते गये और फिर इतनी बचत ले आये । २४ करोड़ रुपया मोटर वेहिकिल्स और इंटरटेनमेन्ट से वसूल कर लिया जो कि ६५ परसेंट आफ दि रेवेन्यू था । इतने बजट और इतने खर्चे के बावजूद भी न तो फाइनेंश्यल और न फिजिकल टार्गेट ही हुआ । अचीवमेन्ट क्या मिला ? ला-लेसनेस और अकाल मिले हैं अचीवमेन्ट में हमको ? मिली भूख और दो रुपये सेर चीनी ।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री चन्द्रबलीसिंह––

जैसा कि मैंने कहा था. . . . .

श्री अधिष्ठाता—

बैठिये, मैं उसी पर आ रहा हूं। माननीय चन्द्रबली सिंह और माननीय गंगवार ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था समय के वितरण के बारे में। जिस समय मैं यहां आया तो मेरे सामने जो समय के वितरण की सूची दी गयी उसमें माननीय सदस्यों को १५ मिनट और अन्य नेता विरोधी दलों को आधा घंटा और नेता विरोधी दल को कोई समय का प्रतिबन्ध नहीं था। लेकिन उस समय मैंने दो माननीय सदस्यों को आश्वासन दिया था कि मैं पता लगा रहा हूं कि उपाध्यक्ष महोदय ने क्या व्यवस्था दी है। मैंने उप सचिव को भेजा माननीय उपाध्यक्ष के पास और जो सूचना मिली है उसमें मुझे खेद है कि जो मैंने सूचना दी थी वह गलत थी। कुछ माननीय सदस्यों के अनुरोध पर यह निश्चय किया गया था कि जो दूसरे माननीय सदस्य इस विवाद में भाग ले रहे हैं उनको भी १५ मिनट के बजाय २० मिनट समय दिया जायगा। मैंने माननीय चन्द्रबली सिंह को २० मिनट का समय दिया था। शास्त्री जी जब बोल रहे थे तो चूंकि निर्धारित तालिका के अनुसार मेरी सूचना १५ मिनट की थी तो १३ मिनट के बाद मैंने लाल रोशनी कर दी, लेकिन शास्त्री जी ने दो मिनट पहले ही भाषण समाप्त कर दिया था उसके लिये मुझे खेद है। अब जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनको २० मिनट ही समय रहेगा।

एक सदस्य—

मेरा क्या होगा ? मैं तो भाषण खत्म नहीं कर पाया।

*श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेकराम ने अपना विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया, लेकिन बजट पर बोलने के बजाय उन्होंने व्यक्तिगत आलोचनायें कीं और अन्दर भरे बुग्ज को निकाला, इस प्रकार इस सदन में जो स्वतंत्रतापूर्वक बोलने की छूट है उसका उन्होंने दुरुपयोग किया, इसका मुझे खेद है। अब प्रश्न यह है कि यह बजट कल्याणकारी है अथवा नहीं ? मैं यह समझता हूं कि यह बजट निश्चित रूप से समाजवाद की ओर ले जाने वाला है। सबसे अधिक जोर कृषि उत्पादन पर दिया जाना चाहिये था, और सबसे अधिक जोर कृषि उत्पादन पर ही दिया गया है। इस प्रदेश में सबसे अधिक संख्या किसानों की है, और किसानों के हितों की ओर इस बजट में सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। कृषि उत्पादन के लिये, विभिन्न फसलों के लिये, पैकेज स्कीम की व्यवस्था की गयी है। सिंचाई के लिये, नहरों के अतिरिक्त लघु सिंचन योजना की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और इस योजना के अन्तर्गत पिछले वर्षों के मुकाबिले काफी अधिक धनराशि रखी गयी है। प्रगाढ़ खेती की ओर भी अधिक जोर दिया गया है। उर्वरक के वितरण के लिये भी काफी धनराशि रखी गयी है। किसानों को अपनी खेती की उन्नति के लिये ऋण मिल सके, उसकी भी समुचित व्यवस्था इस बजट में की गयी है। सहकारी समितियों से ऋण मिलने के सम्बन्ध में जो नियम हैं, उनमें भी ढिलाई की गयी है। साथ ही, लैन्ड मार्गेज बैंक्स की सारे प्रदेश में स्थापना हो जाने से, किसानों को १० वर्ष के लिये ऋण मिल सकेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह बजट हर प्रकार से कृषि उत्पादन को बढ़ाने वाला है और उसमें इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है।

माननीय नेकराम शर्मा जी ने कहा कि माननीया सुचेता जी ने अगर कोई अचीवमेंट किया है तो वह है अकाल।

सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जो स्थिति पैदा हुई, पिछले वर्ष पानी न बरसने से पैदावार कम हुई, तो सुचेता जी का शासन तो अभी थोड़े ही दिन से आया है। उनकी जिम्मेदारी अकाल की कैसी हो सकती है ? क्या उनके मुख्य मंत्री होने से पाला और शीत पड़ गया और किसानों पर आफत आ गई ? अगर नेकराम जी ऐसा समझते हैं तो मैं उनकी बुद्धि के लिये क्या कहूं ....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता

माननीय तिवारी जी अपना भाषण कल जारी रखेंगे । अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १०–१/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,

१९ फरवरी, १९६४ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९० पर)

श्री बांके लाल तथा ३ अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी इत्यादि के संबंध में रिपोर्ट

सर्वश्री बांके लाल एम० एल० ए०, गिरीश निवास, बख्शीश, अली खां तथा लुकई राम को उत्तर प्रदेश से अनधिकृत रूप से २२ किलोग्राम ३०० ग्राम गुड़ बिहार में ले जाते समय १९-१-६४ को ३.३० बजे शिवाघाट नामक स्थान पर थाना इंचार्ज तरयासुजान ने यू० पी० गुड़ रेस्ट्रिक्शन आन बार्डर मूवमेंट। आर्डर १९६३ (U. P. Gur : Restriction on Border Movement : Order, 1963) के साथ पठित डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के नियम १२५ (९) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। शिवाघाट जिला मुख्यालय से ४२ मील दूरी पर है। गिरफ्तारी के पश्चात् इन्हें बस द्वारा जिला मुख्यालय अर्थात देवरिया नगर ले जाया गया जहां पर ये ३०-१-६४ को रात को १ बजकर २० मिनट पर पहुंचे। देवरिया पहुंचने पर इन्हें कोतवाली देवरिया में रखा गया और उसी दिन प्रातः काल उन्हें श्री एम० पी० जैन मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने १४ दिन का रिमान्ड दिया। मजिस्ट्रेट के उक्त आदेश के पश्चात् १० बजकर २७ मिनट पूर्वान्ह पर उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। १-२-६४ जिलाधीश के दौरे से लौटने पर उन्होंने सभी सत्याग्रहियों को उच्च श्रेणी देने का आदेश दिया जिसके फलस्वरूप उक्त व्यक्तियों को भी २-२-६४ को प्रातः काल जेल में उच्च श्रेणी दी गई। ३-२-६४ को इन व्यक्तियों को सरकारी आदेश से जेल से मुक्त कर दिया गया।

विधान सभा सचिवालय उ०प्र०

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९६ पर)

थाना जसवन्त नगर के इंचार्ज ग्राम नवलपुर के श्री काली चरण द्वारा दी गई दरख्वास्त की जांच हेतु गये थे और काली चरण व चक्रपान इत्यादि दोनों फरीकेन से जांच कर रहे थे कि दोनों फरीकेन में आपस में गर्मागर्मी हो गई। सब इन्सपेक्टर ने बीच बचाव करना चाहा कि इतने में चक्रपान की ओर के १५–२० आदमी लाठी कांता, लेकर टूट पड़े। दो सिपाहियों को कांते की चोटें आईं। सब इंस्पेक्टर इंचार्ज के भी सर पर और बदन पर चोटें आई। अफसर दोयम के सर पर गम्भीर चोट आई और वे बेहोश होकर गिर पड़े। पुलिस ने तब अपने बचाव के लिये और शान्ति स्थापित करने के लिये गोली चलाई।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१० पर)

श्रेणी	वेतन क्रम	महंगाई भत्ता	नगर प्रतिकर भत्ता
१	२	३	४
		रु०	रु०
१—माली, जूनियर कीपर, पोनी कीपर, जूनियर महावत तथा चौकीदार ..	२५ रु० से ३० रु० तक	३३	
२—सीनियर कीपर्स, बुकिंग क्लर्कस, सीनियर स्वीपर्स तथा सीनियर महावत ..	३० रु० से ३५ रु० तक	३३	२
३—जमादार ..	४० रु० से ६० रु० तक	३३	२
४—फिशरमैन ..	३० रु० से ६५ रु० तक	३३	२
५—सीनियर असिस्टेन्ट ..	६० रु० से ६५ रु० तक	३५	..
६—हेड चौधरी ..	४५ रु० से ८० रु० तक	३५	..
७—इलेक्ट्रीशियन ..	७५ रु० से १५० रु० तक	३५	..
८—क्यूरेटर ..	४५ रु० से १०० रु० तक	३५	..
९—(क) एकाउन्ट्स क्लर्क ..	६० रु० से ११० रु० तक	३५	..
(ख) एकाउन्टेन्ट ..	१०० रु० से २०० रु० तक	३५	..
(ग) असिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट	८० रु० से १३० रु० तक	३५	..
१०—(क) असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट	२०० रु० से ३५० रु० तक	४०	..
(ख) सुपरिन्टेन्डेन्ट	२५० रु० से ८५० रु० तक	..	..

दाऊ दयाल खन्ना,
स्वास्थ्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २३६ एल० ए०—१९६४—८६०।